अन्य पिछड़ा वर्ग

(ओ.बी.सी.)

प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय

प्रशिक्षण महाभियान 2019

भारतीय जनता पार्टी

9 789388 310277

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)
प्रशिक्षण प्रारूप

पं. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000 फैक्स : 011-23500190

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) प्रशिक्षण प्रारूप

© **भारतीय जनता पार्टी**

6 ए, दीनदयाल उपाध्याय रोड, नई दिल्ली–110002

ISBN 978-93-88310-277

9 789388 310277

2019

मुद्रकः

एक्सलप्रिंट

सी–36, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स

झण्डेवालान, नई दिल्ली–110055

आमुख

सर्वाधिक सदस्य संख्या के विश्व रिकॉर्ड के साथ भारतीय जनता पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी है। सिर्फ केन्द्र में ही नहीं, बल्कि देश के आधे से अधिक राज्यों में भी आज यह सत्ता में है। ऐसे विशाल जनादेश के साथ आज देश की राजनीतिक व्यवस्था में पार्टी का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है।

हमारा मानना है कि पार्टी के प्रति देशवासियों का जितना अधिक भरोसा बढ़ता है उतनी ही अधिक पार्टी और पार्टी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की क्षमता में वृद्धि तथा नेतृत्व की भावी जिम्मेदारियां संभालने हेतु तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी विचार को केन्द्र में रखकर पार्टी ने कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों के समुचित प्रशिक्षण हेतु ठोस पहल की है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर सदैव जोर रहा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पीछे मूल सोच यही रही है कि कैसे पार्टी में जमीनी स्तर तक लोकतंत्र को मजबूत टीम खड़ी हो जो सेवा एवं समर्पण भाव के साथ देशवासियों की आकांक्षाओं पर खरी उतरे।

भाजपा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण को वर्ष 2015 में उस समय नया आयाम मिला जब ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान'' की शुरूआत हुई। इस अभियान की सफलता का आंकलन महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजनीतिक कर्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का यह दुनिया का पहला एवं सबसे बडा अभियान है। प्रथम चरण में मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हजारों प्रशिक्षण कार्यक्रम देश भर में आयोजित किये गये।

प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में पार्टी के विभिन्न मोर्चों, विभागों एवं

स्तरों पर कार्यरत राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह नया आयाम है।

आज अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो जातियाँ शामिल हैं उनका इतिहास गौरवशाली रहा है। प्राचीनकाल से ही इस वर्ग का शासन, प्रशासन अर्थव्यवस्था आदि में असीम योगदान रहा है। विदेशी आक्रांताओं ने देश की शिल्पकला व संस्कृति को समय-समय पर नष्ट किया और इसी दौरान इस वर्ग की स्थिति दीन-हीन हो गई थी।

भारतीय जनता पार्टी सदैव से सर्व समावेशी सामाजिक व्यवस्था की पक्षधर रही है। इसमें छोटे किसान, शिल्पकार, मजदूरी करने वाले लोग सामान्यत: जो श्रमजीवी वर्ग के नाम से जाने जाते है। पार्टी नेतृत्व चाहे प्रधानमंत्री हो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो इस वर्ग के लिये विशेष तौर पर चिंतित रहते हैं और इनका सर्वांगीण विकास कर मुख्य धारा में लाने के लिए दृढ़ संकल्प है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार अपनी जनसभाओं में इस संकल्प को दोहराया है कि जो गरीब मजदूर, पिछड़े वर्ग विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देकर उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। इसीलिए अनेक योजनाएँ लागू की गयी। इसमें अधिकतर योजनाएँ उपेक्षित समूह के लोगों के उत्थान के लिए कार्यान्वित की जा रही है। ओबीसी समाज के लोगों को सरकार की नीतियों के साथ-साथ संगठन व सरकार में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कौशल विकास योजना से लेकर छोटे-छोटे उद्यमों के माध्यम से इस वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। उज्जवला, आयुष्मान जैसी योजनाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण हेतु संचालित की जा रही हैं। इस वर्ग के छोटे किसान व भूमिहीन, श्रमजीवी परिवारों के लिये सरकार ने हर प्रकार की सहायता

देकर विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस पुस्तिका में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के दौरान जिन विषयों की जानकारी देनी है। उसमें इस वर्ग की सामाजिक स्थिति व सामाजिक समरसता पर प्रकाश डाला गया है। इन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए नौकरियों व जिला संस्थानों में सरकार द्वारा किये गये आरक्षण के विविध आयामों जैसे, संविधान में पिछड़े वर्ग की स्थिति, इस वर्ग के लिए देश में आरक्षण का इतिहास, प्रथम आयोग ''काका कालेलकर आयोग'' एवं 'मंडल आयोग' की सिफारिशों पर प्रकाश डाला गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार क्रीमी लेअर की अवधारणा को सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के इन अभूतपूर्व कल्याणकारी निर्णयों की चर्चा की गई है जैसे:-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी के लिए ऐतिहासिक एवं साहसिक कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। माननीय मोदी जी की सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर वर्ष 2019 के प्रारंभ में ही इतिहास रच दिया है।

भाजपा का दृष्टिकोण इस वर्ग के प्रति आरंभ से ही सहायक रहा है। जन-जन हेतु संचालित योजनाओं का विवरण देते हुए कौशल विकास योजना आदि पर प्रकाश डाला गया है। पिछड़ा वर्ग के विकास के लिये सामाजिक संचार प्रणाली का कैसे उपयोग किया जा सकता है इसकी भी जानकारी दी गई है।

मुझे आशा है कि पार्टी के निर्धारित लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति में पुस्तिका उपयोगी सिद्ध होगी।

-पी. मुरलीधर राव
(राष्ट्रीय महासचिव)
प्रभारी, प. दीनदयाल उपाध्याय
प्रशिक्षण महाभियान

विषय सूची

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास 10
पृष्ठभूमि 10
भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय 12
भाजपा का गठन 13
विचार एवं दर्शन 14
उपलब्धियाँ 15
वर्तमान स्थिति 17
भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान 18
लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा 19
विचारधारा 19
सुशासन 20
2. सैद्धांतिक अधिष्ठान 21
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता 22
लोकतंत्र 22
सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण 24
सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभाव 25
मूल्य आधारित राजनीति 26
3. विचार परिवार 27
4. राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों 30
बाहरी चुनौतियां 31
आंतरिक चुनौतियां 33
जबरन धर्मांतरण 34

आर्थिक चुनौतियाँ 34
अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे 35
सामाजिक मुद्दे 36
5. कार्यकर्ता विकास 38
6. हमारी कार्यपद्धति 40
कार्यपद्धति के उपकरण 43
कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र 44
7. भारत की सामाजिक व्यवस्था 46
ओबीसी का परिचय 47
ओबीसी की सामाजिक स्थिति 49
ओबीसी की आर्थिक स्थिति 49
अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति 50
8. सामाजिक समरसता 53
9. आरक्षण के विविध आयाम 60
(क) आरक्षण की आवश्यकता 60
(ख) संविधान और पिछड़ा वर्ग 61
(ग) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का इतिहास 64
(घ) काका कालेलकर आयोग 70
(ड) द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग 75
(च) ओ.बी.सी. आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश 87
(छ) ओबीसी आरक्षण की अद्यतन स्थिति 88
10. क्रीमी लेयर की अवधारणा 89
'क्रीमी लेअर' समिति की सिफारिशें एवं अनुसूची 89
11. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 100

सामाजिक न्याय 100
कांग्रेस की वजह से अटका पिछड़ा
वर्ग से संबंधित कानून 100
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मजबूत होगा 101
भाजपा का सकारात्मक रूप 101
विपक्ष का निराशाजनक रूप 102
नौकरियों में आरक्षण की सुविधा 102
भाजपा द्वारा इस समस्या का निदान 103
भाजपा की सतर्कता 103
ओबीसी की केन्द्रीय सूची का वर्गीकरण 104
उपवर्गीकरण का मामला 105
वर्गीकरण की आवश्यकता 105
वर्गीकरण आयोग 106
12. भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण 108
राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव 108
भाजपा समतावादी समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध 108
भाजपा आरक्षण की पक्षधर 109
भाजपा चुनाव घोषणा पत्र 1996 में
पिछड़ा वर्ग पर दृष्टिकोण 110
**13. ओबीसी के कल्याण के लिए मोदी सरकार
द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले** 112
ओबीसी छात्रों को परीक्षा में प्रवेश की मानकता 113
ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण 114
भाजपा ने किया समाधान 116

प्रमाण पत्र व अन्य का सरलीकरण 116
आरक्षित का सामान्य में भी चयन संभव 118
क्रीमी लेअर की सीमा 120
पूर्व सरकार की छद्म नीति 120
वर्तमान भाजपा सरकार की ओबीसी नीति 121
14 ओबीसी व जन-जन के लिये मोदी सरकार की योजनाएँ 122
15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और पिछड़ा वर्ग 125
परम्परागत व्यवसाय का नवीकरण 125
परम्परागत व्यवसाय से रोजगार को बढ़ावा 125
रोजगार के अवसर 126
कौशल विकास का प्रभाव 127
आधुनिकीकरण की पहल 127
16. मीडिया/सोशल मीडिया 129
- नियमित संपर्क में रहें 129
- पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें 130
- तथ्यों पर ध्यान दें 130
- डिजिटल मीडिया पर करें फोकस 131
- ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत 132
- शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएँ 133
- सोशल मीडिया 133
- सदुपयोग एवं सावधानियाँ 134

1. भारतीय जनता पार्टी का इतिहास एवं विकास

भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एक कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया जिसके प्रथम अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं लोकहित के विषयों पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक-दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था के रूप में जानी जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने दो ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन-युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नीत राजग शासन के दौरान रखी। आज तीन दशक बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा भारी बहुमत से भाजपा नीत राजग सरकार केन्द्र में विद्यमान है।

पृष्ठभूमि

हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल, 1980 को हुआ, परन्तु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीतिक परिस्थिति

उत्पन्न हुई। गाँधीजी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात् कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गाँधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण कांग्रेस 'नेहरूवाद' की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टिकरण, लाइसेंस-परमिट-कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनेटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। 'नेहरूवाद' तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इधर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के दंश को झेलते हुए महसूस किया कि संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांततः दूरी बनाये रखने के कारण वे अलग-थलग तो पड़े ही, साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर, 1951 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई।

भारतीय जनसंघ ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी के नेतृत्व में कश्मीर एवं राष्ट्रीय अखंडता के मुद्दे पर आंदोलन छेड़ा तथा कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेषाधिकार देने का विरोध किया। नेहरू के अधिनायकवादी रवैये के फलस्वरूप डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहाँ उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो गई। एक नई पार्टी को सशक्त बनाने का कार्य पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के कंधों

पर आ गया। भारत–चीन युद्ध में भी भारतीय जनसंघ ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पर नेहरू की नीतियों का डटकर विरोध किया। 1967 में पहली बार भारतीय जनसंघ एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय राजनीति पर लम्बे समय से बरकरार कांग्रेस का एकाधिकार टूटा, जिससे कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई।

भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय

सत्तर के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी के नेतृत्व में निरंकुश होती जा रही कांग्रेस सरकार के विरुद्ध देश में जन–असंतोष उभरने लगा। गुजरात के नवनिर्माण आन्दोलन के साथ बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के दमन का रास्ता अपनाया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया तथा देशभर में कांग्रेस शासन के विरुद्ध जन–असंतोष मुखर हो उठा। 1971 में देश पर भारत–पाक युद्ध तथा बांग्लादेश में विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में बाह्य आपातकाल लगाया गया था जो युद्ध की समाप्ति के बाद भी लागू था। उसे हटाने की भी मांग तीव्र होने लगी। जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार ने जनता की आवाज को दमनचक्र से कुचलने का प्रयास किया। परिणामतः 25 जून, 1975 को देश पर दूसरी बार आपातकाल भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत 'आंतरिक आपातकाल' के रूप में थोप दिया गया। देश के सभी बड़े नेता या तो नजरबंद कर दिये गए अथवा जेलों में डाल दिए गये। समाचार पत्रों पर 'सेंसर' लगा दिया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित अनेक राष्ट्रवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हजारों कार्यकर्ताओं को 'मीसा' के तहत गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। देश में लोकतंत्र पर खतरा मंडराने लगा। जनसंघर्ष को तेज किया जाने

लगा और भूमिगत गतिविधियाँ भी तेज हो गयीं। तेज होते जनान्दोलनों से घबराकर इंदिरा गाँधी ने 18 जनवरी, 1977 को लोकसभा भंग कर दी तथा नये जनादेश प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर एक नये राष्ट्रीय दल 'जनता पार्टी' का गठन किया गया। विपक्षी दल एक मंच से चुनाव लड़े तथा चुनाव में कम समय होने के कारण 'जनता पार्टी' का गठन पूरी तरह से राजनीतिक दल के रूप में नहीं हो पाया। आम चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई तथा 'जनता पार्टी' एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ भारी बहुमत के साथ सत्ता में आईं। पूर्व घोषणा के अनुसार 1 मई, 1977 को भारतीय जनसंघ ने करीब 5000 प्रतिनिधियों के एक अधिवेशन में अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया।

भाजपा का गठन

जनता पार्टी का प्रयोग अधिक दिनों तक नहीं चल पाया। दो-ढाई वर्षों में ही अंतर्विरोध सतह पर आने लगा। कांग्रेस ने भी जनता पार्टी को तोड़ने में राजनीतिक दांव-पेंच खेलने से परहेज नहीं किया। भारतीय जनसंघ से जनता पार्टी में आये सदस्यों को अलग-थलग करने के लिए 'दोहरी-सदस्यता' का मामला उठाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध रखने पर आपत्तियाँ उठायी जानी लगीं। यह कहा गया कि जनता पार्टी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य नहीं बन सकते। 4 अप्रैल, 1980 को जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यसमिति ने अपने सदस्यों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य होने पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व के भारतीय जनसंघ से संबद्ध सदस्यों ने इसका विरोध किया और जनता पार्टी से अलग होकर 6 अप्रैल, 1980 को एक नये संगठन 'भारतीय जनता पार्टी' की घोषणा की। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई।

विचार एवं दर्शन

भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलम्बी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान 'विश्वशक्ति' एवं 'विश्व गुरू' के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे।

भाजपा भारतीय संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के प्रति निष्ठापूर्वक कार्य करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित राज्य को अपना आधार मानती है। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतान्त्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंगभेद के बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो।

भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म-मानवदर्शन' को अपने वैचारिक दर्शन के रूप में अपनाया है। साथ ही पार्टी का अन्त्योदय, सुशासन, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास एवं सुरक्षा पर भी विशेष जोर है। पार्टी ने पाँच प्रमुख सिद्धांतों के प्रति भी अपनी निष्ठा व्यक्त की, जिन्हें 'पंचनिष्ठा' कहते हैं। ये पाँच सिद्धांत (पंच निष्ठा) हैं-राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता (सर्वधर्मसमभाव), गाँधीवादी समाजवाद (सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण द्वारा शोषण मुक्त समरस समाज की स्थापना) तथा मूल्य आधारित राजनीति।

उपलब्धियाँ

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर-कांग्रेसी दल एक मंच पर आये तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वी.पी. सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथयात्रा शुरू की। राम मंदिर आन्दोलन को मिले भारी जनसमर्थन एवं भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथयात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वी.पी. सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चन्द्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हाराव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई 'कीर्तिमान' स्थापित हुए।

1996 के आम चुनावों में भाजपा को लोकसभा में 161 सीटें प्राप्त हुईं। भाजपा ने लोकसभा में 1989 में 85, 1991 में 120 तथा 1996 में 161 सीटें प्राप्त कीं। भाजपा का जनसमर्थन लगातार बढ़ रहा था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार ने 1996 में शपथ ली, परन्तु पर्याप्त समर्थन के अभाव में यह सरकार मात्र 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 1998 के आम चुनावों में भाजपा ने 182

सीटों पर जीत दर्ज की और श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शपथ ली। परन्तु जयललिता के नेतृत्व में अन्नाद्रमुक द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण सरकार लोकसभा में विश्वासमत के दौरान एक वोट से गिर गई, जिसके पीछे वह अनैतिक आचरण था, जिसमें उड़ीसा के तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री गिरधर गोमांग ने पद पर रहते हुए भी लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी तथा विश्वासमत के दौरान सरकार के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के इस अवैध और अनैतिक आचरण के कारण ही देश को पुनः आम चुनावों का सामना करना पड़ा। 1999 में भाजपा को 182 सीटों पर पुनः विजय मिली तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 306 सीटें प्राप्त हुईं। एक बार पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार बनी।

भाजपा नीत राजग सरकार ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में विकास के अनेक नये प्रतिमान स्थापित किये। पोखरण परमाणु विस्फोट, अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण, कारगिल विजय जैसी सफलताओं से भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऊँचा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में नयी पहल एवं प्रयोग, कृषि, विज्ञान एवं उद्योग के क्षेत्रों में तीव्र विकास के साथ-साथ महंगाई न बढ़ने देने जैसी अनेकों उपलब्धियाँ इस सरकार के खाते में दर्ज हैं।

भारत-पाक संबंधों को सुधारने, देश की आंतरिक समस्याओं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद पर कई प्रभावी कदम उठाए गये। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को सुदृढ़ कर सुशासन एवं सुरक्षा को केन्द्र में रखकर देश को समृद्ध एवं समर्थ बनाने की दिशा में अनेक निर्णायक कदम उठाये गए।

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राजग शासन ने देश में विकास की एक नई राजनीति का सूत्रपात किया।

वर्तमान स्थिति

आज भाजपा देश में एक प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति के रूप में उभर चुकी है एवं देश के सुशासन, विकास, एकता एवं अखंडता के लिए कृतसंकल्प है।

10 साल पार्टी ने विपक्ष की सक्रिय और शानदार भूमिका निभाई। 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी, जो आज 'सबका साथ, सबका विकास' की उद्घोषणा के साथ गौरव सम्पन्न भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा लगभग 11 करोड़ सदस्यों वाली विश्व की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी बन गयी है।

26 मई, 2014 को श्री नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कम समय में ही अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उन्होंने विश्व में भारत की गरिमा को पुनःस्थापित किया, राजनीति पर लोगों के विश्वास को फिर से स्थापित किया। अनेक अभिनव योजनाओं के माध्यम से नए युग की शुरुआत की। अन्त्योदय, सुशासन, विकास एवं समृद्धि के रास्ते पर देश बढ़ चला है। आर्थिक और सामाजिक सुधार सुरक्षित जीवन जीने का मार्ग उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों के लिये ऋण से लेकर खाद तक की नयी नीतियाँ जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, आदि ने कृषि के तीव्र विकास की अलख जगायी है। यह नया युग है सुशासन का। चाहे आदर्श ग्राम योजना हो,

स्वच्छता अभियान या फिर योग के सहारे भारत को स्वस्थ बनाने का अभियान, इन सभी कदमों से देश को एक नयी ऊर्जा मिली है। भाजपा की मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', अमृत मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं से भारत को आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। जन-धन योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक योजनाएं देश में एक नयी क्रांति का सूत्रपात कर रही हैं। भाजपा सरकार ने देशवासियों को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना का उपहार दिया है।

भारतीय राजनीति में भाजपा का योगदान

- राष्ट्रीय अखण्डता, कश्मीर के भारत में पूर्ण विलय, कबाइली वेश में पाकिस्तानी आक्रमण के प्रतिकार, परमिट व्यवस्था एवं धारा 370 की समाप्ति व पृथकतावाद से निरन्तर संघर्ष करने वाली एकमात्र पार्टी भारतीय जनसंघ या भाजपा है, अन्यथा कश्मीर का बचना कठिन था।

- गोवा मुक्ति आंदोलन, सत्याग्रह एवं बलिदान। बहुत दबाव के बाद ही सरकार ने सैनिक कार्यवाही की।

- बेरुबाड़ी एवं कच्छ समझौते हमारी राष्ट्रीय अखण्डता के लिए चुनौती थे। भाजपा ने इस चुनौती का सामना किया।

- आज भी देश में राष्ट्रीय अखण्डता के मुद्दे उठाना, पृथकतावाद से जूझना एवं इस निमित्त समाज को निरन्तर जाग्रत रखने का काम भाजपा ही कर रही है।

- देश को परमाणु शक्ति सम्पन्न कर भारत पर हमलों की हिमाकत करने वालों को अटलजी की सरकार ने सीधा संदेश दिया।

लोकतंत्रः विकास एवं रक्षा

- प्रथम चरण में जब स्वतंत्रता आंदोलन के सभी नेता सत्ता पक्ष में जा बैठे थे, विपक्ष या तो था ही नहीं या राष्ट्रभक्ति से शून्य वामपंथियों के पास था तब जनसंघ ने चुनौती को स्वीकार किया तथा भारत के लोकतंत्र को भारतीय जनसंघ के रूप में सबल विपक्ष दिया। 1967 में जनसंघ दूसरा बड़ा दल बन गया था।
- चुनाव सुधार के मुद्दे उठाने वाला एकमात्र राजनीतिक दल जनसंघ या भाजपा ही है। लोकतांत्रिक मर्यादाओं को हमारी पार्टी ने बल दिया और उनका उल्लंघन नहीं होने दिया।
- आपातकाल के प्रतिकार की कहानी हमारी लोकतंत्रात्मक निष्ठा को पुष्ट करती है।
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो विपक्ष उभरा, वही विकल्प बनने में भी सक्षम था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय लोकतंत्र में विकल्प के नियामक हैं। भारतीय लोकतंत्र के लिए अपेक्षित अखिल भारतीय संगठन एवं नेतृत्व आज केवल भाजपा के पास ही है।

विचारधारा

- राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है। समाज को अपेक्षित दिशा में प्रगति पथ पर ले जाना भी उसका कार्य है। इसके लिये संगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संगत विचारधारा से प्राप्त होता है। आज भारत के सभी राजनैतिक दल विचारधारा शून्यता के शिकार हैं। भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद तथा पंचनिष्ठाओं की संगत विचारधाराओं के आधार पर संगठन का नियमन कर रही है। शासन की नीति में भी इनका समुचित प्रतिबिम्बन होगा।

सुशासन

- ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं की शक्ति एवं सरकार का सुनियमन सुशासन की गारंटी हैं। छः साल का केन्द्रीय शासन एवं प्रदेशों में भाजपा की सरकारों ने अन्य दलों की सरकारों की तुलना में अच्छा शासन दिया है। गत चार वर्षों से श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सकारात्मक सुशासन की प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है। व्यवस्थाओं की पुरानी विकृतियों का शमन करने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा।

❍

2. सैद्धांतिक अधिष्ठान

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। यह किसी परिवार, जाति या वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाला सूत्र है–भारत के सांस्कृतिक मूल्य, हमारी निष्ठाएँ और भारत के परम वैभव को प्राप्त करने का संकल्प और साथ ही यह आत्मविश्वास कि अपने पुरुषार्थ से हम इन्हें प्राप्त करेंगे।

भाजपा की विचारधारा को एक पंक्ति में कहना हो तो वह है 'भारत माता की जय'। भारत का अर्थ है 'अपना देश'। देश जो हिमालय से कन्याकुमारी तक फैला है और जिसे प्रकृति ने एक अखंड भूभाग के रूप में हमें दिया है। यह हमारी माता है और हम सभी भारतवासी इसकी संतान हैं। एक माँ की संतान होने के नाते सभी भारतवासी सहोदर यानि भाई–बहन हैं। भारत माता कहने से एक भूमि और एक जन के साथ हमारी एक संस्कृति का भी ध्यान बना रहता है। इस माता की जय में हमारा संकल्प घोषित होता है और परम वैभव में है माँ की सभी संतानों का सुख और अपनी संस्कृति के आधार पर विश्व में शांति व सौख्य की स्थापना। यही है 'भारत माता की जय'।

भाजपा के संविधान की धारा 3 के अनुसार एकात्म मानववाद हमारा मूल दर्शन है। यह दर्शन हमें मनुष्य के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एकात्म यानि समग्र विचार करना सिखाता है। यह दर्शन मनुष्य और समाज के बीच कोई संघर्ष नहीं देखता, बल्कि मनुष्य के स्वाभाविक विकास–क्रम और उसकी चेतना के विस्तार से परिवार, गाँव, राज्य, देश और सृष्टि तक उसकी पूर्णता देखता है। यह दर्शन प्रकृति और मनुष्य में माँ का संबंध देखता है, जिसमें प्रकृति को स्वस्थ बनाए रखते हुए अपनी आवश्यकता

की चीजों का दोहन किया जाता है।

भाजपा के संविधान की धारा 4 में पाँच निष्ठाएँ वर्णित हैं। एकात्म मानववाद और ये पाँचों निष्ठाएँ हमारे वैचारिक अधिष्ठान का पूरा ताना-बना बुनती हैं।

(१) राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता: हमारा मानना है कि भारत राष्ट्रों का समूह नहीं है, नवोदित राष्ट्र भी नहीं है, बल्कि यह सनातन राष्ट्र है। हिमालय से कन्याकुमारी तक प्रकृति द्वारा निर्धारित यह देश है। इस देश-भूमि को देशवासी माता मानते हैं । उनकी इस भावना का आधार प्राचीन संस्कृति और उससे मिले जीवनमूल्य हैं। हम इस विशाल देश की विविधता से परिचित हैं। विविधता इस देश की शोभा है और इन सबके बीच एक व्यापक एकात्मता है। यही विविधता और एकात्मता भारत की विशेषता है। हमारा राष्ट्रवाद सांस्कृतिक है केवल भौगोलिक नहीं। इसीलिए भारत भू-मंडल में अनेक राज्य रहे, पर संस्कृति ने राष्ट्र को बाँधकर रखा, एकात्म रखा।

(२) लोकतंत्र: विश्व की प्राचीनतम ज्ञात पुस्तक ऋग्वेद का एक मंत्र 'एकं सद विप्रा: बहुधा वदन्ति उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है, सत्य एक ही है, विद्वान इसे अलग-अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। भारत के स्वभाव में यह बात आ गई है कि किसी एक के पास सच नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह भी सही है, आप जो कह रहे हैं वह भी सही है। विचार स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन) का आधार यह मंत्र है।

संस्कृत में एक और मंत्र है- 'वादे वादे जायते तत्व बोध:'। इसका अर्थ है चर्चा से हम ठीक तत्व तक पहुँच जाते हैं। चर्चा से सत्य तक पहुँचने का यह मंत्र भारत में लोकतंत्रीय स्वभाव बनाता है। इन दोनों मन्त्रों ने भारत में लोकतंत्र का स्वरूप गढ़ा-निखारा है। भारतीय समाज ने इसी लोकतंत्र का स्वभाव ग्रहण किया है। लोकतंत्र भारतीय समाज के अनुरूप व्यवस्था है।

भाजपा ने अपने दल के अंदर भी लोकतंत्रीय व्यवस्था को मजबूती से अपनाया है। भाजपा संभवतः अकेला ऐसा राजनीतिक दल है, जो हर तीसरे साल स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के नियमित चुनाव कराता है। यही वजह है कि कभी चाय बेचने वाला युवक देश का प्रधानमंत्री बना है और इसी तरह सभी प्रतिभावान लोगों का पार्टी के अलग-अलग स्तरों से लेकर चोटी तक पहुँचना संभव होता रहा है।

सत्ता का किसी एक जगह केन्द्रित होना लोकतंत्रीय स्वभाव के विपरीत है। इसीलिए लोकतंत्र विकेन्द्रित शासन व्यवस्था है। केन्द्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत सभी के काम और जिम्मेदारियाँ बँटी हुई हैं। सब को अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ भारत के संविधान से प्राप्त होती हैं। संविधान द्वारा मिली अपनी-अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए सभी (केंद्र, राज्य, नगरपालिका और पंचायत) स्वतंत्र हैं। इसीलिए गाँव के लोग पंचायत द्वारा गाँव का शासन स्वयं चलाते हैं और यही इनके चढ़ते हुए क्रम तक होता है।

लोकतंत्र के प्रति हमारी निष्ठा आपातकाल में जगजाहिर हुई। 25 जून, 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भारत में आपातकाल घोषित कर दिया था। नागरिकों के संविधान-प्रदत्त मौलिक अधिकार भी निरस्त कर दिए गए थे। यहाँ तक कि जीवन का अधिकार भी छीन लिया गया था। तत्कालीन जनसंघ (अब भाजपा) नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था और पार्टी दफ्तरों पर सरकारी ताले डाल दिए गए थे। अखबारों पर भी सेंसरशिप लागू हो गई थी।

लोकतंत्र के प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही हम (यानि तत्कालीन जनसंघ के कार्यकर्ता) भूमिगत अहिंसक आंदोलन खड़ा कर सके। समाज को संगठित करके एक बड़ा संघर्ष किया। असंख्य कार्यकर्ताओं ने पुलिस का दमन, जेल यातना और काम धंधे (रोजी-रोटी) का नुकसान सहा। इसी संघर्ष का परिणाम था कि 1977 के आम चुनावों

में जनता जनार्दन की शक्ति सामने आई और इंदिरा गांधी की तानाशाह सरकार धराशायी हो गई।

(३) सामाजिक व आर्थिक विषयों पर गाँधीवादी दृष्टिकोण जिससे शोषणमुक्त और समतायुक्त समाज की स्थापना हो सकेः गाँधीवादी सामाजिक दृष्टिकोण भेदभाव और शोषण से मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना है। दुर्भाग्य से एक समय में, जन्म के आधार पर छोटे या बड़े का निर्धारण होने लगा, अर्थात् जाति व्यवस्था विषैली होकर छुआछूत तक पहुँच गई। भक्ति काल के पुरोधाओं से लेकर महात्मा गाँधी व डॉ. अम्बेडकर को इससे समाज को मुक्त कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा। आज भी यह विषमता पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है।

यही वजह है कि अनुसूचित जाति के साथ अनेक प्रकार से भेदभाव होते हैं और उन्हें यह अहसास कराया जाता है कि वे बाकी जातियों से कमतर हैं। शिक्षित और धनवान हो जाने से भी यह विषमता दूर नहीं होती। भारतीय संविधान के रचयिता डॉ. अम्बेडकर ने विदेश से पीएचडी कर ली थी। फिर भी वह जिस कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ उनके पीने के पानी का घड़ा अलग रखा जाता था। भाजपा इसे स्वीकार नहीं करती। हम मानते हैं कि सभी में एक ही ईश्वर समान रूप से विराजता है। मनुष्य मात्र की समानता और गरिमा का यह दार्शनिक आधार है। देश को सामाजिक शोषण से मुक्त कराकर समरस समाज बनाना हमारी आधारभूत निष्ठा है।

किसी एक राज्य या कुछ व्यक्तियों के हाथ में सत्ता के केन्द्रीकरण के अपने खतरे होते हैं और यह स्थिति सत्ता में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। लेकिन गाँधीजी की मांग सही साधनों पर भरोसा करने की भी थी। उन्होंने किसी 'वाद' को जन्म नहीं दिया, बल्कि उनके दृष्टिकोण जीवन के प्रति एकात्म प्रयास को उजागर करते हैं।

महात्मा गाँधी के दृष्टिकोण के आधार पर भाजपा भी आर्थिक शोषण

के खिलाफ है और साधनों के समुचित बंटवारे की पक्षधर है। हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि कमाने वाला ही खाएगा। हमारी दृष्टि में कमा सकने वाला कमाएगा और जो जन्मा है वह खाएगा। हमारा मानना है कि समाज और राज्य सबकी चिन्ता करेंगे। दीनदयालजी मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा और रोजगार को भी जोड़ते थे। आर्थिक विषमताओं की बढ़ती खाई को पाटा जाना चाहिए। अशिक्षा, कुपोषण और बेरोजगारी से एक बड़ा युद्ध लड़कर ''सर्वे भवन्तु सुखिन:'' का आदर्श प्राप्त करना हमारी मौलिक निष्ठा है। हमारे गाँधीवादी दृष्टिकोण ने यह सिखाया है कि इसके लिए हमें विचार या तंत्र बाहर से आयात करने की जरूरत नहीं है। अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपनी बुद्धि, प्रतिभा और पुरुषार्थ से हम इसे पा सकते हैं।

(४) सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता एवं सर्वपंथसमभाव: एक समय पश्चिमी देशों में पोप और पादरियों का राजकाज में अत्यधिक नियंत्रण हो गया था। अगर कोई अपराध करता था तो चर्च में एक निर्धारित राशि का भुगतान करके वह अपराधमुक्त होने का प्रमाणपत्र ले सकता था। नतीजा यह हुआ कि शासन में धर्म के असहनीय हस्तक्षेप का विरोध शुरु हो गया। विरोधियों का तर्क था कि धर्म घर के अंदर की वस्तु है। इस विरोध आन्दोलन से धर्मनिरपेक्षता का प्रादुर्भाव हुआ।

भारत में धर्म किसी पुस्तक, पैगम्बर या पूजा पद्धति में निहित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म का अर्थ है जीवन शैली। अग्नि का धर्म है दाह करना और जल का धर्म है शीतलता। राजा को कैसे रहना और व्यवहार करना है यह है उसका राज-धर्म, पिता की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसे क्या करना चाहिए, यह है पितृ-धर्म। इसी तरह पुत्र-धर्म और पत्नी-धर्म हैं। इसीलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से निरपेक्ष हो जाना नहीं है।

भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्व पंथ समादर भाव है। शासक

किसी पंथ को, किसी भी पूजा पद्धति को राज-पंथ, राज-धर्म या राज-पद्धति नहीं मानेगा। वह सभी धर्मों, पंथों एवं पद्धतियों को समान आदर देता है। हमारा उद्देश्य है, न्याय सबके लिए और तुष्टिकरण किसी का नहीं। इसका व्यावहारिक अर्थ है 'सबका साथ सबका विकास'। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हिन्दुओं को मुसलमानों से और मुसलमानों को हिन्दुओं से नहीं लड़ना है, बल्कि दोनों को मिल कर गरीबी से लड़ना है।

(५) मूल्य आधारित राजनीतिः भाजपा ने जो पांचवाँ अधिष्ठान अपनाया है वह है 'मूल्य आधारित राजनीति'। एकात्म मानववाद मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास करता है। नियमों और मूल्यों के निर्धारण के वायदे के बिना राजनीतिक गतिविधि सिर्फ निज स्वार्थपूर्ति का खेल है। भाजपा 'मूल्य आधारित राजनीति' के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरह सार्वजनिक जीवन का शुद्धिकरण एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना उसका लक्ष्य है।

आज देश का संकट मूल रूप से नैतिक संकट है और राजनीति विशुद्ध रूप से ताकत का खेल बन गई है। यही वजह है कि देश नैतिक ताकत के लुप्तिकरण से जूझ रहा है और मुश्किलों का सामना करने की अपनी क्षमता को खोता जा रहा है। जब हम इन पांचों निष्ठाओं की बात करते हैं तो अपने आसपास या देश में घटे कुछ ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं, जिनसे लगता है कि हम हर स्तर पर पूरी तरह सभी निष्ठाओं का पालन करते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। पर, हम यह विश्वास से कह सकते हैं कि ये निष्ठाएँ हमारे लिए प्रकाश-स्तम्भ की तरह हैं। हम सबको जरुर यह प्रयत्न करते रहना है कि हम अपना जीवन और अपनी पार्टी को इन निष्ठाओं के आधार पर चलाएँ। ❍

3. विचार परिवार

- 1947 में देश स्वतंत्र हुआ और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का कार्य अधिक सघनता से करने का अवसर प्राप्त हुआ।
- उसी समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यक्ति निर्माण के कार्य को संघ स्वयंसेवकों द्वारा समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में साकार करने का विचार संघ में प्रारंभ हुआ।
- 1950 के दशक से इस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुआ और संघ कार्यकर्ता धीरे-धीरे सामाजिक जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में स्वायत्त रचनाएं खड़ी करते चलते गये।
- आज लगभग सभी क्षेत्रों में समान ध्येय एवं विचार-व्यवहार की प्रक्रियायें केंद्र में रखते हुए ऐसे संगठन कार्यरत हैं और प्रभावी ढंग से इस पुनर्निर्माण के कार्य को कर रहे हैं।
- इस कार्य की भूमिका एवं स्वरुप बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के व्यापक संदर्भ में किसी क्षेत्र विशेष में उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार संगठन खड़ा करके वहाँ अपेक्षित परिवर्तन लाने का यह प्रयास है।
- 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना हुई। यह प्रारंभिक प्रयास रहा। उसके पश्चात् अलग-अलग संगठनों का निर्माण हुआ। वर्तमान में लगभग 40-42 ऐसे संगठन इस श्रृंखला में विद्यमान हैं।
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार की पृष्ठभूमि इन संगठनों के सिद्धांत का आधार है यानि राष्ट्र जीवन का विचार एकात्म भाव से हो, समाजहित सर्वोपरि हो, समर्पित कार्यकर्ताओं का निर्माण हो, भारतीय परंपरा, इतिहास व राष्ट्रपुरुष के प्रति सम्मान और आदर

की भावना हो और जिस क्षेत्र में कार्य खड़ा करना है उस क्षेत्र की समस्याओं को समाप्त करके स्वस्थ समाज का दृश्य साकार हो, यह समान भूमिका विचार परिवार की आधारशिला है।

- इस विचार परिवार से अपना भावनात्मक संबंध रखकर कार्य करने वाले सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। सबकी कार्यपद्धति संगठन के स्वरूप के अनुसार है और उनका कार्य अब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
- वास्तव में यह एक अनोखी संगठन रचना है – व्यापक रूप से विचारधारा समान है परन्तु कार्यपद्धति भिन्न है। विचार परिवार एक ही है, परन्तु नियंत्रण, नियमन और कार्यकर्ताओं की शक्ति प्रत्येक संगठन ने अपने प्रयास से खड़ी की है।
- अनेक संगठनों ने शिक्षा, सेवा तथा वंचित समाज के उत्थान का व्यापक कार्य खड़ा किया है। विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, सेवा भारती आदि इसके उदाहरण हैं। अनेक सेवा प्रकल्प व एकल विद्यालय जैसे प्रयोग परिवर्तन के प्रतिमान बन चुके हैं।
- विचार परिवार के घटक के रूप में सभी संगठन स्वतंत्र और स्वायत्त होते हुए भी सभी में समन्वय, परस्पर-पूरकता और मूल विचार के परिप्रेक्ष्य में विसंगती नहीं है।
- विविध क्षेत्रों में सभी संगठन समाज हित में प्रभावी कार्य कर रहे हैं और नेतृत्व की भूमिका में रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ आज विश्व का सबसे बड़ा मजबूत संगठन है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के बीच सबसे बड़े अनुशासित संगठन के रूप में विद्यमान है। हिंदुत्व के क्षेत्र में विश्व हिन्दू परिषद एक सशक्त आवाज है।
- विचार परिवार की यह रचना आज स्थिर हो चुकी है। ऐसे संगठनों की भूमिका राजनैतिक सत्ता संपादन की नही है परन्तु उनकी

गतिविधियों से राजनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्धता रखने वाले दल के प्रति मानस तैयार होता ही है। लेकिन किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं का उपयोग दलगत राजनैतिक हितों के लिये करने की परंपरा नहीं है।

- कार्य क्षेत्र भिन्न-भिन्न होते हुए भी समाज जीवन की दृष्टि से समान दृष्टिकोण विचार परिवार में स्वाभाविक रुप से दिखाई देता है जैसे कि समाज का विचार एकात्मभाव से ही हो, समाज जीवन टुकड़ों में बंटा हुआ नहीं है बल्कि सभी अंग परस्पर-पूरक हैं, समरसता समाज जीवन के स्वास्थ्य का आधार है, विविधता में एकता का अनुभव है, वर्ण-वर्ग-जाति संघर्ष समाजहित में नहीं हैं, एक जन-एक राष्ट्र-एक संस्कृति समाज जीवन की अनुभूति है, भारतीय समाज मानस मूलतः आध्यात्मिक होने के कारण समष्टि के लिये त्याग की अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में हो, धर्म की कल्पना व्यापक ही है और समाज को धारण करने वाली है ऐसे सभी सिद्धांत विचार परिवार के सभी संगठनों ने अंगीकार किये हैं।
- विचार परिवार की यह कल्पना राष्ट्र के परम वैभव से ही प्रेरित है। मूल प्रेरणा यही है। संगठन के सभी आंतरिक व्यवहार और कार्यकर्ताओं के परस्पर संबंध सदा स्नेहपूर्ण रहने का मूल कारण भी समाज ध्येयवाद एवं समाज के प्रति समर्पण का भाव ही है।
- समाज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए ये संगठन एक विशाल शक्ति बन चुके है। यह शक्ति न तो किसी के विरोध या प्रतियोगिता में है और न ही वर्चस्व स्थापित करने के लिये है। यह सिर्फ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से प्रेरित है। ❍

4. राष्ट्र के समक्ष चुनौतियों

कभी सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत आज चारों ओर से अनेक चुनौतियों से घिरा है। बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण, कन्या भ्रूण हत्या, गरीबी जैसी आंतरिक चुनौतियों से जहाँ एक ओर देश को जूझना है वहीं बाहरी चुनौतियाँ भी कम नहीं है। बाहरी चुनौतियाँ पड़ोसी देशों से ज्यादा है, खासकर सामरिक दृष्टिकोण से चीन बड़ी चुनौतियाँ पेश कर रहा है। तो हमारी एकता, अखंडता एवं अर्थव्यवस्था पर पाकिस्तान लगातार चोट कर रहा है।

पड़ोस के देशों से अवैध घुसपैठ भी हमारी राजनीतिक व आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। यूरोप में जिस तरह से शरणार्थी के नाम पर तेजी से घुसपैठ हो रहा है, उससे भारत को सबक लेते हुए संभल जाना चाहिए। ऐसा कुछ देश या आतंकवादी संगठन जान बूझकर कर सकते हैं ताकि हमारी जनसंख्या संतुलन बिगड़े और वे अलगाववाद को हवा दें। बंगाल की सीमा से लगे असम के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं।

पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में आ रही नकली मुद्रा भी हमारे लिए बड़ी चुनौती है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा है। हमारे पड़ोसी मुल्कों की सहायता से चलाए जा रहे हवाला रैकेट के प्रति भी सावधान रहना होगा। हाल ही में देशव्यापी छापों से यह रहस्य खुला कि देश के दुश्मन हवाला काराबारियों के जरिए हजारों करोड़ रुपये यहाँ से भेज रहे हैं। आतंकवादी समूहों, हवाला का कारोबारियों और कुछ देश विरोधी गैर सरकारी संगठनों के बीच सांठ-गांठ के सबूत सामने आए हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने की साजिश है।

साइबर आतंकवाद का खतरा हमारे लिए बढ़ गया है। आज दुनिया

उसी की मुठ्ठी में है, जो पूरी तरह से वायु तंरगों पर नियंत्रण रखता है। चीन और अमरीका लगातार सेटेलाइट आधारित ऐसे ऐसे यंत्रों का आविष्कार कर रहे हैं जिनके जरिए दूसरे देशों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती है। भारत को अमरीका से कम चीन से ज्यादा खतरा है, क्योंकि चीन हाल के वर्षों में कई बार हमारे वेबसाइट को हैक कर चुका है। चीन की आईटी कंपनियों पर अमरीका और यूरोप की जासूसी करने का भी आरोप लग चुका है। आने वाले दिनों में सूचना प्रौद्योगिकी को भी एक दूसरे पर हावी होने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

विदेशों से सहायता प्राप्त आतंकवाद संगठन, उनके आत्मघाती दस्ते और आतंकवाद के खड़े होते नये प्रारूप भी हमारे लिए खतरे की घंटी हैं।

देश में स्थाई विकास की योजना बने, इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी जनसंख्या वृद्धि का सही प्रबंधन करें। बिना किसी योजना या राजनीतिक कारणों से यदि हम जनसंख्या को यूँ ही नजरंदाज करें तो एक दिन स्थिति विस्फोटक हो जाएगी। देश में युद्ध की स्थिति बन जाएगी।

बाहरी चुनौतियाँ

- चीन और पाकिस्तान, दोनों के साथ हमारा सीमा विवाद है और ये दोनों पड़ोसी देश हमारे लिए सीमा व घरेलू मोर्चों पर परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं।
- चीन और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं और इन दोनों ने एक वैश्विकशक्ति के रूप में उभरते भारत को चोट पहुँचाने के उद्देश्य से आपस में गहरे राजनयिक संबध स्थापित कर लिए हैं।
- दोनों में से कोई भी देश पहले परमाणु अस्त्र के इस्तेमाल नहीं करने

की घोषणा करने को तैयार नहीं है, जबकि भारत इसके लिए वचनबद्ध है।

- पाक प्रायोजित आतंकवाद के कारण भारत में हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं और अभी भी हमारे देश में पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे सैकड़ों आतंकवादी मॉडल सक्रिय हैं। पूरा विश्व आज जान चुका है पाकिस्तान आतंकवादियों को उदग्म स्थल है और यहाँ से पूरी दुनिया में आतंकियों को भेज रहा है। भारतीय सीमा के आस-पास आज भी पाकिस्तान आतंकवादी कैंप चला रहा है। वह दाउद इब्राहिम और टाइगर मेनन जैसे भारत विरोधी आतंकवादियों को न सिर्फ अपने यहाँ पनाह दे रहा है, बल्कि वह शांति प्रक्रिया के लिए हुए हर तरह के समझौते से मुकर जा रहा है।
- पाक प्रायोजित आतंकवाद मॉडयूल पर सतर्कता बरतने 26/11 हमले के गुनहगारों को भारत लाने जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने जैसी कई चुनौतियों के कारण भारत को काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति यूँ ही जाया हो रही है।
- भारत द्वारा पाकिस्तान को लगातार आर्थिक सहयोग देने और मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिए जाने के बावजूद पाकिस्तान कभी भारत को यह दर्जा नहीं देता, जिसके कारण भारत का व्यापार बाधित होता है।
- चीन के साथ हमारा सीमा विवाद काफी समय से चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि चीन इसे हल करने का इच्छुक ही नहीं है। यद्यपि 1962 के बाद भारत चीन सीमा पर कभी कोई गोली बारी नहीं हुई और ना ही कोई विशेष तनाव ही फैला, उसके बावजूद चीन लगातर हथियारों का जखीरा भारतीय सीमा पर इकठ्ठा कर रहा है और हमेशा हमारे विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाए हुए

है।

- यद्यपि भारत ने चीन के साथ हमेशा आर्थिक सहयोग की भावना रखी, लेकिन चीन लगातार हमारी आर्थिक हितों को अनदेखा करता रहा, राजनयिक स्तर पर भी और हिंदमहासागर के एक देश के रूप में भी।
- चीन लगातार अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है और भारत के सामुद्रिक हितों के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। यह हमारे लिए एक और बड़ी चिंता की बात है।
- चीन सीमा पर सड़कों का जाल बिछा कर एक तरह से पाकिस्तान और श्रीलंका की मदद कर रहा है। इससे हिंदमहासागर में भारत के प्रभुत्व को कड़ी चुनौती मिल रही है।
- जबसे केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से भारत सोची-समझी रणनीति के तहत नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इन देशों की यात्रा से एक उचित वातावरण भारत के पक्ष में बना है। भारत अब चीन और पाकिस्तान द्वारा संभावित खतरे से निबटने के लिए अपनी सुरक्षा और खुफिया स्रोतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम असरदार तरीके से उठा रहा है।

आंतरिक चुनौतियाँ

माओवाद

- पाकिस्तान और चीन से लगातार सहायता प्राप्त कर रहे माओवादी भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं।
- माओवादियों द्वारा की गई हिंसा के कारण अब तक हजारों सुरक्षा बल के जवान और आम नागरिक मारे जा चुके हैं। भारत के

लगभग 200 जिलों में फैले अतिवामपंथी विचारधारा के इन अतिवादियों के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है।

- ये माओवादी अब पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादी समूहों के साथ सांठ-गांठ कर साझा हमले की कोशिश कर रहे हैं।
- पूर्वोत्तर में सक्रिय अलगाववादी संगठन म्यांमार और बांग्लादेश के अपने गुप्त ठिकाने से भारत विरोधी गतिविधियाँ चला रहे हैं और उग्रवादी हमले का संचालन कर रहे हैं।

जबरन धर्मांतरण

- धन और बल के सहारे मसीही और जिहादी गतिविधियाँ चलाकर देश की जनसांख्यिकी ढांचे को बिगाड़ने का षड्यंत्र भारत में कई वर्षों से चल रहा है। यह हमारे लिए एक गंभीर आंतरिक खतरा है।
- धर्मांतरण के खेल में देश के बाहर की एजेंसियाँ भी लगी हैं, जो मुक्त हाथ से धन का और गुंडों का प्रयोग कर रही हैं।
- जबरिया धर्मांतरण एक गंभीर विषय है, क्योंकि इससे हमारा भाईचारा और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है।
- धर्मांतरण हमारे यहाँ राजनैतिक रूप से एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि भारत की कई राजनैतिक पार्टियाँ या तो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही हैं, या फिर खामोश समर्थन दे रही हैं।
- हमारे कई राज्यों में धर्मांतरण इतना ज्यादा हुआ है कि वहाँ की पूरी तरह बदल गया है। ऐसे राज्यों के लोगों में आक्रोश और गुस्सा है जो कभी भी फट सकता है।

आर्थिक चुनौतियाँ

- वर्ष 2015 का सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना सर्वेक्षण यह बताता है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी किस तरह से गरीबी की जिंदगी जीने को विवश है।

- 60 साल के कांग्रेस के शासन में 60 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी बदहाली की स्थिति में है।
- देश की लगभग 75 फीसदी आबादी की मासिक आय 5000 रुपये से भी कम है।
- 30 फीसदी आबादी के लिए आज भी खेती ही एकमात्र जीविका का साधन है।
- परंतु 56 फीसदी ग्रामीण आबादी के पास आज भी कोई भूमि नहीं है।
- लाखों लोग भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं।
- 13 फीसदी से अधिक लोग आज भी कच्चे मकान में रहते हैं।
- 11 करोड़ लोग फटेहाली की स्थिति में हैं।

अर्थव्यवस्था से संबंधित सामाजिक मुद्दे

- भारत में कुपोषित महिलाओं और बच्चों की संख्या काफी अधिक है।
- प्रसव के दौरान मृत्यु की दर भी भारत में काफी अधिक है जो यह बताती है कि लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ अभी भी नहीं पहुँच रही हैं।
- भ्रूण हत्या एवं शिशु मृत्यु के कारण लैंगिक औसत में बालिकाओं की संख्या कमती जा रही है। हरियाणा, पंजाब और उत्तप्रदेश में यह औसत खतरनाक स्थिति तक पहुँच गई है।
- इस लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए भाजपा ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, का अभियान चलाया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ आज भी दूर की कौड़ी बनी हुई हैं।

- हमें यह ध्यान रखना होगा कि आधुनिकीकरण का मतलब पश्चिमीकरण नहीं है।
- वैश्वीकरण के नाम पर भारत के उद्योगों और यहाँ की परंपरा व संस्कृति को दांव पर लगाया जा रहा है।
- भारत को विदेशी सामानों का गोदाम बनाने के कारण हमारे परंपरागत उद्योग व लघु उद्योग खतरे में पड़ गए हैं।
- परंपरागत रूप से भारत के दस कुशल समुदाय जिन्हें हम सामूहिक रूप से विश्वकर्मा कहते थे और जिनमें बढ़ई, बुनकर, सुनार, लुहार, कुम्हार, चर्मकार, निर्माण मिस्त्री और ठठेरा कहते थे, उनके हाथ से काम छिन रहे हैं और अब वे किसी और रोजगार की तलाश में भटकने को मजबूर हो गए। आवश्यकता है कि फिर से इन्हें प्रशिक्षित किया जाए और भारत सरकार के स्कील इंडिया कार्यक्रम में इन्हें शामिल किया जाए।
- युवाओं के कौशल विकास के द्वारा रोजगार की ओर उन्मुख कर बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं। मुद्रा बैंक भी युवाओं में उद्यमशीलता बढ़ाकर इस समस्या के समाधान के रूप में सामने आया है।

सामाजिक मुद्दे

- भाजपा सरकार ने स्वच्छ भारत के लिए क्लीन इंडिया मिशन की शुरूआत की है।
- स्वच्छता के जरिए कई जानलेवा बीमारियों से हम बच सकते हैं।
- गंगा सफाई योजना हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
- इस अभियान को देश की अन्य नदियों से जोड़ने की जरूरत है।
- हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक शहरों को अतिक्रमण और गंदगी से

सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।

- ऐतिहासिक और पौराणिक महत्त्व के भवनों और स्थलों की सुरक्षा के प्रति स्थानीय लोगों को जागरूक करना आवश्यक है।
- देश के प्रत्येक नागरिक के लिए स्वच्छ जल पीने के लिए मुहैया हो।
- हर घर बिजली और स्वच्छ पानी भाजपा सरकारों का लक्ष्य हो।
- देश को शत-प्रतिशत साक्षर बनाना भी भाजपा का लक्ष्य है।
- समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं हो सकता बल्कि इस पर असरदार तरीके से अमल और जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है।

❍

5. कार्यकर्ता विकास

- हमारी पार्टी 'कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। कार्यकर्ताओं का समुचित विकास ही, स्वस्थ नेतृत्व की गारंटी है।
- सत्तावादी राजनीति कार्यकर्ताओं को परस्पर स्पर्धी बना देती है। इससे कार्यकर्ताओं के संस्कारों का क्षय एवं विचारों का वर्धन होता है। भाजपा का कार्यकर्ता परस्पर सहयोगी है, जिस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये हमारा संगठन बना है, उसे कार्यकर्ताओं की सामूहिकता एवं टीम भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है।
- अत: कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो, उदाहरणस्वरूप व्यवहार हो तथा उसे समाजशास्त्र व मनोविज्ञान की समुचित जानकारी हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।
- कार्यकर्ता के विकास में दायित्व के निर्वहन की निर्णायक भूमिका होती है। इसलिये हर कार्यकर्ता के लिये संगठन में काम होना चाहिये तथा हर काम के लिये कार्यकर्ता उपलब्ध होना चाहिये।
- पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना की बैठक कार्यकर्ता की चिन्तन प्रक्रिया एवं निर्णय प्रक्रिया को चालना देती है। अत: हर कार्यक्रम के बाद समीक्षा बैठक होनी चाहिये इससे कार्यकर्ता में आत्मालोचन का भाव जगता है।
- हर कार्यकर्ता कहीं न कहीं टीम का हिस्सा हो तथा कुछ न कुछ उसको स्वतंत्र दायित्व हो, इससे उसमें सामूहिकता एवं नेतृत्व के गुणों का विकास होगा।
- हम 'जन संगठन' हैं कार्यकर्ता को जनभिमुख होने के पर्याप्त अवसर होने चाहिये। आम सभाओं वनुक्कड़ सभाओं को सम्बोधित

करना, आंदोलनों को संचालित करना आदि।

- अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है। कार्यकर्ता को अध्ययन के लिए प्रेरित करना तथा अध्ययन की व्यवस्था करना जरूरी है। कार्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था कार्यकर्ता के विकास की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।
- जिज्ञासा, सहिष्णुता, सामूहिकता एवं सक्रियता कार्यकर्ता के व्यक्तित्व विकास की कुंजी है। ❍

6. हमारी कार्यपद्धति

कार्यपद्धति हमारी विचारधारा की परिचायक है। कार्यपद्धति हमारे संगठन को सन्नद्ध और सशक्त बनाने की एक सुविचारित प्रक्रिया है।

विचारधारा के क्रियान्वयन का एक साधन है हमारी कार्यपद्धति। अगर कार्यपद्धति में कुछ कमियाँ रहती हैं, कार्यपद्धति अपनाने में हमारी कुछ भूल होती है तो उसका परिणाम हमारी विचारधारा के प्रभाव पर भी होता है। इसलिए हमारी कार्यपद्धति हमारी कालजयी विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने की वाहक है।

कार्यपद्धति के दो अंगः

1. सांगठनिक व्यवहार-पद्धति
2. व्यक्तिगत व्यवहार-पद्धति

सांगठनिक और व्यक्तिगत पद्धति का स्वाभाविक उद्देश्य है, संगठन को ताकत देना, बलशाली करना।

विचारधारा संगठन का उद्देश्य है, हमारी प्रेरणा भी है, मगर एकव्यापक, उच्चतर मिशन के लिए हम काम करते हैं तो वह मुख्यतः संगठन के लिए और संगठन के सहारे करते हैं। इसलिए सांगठनिक व्यवहार पद्धति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

व्यवहार पद्धति के मुख्य अंग निम्नानुसार है-

1. **मनुष्यों का संगठनः** स्नेह और परस्पर मित्रता के आधार पर व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य। जो जुड़ता है वह जुड़ा रहे इसके लिए करणीय प्रयास। हर सदस्य को कार्यकर्ता और कार्यकर्ता को संगठन का सक्रिय कार्यकर्ता बनाना, यह इन प्रयासों की दिशा है। इस प्रयास में हमें सभी के प्रति स्वीकार का दृष्टिकोण रखते हुए

उनके अंदर कार्य की प्रेरणाविशुद्ध रूप में सजग रहे और उसी विचारधारा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता बरकरार रहे, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा।

एक कार्यकर्ता के नाते हमारी सोच और हमारा आचरण कैसा हो?

- सहज उपलब्धता, सादगी, निर्भीकता, अनुशासित आचरण, विश्वसनीयता, संवेदनशीलता, समयानुशासन, वाक्कुशल।
- परनिन्दा, आत्मस्तुति, व्यक्तिगत दुराग्रह, पूर्वाग्रह से बचना।
- पद नहीं, दायित्व का भाव।
- पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान, नए का स्वागत।
- कथनी और करनी में सामंजस्य।
- सफलता और श्रेय सबको, असफलता का दायित्व अपने को।
- स्वयं के प्रति कठोर और दूसरों के प्रति नम्र।
- ज्यादा बोलने व चेहरा देखकर बोलने से बचना।
- अपनी ही न सुनाएं, दूसरों को भी बोलने दें और उन्हें भी सुनें।

2. **परस्परताः** एक दूसरे के सहारे ही संगठन आगे बढ़ता है। इसलिए मधुर परस्पर संबंध संगठन की पूर्वावश्यकता है। दूसरे के प्रति विश्वास, निरंतर और खुलकर संवाद और हमें एक-दूसरे की सहभागिता मूल्यवान है यह धारणा, यह सब परस्परता के लिए अति आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा राजनीति में हमेशा हावी होती है, मगर परस्परता के माध्यम से हम प्रतिस्पर्द्धा की दाहकता कम कर सकते हैं। स्नेह, सद्भावना और सहयोग परस्परता के मूलाधार हैं।

3. **सामूहिकताः** संगठन के मजबूत नींव का दूसरा नाम है, सामूहिकता। सामूहिकता का मतलब है एक समूह के रूप में हमारे क्रियाकलापों के क्रियान्वयन का विचार। सामूहिकता का सूत्र है 'सबको साथ

लेकर' यानि संगठन के सभी को सहभागिता का अवसर देते हुए। संभवतः हर काम के लिए अलग कार्यकर्ता और हर किसी कार्यकर्ता के लिए एक विशिष्ट कार्य, यह दृष्टिकोण हमें रखना होगा। सामूहिकता का आग्रह हमारे व्यवहार से झलके। 'मत अनेक-निर्णय एक' यह हमारे सामूहिकता का सार है।

4. **संवादः**
   - मतभेदों के बावजूद, संवाद मतभेदों से बचाता है।
   - अनेक मतों के बावजूद एक मत विकसित करने में संवाद की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
   - ऊपर की और नीचे की ओर से बराबर के स्तर पर समान रूप से संवाद।
   - संवाद औपचारिक निर्णय लेने में सहायक होता है।
   - संवादहीनता अनेक बार भ्रम, अविश्वास व दूरियां बढ़ाता है।
   - अस्तु, समस्याओं का समाधान संवाद से, संवाददाता से नहीं।
   - वार्तालाप, बैठकें, पत्राचार, गोष्ठियाँ आदि संवाद के माध्यम हैं।

5. **संपर्कः**
   - नियमित कार्यालय आना।
   - नियमित व नियोजित प्रवासी कार्यकर्ताओं की योजना व व्यवस्था।
   - कार्य के लिए संपर्क के साथ-साथ अनौपचारिक एवं पारिवारिक संपर्क की आवश्यकता।
   - प्रवास एवं बैठकें संपर्क के साधन।
   - प्रभावी व्यक्तित्व तथा राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान रखने वाला प्रवासी कार्यकर्ता ही समाज को जोड़ सकता है।

6. **अनुशासनः**
   - अनुशासन का उद्देश्य कार्यकर्ता को संगठन से अलग करना नहीं है। अनुशासन का उद्देश्य उसे संभालना है।
   - अनुशासनहीनता को रोकने के लिए दल के संविधान में प्रदत्त नियमों का पालन।
   - स्वानुशासन का प्रशिक्षण, पालन और सम्मान।

कार्यपद्धति के उपकरण

1. **कार्यक्रमः**
   - संगठनात्मक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक।
   - सूखा, बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा।
   - आम आदमी की आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संघर्ष।
   - समाज के स्वयंसेवी संगठनों का गठन और उनमें भागीदारी।
   - गोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
   - ऊपर की इकाई द्वारा जिलाधारित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
   - अपनी इकाई क्षेत्र की जनसमस्याओं को लेकर आंदोलन।
   - धरना, प्रदर्शन आदि प्रजातांत्रिक एवं अहिंसात्मक आंदोलन।
   - सत्तापक्ष एवं विपक्ष की भूमिका के अनुसार कार्यक्रम।
   - संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय निर्वाचनों के लिए चुनाव प्रबंधन।
   - कार्यक्रमों में कार्य विभाजन, अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद समीक्षा और आवश्यकतानुसार सुधार।

2. **बैठकें:**

कार्यसमिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का सकारात्मक वातावरण बना रहे, इस बारे में व्यवहार की आवश्यक सावधानियाँ रखना, बैठक की पूर्व तैयारी, बैठक में लिए गए विषयों को निर्णयों तक पहुँचाना। पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यत: कम से कम निम्नलिखित अवधि में होगी–

- राष्ट्रीय परिषद् तथा प्रदेश परिषद – वर्ष में एक बार।
- राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी – तीन महीने में एक बार।
- क्षेत्रीय समिति, जिला समिति, मंडल समिति – दो महीने में एक बार।
- स्थानीय समिति – एक महीने में एक बार।

बैठकों में सादगी हो, समय निर्धारित हो, विषय तय हो, बैठक लेने वाले के नाम व बैठक में भाग लेने वालों का स्तर तय हो।

कार्यपद्धति के बुनियादी सूत्र

- संगठन के स्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, सर्वग्राह्य – सर्वग्राही बनाना।
- प्रत्येक स्तर पर नेतृत्व में सभी वर्गों को योग्य स्थान देना।
- सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों, मीडिया आदि से सतत संपर्क व संवाद।
- मीडिया से संपर्क आवश्यक किंतु मात्र छपने के लिए मीडिया के हाथों में खिलौना न बनें।
- कार्यकर्ता का स्थान कर्मचारी और नेता का स्थान मैनेजर न ले।
- प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और कार्य के लिए कार्यकर्ता की व्यवस्था।

- हमारे कार्यों में न धन का अभाव रहे और न धन का प्रभाव।
- संगठन में पसीना और पैसे में संतुलन रखा जाए वैचारिक एवं सांगठनिक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन।
- संगठन की गतिविधियों में लोकतांत्रिक पद्धति का अनुसरण सर्वानुमति के लिए प्रयास।
- प्रत्येक बूथ में जाना, प्रत्येक गली में घूमना, प्रत्येक दरवाजे पर दस्तक देना तथा प्रत्येक मतदाता से बात करना।
- संगठन, स्थानीय निकायों, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय चुनावों के प्रबंधन की समुचित व्यवस्था।
- चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन।
- प्रत्याशी चयन के पूर्व व्यापक विचार – विमर्श किंतु प्रत्याशी की घोषणा के बाद विजय हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास करना।
- संगठन तथा सरकार में 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत का यथासंभव पालन। ❍

7. भारत की सामाजिक व्यवस्था

पं. दीनदयाल उपाध्याय ने कहा है –''समाज जीवन की विविध आवश्यकताओं में से किसी न किसी आवश्यकता को पूरा करने में सहभागी होकर व्यक्ति के लिए समष्टि धर्म का पालन करना सुलभ हो और साथ ही अपना विकास करते हुए समाज सेवा के लिए अधिकाधिक समर्थ बने, इसी दृष्टि से हमारे यहाँ वर्णव्यवस्था का जन्म हुआ। वर्णव्यवस्था में जो लोग ऊँच–नीच का भेद देखते है, वे वास्तव में अंधे है। वर्णव्यवस्था भेदकारी न होकर एक एकात्म व्यवस्था है।

भारतीय समाज में जातियाँ पहले कर्म के आधार पर स्वीकार की गई–जैसे–लोहे का काम करने वाला लोहार, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई, स्वर्णकार, नाई, धोबी, छोटे किसान–साग सब्जी उगाने वाले माली वर्ग में जाने गये। किंतु धीरे–धीरे ये जातियाँ जन्म पर आधारित स्वीकार की जाने लगी क्योंकि परंपरागत व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे और धर्म ग्रंथों ने भी अपने ही व्यवसाय को आगे बढ़ाने की सलाह दी। यहाँ तक कि महात्मा गाँधी ने भी परंपरागत व्यवसाय द्वारा ही आजीविका कमाने पर बल दिया है। जो वर्ण व्यवस्था जातियों को व्यवस्थित कर समाज की उन्नति का कार्य कर रही थी, जाति जन्म आधारित होने के बाद से उस व्यवस्था को नकारा जाने लगा। जाति व्यवस्था कभी गुण आधारित रही होगी किंतु आज यह सामाजिक जीवन में दोष के रूप में उभर कर आ रही है।

'पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस पर अपनी राय प्रकट करते हुए कहा हैं।– किसी काल में व्यक्ति और समाज की धारणा तथा उन्नति के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई वर्ण व्यवस्था की प्राचीन चौखट आज यदि कालबाह्य हो गई है, तो उसे छाती से लगाने बैठने, उसके नाम से आँसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतः चौखट चित्र के लिए

होता है चित्र चौखट के लिए नहीं/पुराना चौखट जीर्ण-जीर्ण हो गया है तो कालानुरूप नया चौखट खड़ा किया जा सकता है, करना भी चाहिए। उसे खड़ा करना आज का युग धर्म होगा।''

भारतीय समाज में जातिवाद सिर चढ़कर बोलने वाला जादू बन गया है, जो राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए देश के संतुलित विकास व सहभागिता के लिए घातक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे धार्मिक नेताओं ने व डॉ. राम मनोहर लोहिया जैसे राजनैतिक चिंतकों ने जाति को समाज के लिए लेडूबूउपादान माना है। महात्मा फूले, डॉ. अम्बेडकर ने भी जातिविहीन समाज की अवधारणा को स्थापित करने हेतु, आजीवन कार्य किया है। सांस्कृतिक व राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जाति तत्व को समाप्त करने हेतु अनेक ठोस कदम उठाये है। संघ जाति का खंडन कर व्यक्ति के समग्र विकास का पक्षधर है। गाँधी जी मानते है कि ये वंशानुगत विषमतायें दूर होनी चाहिए क्योंकि समाज के कल्याण की दृष्टि से यह हानिकर है। स्वामी विवेकानंद ने ऊँच-नीच का खंडन करते हुए उच्च वर्ग को फटकारा है, 'अगर मजदूर काम करना बंद कर दे तो आपको रोटी और कपड़ा मिलना भी बंद हो जाएगा और आप उन्हें नीच वर्ग के लोग समझते है और उनके आगे अपनी संस्कृति का ढ़ोल पीटते है। अपने को जिन्दा रखने के संघर्ष के कारण उन्हें ज्ञान का जागरण का अवसर नही मिला।''

हमारे सभी महापुरूष समरस समाज के लिए कटिबद्ध थे। अतः हमें जाति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करना चाहिए।

ओबीसी का परिचय

मुस्लिम शासकों ने अत्याचार व प्रलोभन द्वारा इन जातियों के बहुत लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया जिससे गरीब असहाय स्थिति में रहने वाली परंपरागत व्यवसायों में लगी बड़ी आबादी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। किंतु उनकी जाति नही बदली क्योंकि

व्यवसाय नहीं बदला। फलस्वरूप आज भी मुस्लिम आबादी का 85-90 प्रतिशत पिछड़ी जातियाँ हैं।

पारंपरिक व्यवसायों में लगी श्रमजीवी जातियों को पिछड़ी जातियों के रूप में अंग्रेजों ने माना। वन व पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाली जातियों को जनजातियाँ व एक स्थान पर न रहकर घूम-घूमकर जीविका अर्जित करती है, उन्हें घुमन्तू जातियाँ कहा जाने लगा। अंग्रेजी शासन में अनेक, जातियों को बाकायदा जरायमपेशा यानी क्रिमिनल कास्ट के रूप में घोषित कर दिया गया। देश की अधिक जनसंख्या, हजारों जातियों के जंजाल में फंसकर रह गई। इन जातियों को किसी भी समय विशेषकर मुस्लिम शासकों व अंग्रेजों ने समाज व देश की मुख्य धारा से अलग-थलग कर दिया। संविधान में अस्पृश्यों व स्पृश्यों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना। किंतु अस्पृश्यों को विशेष सुविधायें देते समय बाबा साहब डॉ. अंबेडकर ने उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए सरकार को राजी कर लिया। अतः सरकार ने जिन जातियों को सूचीबद्ध किया वे अनुसूचित जातियाँ (एस.सी.) वर्ग में आ गई और वन्य जातियों को अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के रूप में सूचीबद्ध किया गया। एस. सी/एस.टी. को नौकरियों के अतिरिक्त विधायिका में आबादी के आधार पर 15 प्रतिशत व 7.5 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया।

इन सभी जातियों को पिछड़ी जातियों के नाम से संविधान में चर्चित किया है। एस.सी/एस.टी की सूचियाँ बनने के बाद जो श्रमजीवी जातियाँ व घुमन्तू जातियाँ बची वे/अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में जानी गई। मंडल आयोग ने भी इनकी पहचान के लिए लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में हिन्दू, मुस्लिम, सिख व ईसाई आबादी को परंपरागत व्यवसाय के आधार पर ओबीसी की सूची में डाल दिया। 1. कम जमीन वाले किसान 2. बटाई या किराये की जमीन पर खेती करने वाले किसान 3. कृषि आधारित मजदूर 4. सब्जी की खेती 5. बागवानी 6. पशुपालन 7. भेड़ पालन 8. मछली पालन 9. सूअर

पालन 10. शिकार 11. कसाई 12. चमड़े की रंगाई 13. चमड़े की वस्तु बनाना 14. सूत कताई व बुनाई 15. उन की बुनाई 16. रेशम की बुनाई 17. रंगाई 18. चटाई बनाना 19. टोकरी बनाना 20. रस्सी बनाना 21. कपड़े धोना 22. लकड़ी उद्योग 23. लोहे का काम 24. केश कलाकार 25. तेल निकालना 26. मिट्टी के बर्तन बनाना 27. ताड़ी उतारना 28. तांबे के बर्तन बनाना 29. सफाई करना 30. नर्स का काम 31. दाई 32. नाव चलाना 33. पान की खेती 34. नमक बनाना 35. चूना बनाना 36. ज्योतिष कार्य 37. नट व तमासवीन 38. नृत्य गायन 39. भविष्य बताना उपरोक्त व्यवसायों में लगे लोग सामान्यत:-ओबीसी वर्ग में आते है।

ओबीसी की सामाजिक स्थिति

भारतीय समाज में श्रमजीवी वर्ग की कोटि में आने से सेवा कार्यों के कारण आवश्यक तो माना गया किंतु अन्य वर्गों के समान इन्हें कभी सम्मान नही मिला। जाति व्यवस्था जन्मजात होने के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति दीन-हीन ही है। जाति व्यवस्था के चलते अभी इस वर्ग को सम्मान की तलाश है। नगरों महानगरों में आकर बसे लोग अपनी पहचान छिपाने में ही पूरी ऊर्जा नष्ट कर देते है। कुछ स्वयं को ब्राह्मण, कुछ क्षत्रिय बनकर अपनी पहचान छिपाकर अपमान से बचने का असफल प्रयास कर रहे है। कारण स्पष्ट है हाथ से काम करके पसीना बहाकर रोजी-रोटी कमाने वालों का सम्मान करना हमारा समाज नहीं सीख पाया है। उस वर्ग में आने वाली जातियों को समानता का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है-यह जिम्मेदारी सवर्ण वर्ग की है। शिक्षा, विज्ञान व तकनीकी युग में यह कृत्रिम विभाजक रेखायें मिट जाएंगी ऐसी संभावना एवं आशा है।

ओबीसी की आर्थिक स्थिति

इस वर्ग की पूरी जनसंख्या शिक्षा के अभाव में सदियों से परंपरागत

व्यवसायों के माध्यम से मुश्किल से दो जून की रोटी व सामान्य वस्त्र, छोटे व कच्चे घरों में गुजर बसर कर रही थी किंतु आज से 50-60 वर्ष पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब अमीर में अंतराल बहुत अधिक नही था। पारस्परिक सहभागिता से सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल रही थी।

औद्योगीकरण के बाद पारंपरिक व्यवसायों में लगे लोगों को सबसे अधिक आर्थिक मार झेलनी पड़ी हैं-शिल्पकार समाजों के काम-काज ठप्प हो गए, क्योंकि बड़े उद्योगों ने लोहे-लकड़ी, वस्त्र उद्योग मिट्टी के बर्तन, दर्जी के काम, रंगाई धुलाई जैसे अनेक व्यवसायों को ठप्प कर दिया। परिणामस्वरूप पारंपरिक व्यवसायों में लगे लोग शिक्षा भी ग्रहण नही कर पाए-काम भी नही रहे तो भारी मात्रा में मजदूरी करने के लिए नगरों-महानगरों में चले गए। गाँव के गाँव सूने पड़ने लगे। कम से कम एक पीढ़ी ने मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर छोटी-मोटी नौकरी के योग्य बना लिया।

पूरी अर्थव्यवस्था में इस वर्ग की भागीदारी 5.7 प्रतिशत तक ही हो पाई है। बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति

आज पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जिन जातियों की गणना होती है, उनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के हर क्षेत्रों में इन जातियों का असीम योगदान रहा है। इस वर्ग से प्राचीन काल से ही शासक-प्रशासक से लेकर उद्यमी, व्यापारी विद्वान एवं ज्ञानी पुरुषों ने देश के सामाजिक जीवन को हर तरह से समृद्ध किया है। देश की गौरवपूर्ण गाथा इनके पराक्रम, उद्यम और मेहनत का परिणाम है।

देश जब पराधीन हुआ तब आक्रांताओं के समक्ष वीरतापूर्ण संघर्ष करने में भी इस वर्ग की अग्रणी भूमिका रही और शायद यही कारण रहा कि विदेशी शासकों ने सर्वाधिक इसी वर्ग पर आघात किये एवं

इनकी आजीविका के साधनों पर प्रहार किया। भारत के पारंपरिक उद्योग-धंधे, शैक्षणिक संस्थान, कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं भारतीय स्वशासन के सिद्धांतों एवं अवधारणा को नष्ट करने में विदेशी शासकों ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। फलस्वरूप देश का एक बड़े वर्गों को अपने पारंपरिक व्यवस्थाओं एवं उनके संसाधनों से वंचित कर दिया गया। इससे 'सोने की चिड़िया' कहे जाने वाले देश की जनता गरीबी का जीवन जीने पर मजबूर हो गई। इसी क्रम में भारतीय समाज में जातिगत-विभाजन बढ़ा एवं पराधीन राष्ट्र के संसाधनों की भयंकर दोहन एवं लूट से देश गरीबी की गर्त में धकेल दिया गया। देश जो पहले समृद्ध था एवं जहाँ संसाधनों की कोई कमी न थी, लगातार लूट एवं दोहन से संसाधन विहीन होने लगा। बचे हुए संसाधन एवं संपत्ति पर कब्जे के लिए विभिन्न समुदाय के बीच संघर्ष की स्थिति बनने लगी। फलतः समाज में खाईयां बढ़ने लगी एवं जातिगत विभाजन बढ़ने लगा।

जातिगत विभाजन बढ़ने से सामाजिक विसंगतियां बढ़ने लगी। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता के बढ़ने से एक बड़ा वर्ग साधनविहीन होकर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ गया। निरंतर उपेक्षा से यह वर्ग को अपने पूर्व के स्थान से तो नीचे आया ही, साथ ही इसकी भागीदारी देश-समाज के हर क्षेत्र में सीमित हो गई। ऐसी स्थिति में देश का एक बड़ा वर्ग उपेक्षित जीवन जीने पर मजबूर हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी इस वर्ग की सुध नहीं ली गई। फलतः इसका न समुचित विकास हुआ, न ही देश के विकास में इस वर्ग की अपेक्षित भागीदारी बन पाई। इस दिशा में अब कुछ गंभीर प्रयास सरकार के द्वारा हो रहे हैं, जिसका परिणाम भी अब सामने आने लगा है।

स्वतंत्रता के बाद से यह सबसे बड़ा वोट बैंक है जिसे सभी राजनैतिक पार्टियों विशेषकर कांग्रेस ने खूब इस्तेमाल किया। किंतु अनेक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री का पद

दिया। पहली बार पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की घोषणा की। उन्हें इस वर्ग का अभूतपूर्व सहयोग समर्थन मिला। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार देश की राजनीतिक इतिहास में स्वीकार किया कि पिछड़े वर्ग के सहयोग से भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। अभी संगठन और सरकार में इस वर्ग की भागीदारी बढ़ने की संभावना है।

❍

8. सामाजिक समरसता

भारत के संतो व समाज सुधारकों के निरंतर चेतना के फलस्वरूप, बुद्धिजीवियों व राजनीतिक दलों ने उन्नत भारत के निर्माण की दिशा में सामाजिक समरसता जो महान भारत के निर्माण की प्राण थी, निरंतर अपनाया। आज सभी वर्गों ने विकास के इस मूल मंत्र को अपनाना आवश्यक समझा हैं। सबके साथ बिना, सबका विकास संभव नहीं। देश की चंहुमुखी उन्नति के लिए सामाजिक समरसता एक मात्र आधार है। सामाजिक समरसता एक ऐसा विषय है इसे ठीक प्रकार से कार्यान्वित करना आज समाज एवं राष्ट्र की मूलभूत आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें सामाजिक समरसता के अर्थ का व्यापक अध्ययन करना होगा। संक्षेप में इसका अर्थ है समाजिक समानता। यदि व्यापक अर्थ देखे तो:- जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता का जड़ मूल से उन्मूलन कर लोगों में परस्पर प्रेम और सैहार्द बढ़ाना तथा समाज के सभी वर्गों के माध्यम एकता स्थापित करना। समरसता का अर्थ है 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' सभी को अपने समान समझना। सृष्टि के सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। उनमें एक ही चैतन्य विद्यमान है इस बात को हृदय से स्वीकार करना ही समरसता है।

स्वतंत्रता के बाद अस्पृश्य हिंदू जातियों को बाबा साहेब डॉ. भीमराव के जीवन भर के संघर्ष के बाद अनुसूचित कर दिया गया और वे अनुसूचित जातियाँ कहलाने लगी। जंगल व जल एवं वन्य क्षेत्रों में आवास करने व रोजी-रोटी कमाने वाली जातियों को अनुसूचित जनजातियों का नाम देकर उनके कल्याण के अनेक प्रावधान देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान के प्रावधान के अनुसार उनके मान-सम्मान, रोजगार, नौकरी विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई।

नमस्तक्षभ्यों रथकारेभ्यश्च ..... मृगयुभ्यश्चवो नमः॥ यजुर्वेद (16:27) में जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले सभी शिल्पकार जातियों को पूज्य माना है। इन्हें अर्थव्यवस्था व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ती करने वाली जाति कहा गया है। इन जातियों को शिव के समान पूजनीय माना अर्थात् ये जातियाँ समाज में शिवत्व के रूप में कल्याणकारी है। जीवनयापन की सुखमय कृति इसका कारण है। बहुत बड़ा वर्ग शैक्षिक व आर्थिक स्थिति तो दयनीय थी ही, उन्हें पहले से प्राप्त मान-सम्मान था वह भी समाप्त हो गया। ग्रामीण भारत की सहअस्तित्व की अवधारणा बीते समय की बात हो गई। यह वर्ग पिछड़े वर्ग के नाम से जाना जाने लगा जिन्हें ओबीसी कहा जाता है।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है-'मुझे लगता है कि इस देश के अन्दर मजबूती तभी आएगी, जब समरसता के वातावरण का निर्माण होगा। मात्र समता ही काफी नही है। समरसता के बिना समता असंभव है।' प्रधानमंत्री की चिन्ता है कि-'सामाजिक विषमताओं से देश टूटता जा रहा है और इससे बचाव का एक ही उपाय है-समभाव के साथ ममभाव। जब तक मैं तुम्हें अपना भाई नही मानूँ और जब तक तुम्हारे मन और जीवन में समरसता न आए, तब तक अन्तिम लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इसके लिए आवश्यकता है समभाव के साथ ममभाव की, क्योंकि इनमें से ही समरसता का अमृत निकलता है। यही अमृत समाज की संजीवनी बनता है।' इसके बाद और स्पष्ट करते हुए मोदी जी कहते है कि ममभाव व समभाव से ही केवल समरसता नहीं आएगी अपितु ममभाव-समभाव, सम्मान, समभाग से ही समरसता का मार्ग प्रशस्त होता है।

समय के साथ-साथ इन व्यवस्थाओं में अनेकों अनेक विकृतियाँ आती गई जिसके परिणामस्वरूप अनेक कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का

जन्म हुआ। इन सबके कारण जातिगत भेदभाव, छूआछूत आदि की प्रवृति बढ़ती गई।

भारत के पराभव काल में भी भरतीय चिन्तन के मूल तत्व 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' में कभी कमी नहीं दिखाई दी। रचनात्मकता हमेशा बनी रही। समरसता का भाव जागृत रहा। इतिहास साक्षी है। जब-जब भी मानव द्वारा निर्मित विनाशकारी शक्तियाँ शोषण व अन्याय की चरम सीमाओं को पार करती है तभी भारत की पुण्य भूमि पर संस्कृति सभ्यता एवं सद्भाव को समाज में प्रसारित करने के लिए भारत की इस पुण्य भूमि पर अनेक संतों, गुरूओं और महापुरूषों का आविर्भाव होता रहा हैं। इन पुण्य-आत्माओं ने अपने दिव्य ज्ञान से भारत को ही नहीं बल्कि पूरे संसार को सामाजिक विकृतियों व अपवादों से मुक्त कराकर सत्य, अहिंसा व सदाचार को बता कर समरसता का मार्ग दिखाया।

भारतीय संस्कृति के संवाहक राजनीतिज्ञों ने भी राष्ट्रीय समरसता की चेतना को सदा अपने मूल्यों में सबसे ऊपर जिन में डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी ने स्वतंत्र भारत के नवोन्वेश में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पूरी शक्ति से कार्य किया वे जानते थे कि सामाजिक समानता के बिना एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता। सबके साथ अच्छा और सकारात्मक व्यवहार ही समरस समाज बनाने का एक मात्र उपाय है। इसलिए इन्होंने समरसता हेतु सामाजिक न्याय के तत्वों को सर्वोपरि माना।

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी के ''अंत्योदय'' का उद्देश्य यही है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का जब तक उत्थान नहीं होता तब तक समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए सामाजिक एकता की आवश्यकता होती है। समाज में एकता की पूर्व शर्त है सामाजिक समता, जब समानता आयेगी तो सामाजिक एकता स्वत: आएगी, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए।

मोहनदास करम चन्द गाँधी भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। इनकी अवधारणा की नींव अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी। दो अक्टूबर को अर्न्तराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसान, मजदूर, महिला अधिकार, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण व अस्पृश्यता के विरोध में अनेक कार्यक्रम चलाएं। देश से भेद-भाव हटाए बिना, देश प्रगति नहीं कर सकता। इनका सिद्धांत अहिंसा अर्थात् सबसे प्रेम, बराबरी व समान समाजिक सम्मान के पक्षधर थे। सौहार्द के लिए अस्पृश्यता निवारण आंदोलन को शक्ति से चलाया। इससे मुख्य धारा से कटे लोग भी देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के भागीदार बने। समस्त भारत को समान दृष्टि देने के कारण इन्हें देशवासियों ने राष्ट्रपिता से संबोधित कर सम्मान दिया।

कर्पूरी ठाकुर :- स्वतंत्रता सेनानी राजनेता, पिछड़ों के नेता बिहार के दो बार मुख्यमंत्री रहे है। देश में पिछड़े वर्ग की 60 प्रतिशत आबादी की दशा भी निम्न जातियों जैसी है। इस वर्ग की दुदर्शा को आधार मानकर समाजिक स्थिति के कारण आरक्षण के मांग करने वाले पहले अग्रणी नेताओं में से है। अपने मुख्यमंत्री काल में पिछड़ों को आरक्षण व वर्गीकरण कार्य किया। आरक्षण वर्गीकरण का फॉर्मूला सर्वप्रथम इन्होंने बनाया जो इनके नाम से जाना जाता है। समरसता इनकी आरक्षण नीति का आधार है।

माननीय मोहन भागवतजी के अनुसार सामाजिक समरसता की शुरूआत स्वयं से करनी होगी। जीवन मूल्यों के आचरण पर जोर देना होगा। रूढ़ी-परम्पराओं को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर परखा जाना चाहिए, जो विफल हो अर्थात् जनकल्याण की प्रगति में बाधक हो उन्हें खारिज करना ही समरसता को लाना है। जाति-भेद से ही सामाजिक

समस्याएँ पैदा हुई है। देश के विकास के लिए सामाजिक एकता ही आधार है। सभी को समान अवसरों का मौका सामाजिक समानता का मुख्य आधार है। परम्परा के नाम पर सामाजिक भेदभाव को आगे और जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो राष्ट्र की उन्नति में बाधक हो।

स्वामी विवेकानंद ने भी राष्ट्र निर्माण के लिए देशवासियों को कुछ इसी रूप में आह्वान किया था। राष्ट्र उत्थान में हर देशवासी का सहयोग आवश्यक है। समरसता के बिना सहयोग मिथ्या भाव है। इनकी जीवन की अंतरलय यही थी कि भारत दुनिया में एक बार फिर राष्ट्रगुरू कहलाये। वे इस बात से आश्वस्त थे कि धरती की गोद में यदि ऐसा कोई देश है जिसने मनुष्य की हर तरह की बेहतरी के लिए ईमानदारी से कोशिश की है वह भारत ही है। जन ही जनार्दन है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि:–सम्प्रदाय मुक्त भारत, जाति मुक्त भारत। इससे भारत को एक उत्कृष्ट राष्ट्र बनाने का संकल्प परिलक्षित होता है। हम पंथ से ऊपर उठकर राष्ट्र की सोचे। परन्तु समाज जब तक एक जुट नहीं होगा, समरसता नहीं होगी तब तक भारत को गौरवशाली राष्ट्र बनाने का लक्ष्य नहीं साधा जा सकता। वर्तमान में देश के हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा सरकार द्वारा की गई है, ताकि हर नागरिक स्वयं को राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी समझे। संवैधानिक समानता के आधार पर देश का हर नागरिक अपनी क्षमता एवं योग्यता अनुसार योजनाओं का लाभ उठाकर सम्मानित जीवन यापन कर सकेगा।

वरिष्ठ नागरिक, नौजवान, स्त्री, बच्चे सभी राष्ट्रभाव से जुड़े रहे। सरकार ने उच्चशिक्षा तक मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति, युवाओं के लिए बिना गारंटी का स्वरोजगार के लिए कम ब्याज व सब्सिडी का ऋण, स्त्री, सुरक्षा, स्त्रियों की भागीदारी, स्त्री समानता, चुनाव योग्यता, शिक्षा

अधिकार, सुरक्षा, वृद्ध सुरक्षा जनस्वास्थ्य, सामाजिक कुप्रथाओं पर पाबंदी, तीन तलाक, छूआछूत निवारण, स्वच्छता आदि सैकड़ों योजनाएँ लागू की है ताकि हर नागरिक अपनी प्रगति का अवसर समान रूप से पा सकें। देश की उन्नति कुछ हाथों से नहीं सभी हाथों से सम्भव है।

गत कई दशकों से राजनीति मात्र लोकलुभावन सत्ता प्राप्ति के लिए प्रचलन में रही। इससे राष्ट्रीय भाव नगण्य हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय तुच्छ स्वार्थों को बढ़ावा मिला। स्वतंत्रता के नाम पर स्वछन्दता को मान्यता दी जाने लगी। भाषा, क्षेत्र व जाति के कारण राष्ट्रीयता गौण हो गई। इसका एक मात्र कारण समरसता का अभाव। समरसता व समानता के बिना राष्ट्र अकल्पित है। जब-जब भी राष्ट्रीय दलों ने राजनीति के साथ सामाजिक सुधार को गौण किया व अपने ऐजेण्डे में नहीं रखा राष्ट्रीय स्मिता फीकी पड़ी है। इसलिए राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए समरसता अति आवश्यक है। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों को अपनी योजनाओं में सामाजिक सुधार के कार्यक्रमों को शामिल करना चाहिए। वर्तमान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय योजनाओं में अपने सामाजिक सुधार की। परियोजनाओं को लागू किया है। जिससे भारत का आम नागरिक राष्ट्र से जुड़ा महसूस कर रहा है।

''सामाजिक समरसता'' वस्तुतः यह समाज के समस्त वर्गों के संगठन का एक अद्वितीय प्रयास है जिसका लक्ष्य एक विभेद मुक्त, आदर्श समाज का निर्माण करना है।

सामाजिक समरसता एकात्मकता का साक्षात्कार है। इसमें अभिन्नता है और सभी का सभी से एकत्व है। इसमें सामूहिक अस्तित्व की स्वीकृति है। समरसता समतामूलक बन्धुत्व पर आश्रित समाज का विचार है।

मूलतः समाजिक समरसता का उद्देश्य जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता

का जड़मूल से उन्मूलन कर लोगों को परस्पर प्रेम एवं सौहार्द बढ़ाना है। इसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों के मध्य एकता स्थापित करना है।

इस आन्दोलन में निरन्तरता है और व्यापकता है। समरसता के इस आन्दोलन का प्रभाव समाज जीवन के समस्त पक्षों अर्थात् सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं धार्मिक पक्ष पर समान रूप से पड़ रहा है।

समरसता का सुखद परिणाम यह होगा कि हम सबके विचार एक होंगे। इसे 'वयंहिन्दू राष्ट्रांग भूता' अर्थात् हम एक राष्ट्र के अंग है, यह एक अद्‌भुत आकांक्षा पूर्ण होगी। यही है एक भारत, श्रेष्ठ भारत का मूल मंत्र। ❍

9. आरक्षण के विविध आयाम

(क) आरक्षण की आवश्यकता

भारतीय समाज में जाति के आधार पर विषमता को डॉ. राममनोहर लोहिया ने इन शब्दों मे उजागर किया है और उसे समाप्त करने पर बल दिया है। 'हिन्दुस्तानी जीवन में जाति सबसे ज्यादा लेडूबू उपादान है। जो सिद्धांत में उसे नहीं मानते वे भी व्यवहार में उस पर चलते है'। ऊँची जातियाँ सुसंस्कृत, पर कपटी है, छोटी जातियाँ थमी हुई और बेजान है।

डॉ. अम्बेडकर ने भी राजनैतिक स्वतंत्रता को सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में अधूरा और बेमानी माना है। शूद्रों को दो भागों में विभाजित कर दिया स्पृश्य और अस्पृश्य उन्हें पिछड़ी जातियाँ कहा जाने लगा।

दलित वर्ग के लिए तो बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर ने निरंतर लड़ाई लड़ी जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ग को संसद, विधान सभाओं और अन्य निकायों में आरक्षण के साथ-साथ नौकरियों में शिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार की छूटों और रियायतों के लाभ का प्रावधान हो गया। इतना सब होने पर आज सरकारी नौकरियों में, अनु.जाति एवं जनजाति का कोटा पूरा नहीं हो पाया है। योग्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी से वंचित होने की घटनाएं उनके द्वारा आरक्षण की मांग को प्रबल कर रही है।

स्वतंत्रता के बाद वही लोग नौकरशाही व राजनैतिक सत्ता में रहे जो स्वतंत्रता के पूर्व भी सामाजिक दृष्टि से सबल और समर्थ थे। उच्च जातियों के शिक्षित लोगों ने नौकरियों पर एकाधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के पिठ्ठुओं-राजाओं ओर जमींदारो ने राजनीतिक सत्ता पर अपना नियंत्रण कर लिया। लोकतंत्रीय प्रणाली का भी एक विशेष वर्ग के लोगों

को ही लाभ मिला।

पिछड़े वर्गों के नाम पर जो कुछ लाभ मिले वे उन जातियों के लोगों को जो सवर्णों की भाँति कृषि भूमि के स्वामी थे ओर जिनके अनेक गाँवों की खाप (क्षेत्र) थी, जो संगठित थे एवं एक स्थान पर केन्द्रित थे और मत की राजनीति में संतुलन बिगाड़ सकते थे। इसके विपरीत वास्तविक पिछड़ी जातियाँ पूरे देश के गाँवों-गाँवों में बहुत थोड़ी मात्रा में सहायक या सेवक जातियों के रूप में बिखरी हुई थी। पहले के उदाहरण के तौर पर बिहार में कुर्मी और यादव उत्तर प्रदेश में कुर्मी यादव व जाट आदि जातियाँ आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से समर्थ होने के कारण राजनैतिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त कर पाई। इसके विपरीत बिखरी हुई जातियों की स्थिति बद से बदतर होती गई-जैसे-लकड़ी, लोहे के अन्य धातु कर्म करने वाली, कुम्हार, नाई, माली, मणिहार, तेली आदि अनेक जातियों की स्थिति त्रिशुंक जैसी बन गई। इन्हें अनुसूचित जातियों की तरह संवैधानिक संरक्षण भी प्राप्त नहीं हुआ और न ही वोट की राजनीति में इनकी पूछ हो सकी। परिणाम यह हुआ की इनकी स्थिति पहले से भी खराब हो गई। सभी राजनैतिक दलों ने पिछड़े वर्गों के उन्नयन की बात नारे के रूप में प्रयोग की परंतु किया किसी ने कुछ नहीं।

(ख) संविधान और पिछड़ा वर्ग

संविधान निर्माताओं ने समाज में जहाँ न्याय, स्वतंत्रता व बंधुता की बात की है वहाँ समता को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। भारत के संविधान के प्रारंभ में प्री-एंबल (संकल्प) में ही समता के तत्व को महत्त्व दिया है।

भारतीय समाज में व्याप्त असमानता सभी के संज्ञान में थी अतः विषमता की खाई को पाटने के लिए नौकरियों में समान अवसर देने की बात आई तो यह प्रश्न उठा कि बहुत बड़ी आबादी शिक्षा से सदियों से

वंचित रही है अतः योग्यता में बराबरी में आने में समय लगेगा। दूसरे समाज में वर्ग विशेष का वर्चस्व सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने में भी बाधा बन रहा था। अतः विकास की दौड़ में पीछे रह गए लोगों को मुख्य धारा में लेकर आने के उद्देश्य से विशेष अवसर प्रदान करने के प्रावधान संविधान में करना आवश्यक था एस.सी./एस.टी. के बाद ओबीसी को आगे लाने संबंधी प्रावधान मुख्यतः निम्न धाराओं में उपलब्ध है–

अनुच्छेद 14: राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध–

1. राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नही करेगा।
2. कोई नागरिक केवल धर्म मूलवंश, जाति, लिंग जन्म–स्थान या इनमें से किसी के आधार पर–
   - दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या
   - पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं तालाबों स्नान–घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम् के स्थानों के उपयोग के सम्बन्ध में किसी र्नियोग्यता, दायित्व, निबंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा।
3. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगा।
4. इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 26 (2) की कोई बाद राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा।

अनुच्देद 16: लोक नियोजनों के सम्बन्ध में अवसर की समता–

1. राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी।
2. कोई नागरिक केवल, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म–स्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जायेगा।
3. इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेंगी जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी पद पर किसी वर्ग या वर्गों के नियोजन या नियुक्ति के सम्बन्ध में ऐसे नियोजन विषयक कोई अपेक्षा निहित करती है।
4. इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अन्त

अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। 'अस्पृश्यता' से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा।

अनुच्छेद: 26(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

अनुच्छेद: 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचितजनजातियों और अन्य

दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि–

राज्य, जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा।

(ग) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का इतिहास

i. स्वतंत्रता पूर्व

पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण दक्षिण भारत के मद्रास और मैसूर राज्यों में उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही प्रारम्भ हो गया था। उस समय सार्वजनिक सेवाओं में ब्राह्मणों का बाहुल्य था। अतः पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में व्यवस्था करनी पड़ी। मैसूर राज्य में 1878 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था की गयी थी। साम्प्रदायिक आरक्षण के बावजूद नौकरियों में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। 1865 में मैसूर सरकार ने एक सर्कूलर जारी कर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया और सन् 1914 में नामांकन द्वारा सहायक आयुक्तों की जगह पिछड़ी जातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई। सन् 1917 कोल्हापुर के महाराजा ने पिछड़े वर्गों और विशेषकर अस्पृश्यों के उन्नयन की बात मान्टेग्यू से की। आरक्षण व्यवस्था के बावजूद सन् 1918 में मैसूर सरकार ने महसूस किया कि राज्य सेवाओं में ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार ने अल्प प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता को महसूस किया और एतदर्थ मिस्टर मिलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। मिलर समिति ने यह मानकर रिपोर्ट दी कि पिछड़े वर्ग का तात्पर्य मुसलमानों सहित उन सभी जातियों और समुदायों से था जिनका राज्य की नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व था। समिति ने पिछड़े वर्ग की परिभाषा के अन्तर्गत सभी गैर ब्राह्मण समुदायों को सम्मिलित किया।

मैसूर और मद्रास के साथ-साथ त्रावनकोर कोचीन, आन्ध्र और केरल प्रान्तो में भी सरकारी नौकरियों में जातिगत कोटा के आधार पर आरक्षण लागू किया गया। बम्बई में सन् 1925 में कोटा के आधार पर आरक्षण लागू किया गया। बम्बई में सन् 1925 में सरकारी प्रस्ताव के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग का तात्पर्य ब्राह्मण, प्रभु मारवाडी, पारसी, बनिया और ईसाइयों को छोड़कर सभी अन्य वर्गों में लिया गया। सन् 1928 में हाटोंग समिति ने पिछड़े वर्ग की परिभाषा के अन्तर्गत ऐसी जातियों और वर्गों को रखा जो शैक्षिक रूप से पिछड़े थे।

उत्तर-प्रदेश में अस्पृश्यों को छोड़कर एक करोड़ 60 लाख जनसंख्या को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत माना गया। सन् 1930 में सटार्टे कमेटी ने बम्बई में यह सिफारिश की कि दलित वर्गों के अन्तर्गत अस्पृश्यों को रखा जाय तथा अन्य विस्तृत वर्ग को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत माना जाय और इस तरह के पिछड़े वर्ग को मध्यवर्ग के अन्तर्गत माना गया। साइमन आयोग ने मध्यस्थ जाति का जिक्र किया और गैर ब्राह्मण आन्दोलन के अस्तित्व को भी स्वीकार किया फिर भी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़े वर्गों का उल्लेख नहीं किया। परन्तु 1930 वाले दशक में पिछड़े वर्गों का नामोल्लेख अक्सर होने लगा। यूनाइटेड प्राविन्सेज में इण्डियन फ्रेन्चाइज कमेटी के समक्ष सुनवाइयों में पिछड़े वर्गों का उल्लेख किया गया। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसियेशन 1903 बहिष्कृत हितकारिणी संघ 1924 मद्रास प्रिविन्सियल बैंकवर्ड क्लासेज लीग 1934 और यूनाइटेड प्राविनसेज हिन्दू बैकवर्ड क्लासेज लीग 1929 ने पिछड़े वर्ग, पिछड़े समुदाय, पिछडे हिन्दू और गैर-ब्राह्मण समुदाय आदि नामों का प्रयोग किया। गैर-द्विज और हिन्दुओ के शूद्र वर्ग के लोगों को पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत रखा गया जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए किया गया और उन्हें अस्पृश्यों से ऊँचे स्तर का माना गया। मद्रास में 1947 में सरकारी सेवाओं में पिछड़े

हिन्दुओं के लिए आरक्षण किया गया।

पिछड़े वर्ग की न तो को निश्चित परिभाषा की जा सकी और न ही अखिल भारतीय स्तर पर उसे परिभाषित कर राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया जा सका। पिछड़े वर्गों को निम्नलिखित अर्थों में प्रयुक्त किया गया–

1 दलित वर्ग, अस्पृश्यों और अनुसूचित जातियों के पर्यायवाची के रूप में।

2 अस्पृश्य, आदिवासी और पहाड़ी जनजाति और अपराधी जनजातियों के अर्थ में।

3 ऊपर वर्णित समुदायों और गैर अस्पृश्य समुदायों के रूप में जिन्हें विशेष सुविधा की आवश्यकता है।

4 सभी गैर जनजातीय समुदायों के रूप में जिन्हें विशेष सुविधा की आवश्यकता है।

5 अस्पृश्यों को छोड़कर सभी समुदायों के रूप में जिन्हें विशेष सुविधा की जरूरत है।

6 सभी निम्नस्तरीय गैर अस्पृश्य के लिए।

7 उन सभी समुदायों के लिए अस्पृश्यों से ऊपर परन्तु अति उन्नयत समुदायों से पीछे है।

8 उन सभी समुदायों के लिए जो अस्पृश्यों से उपर गैर अस्पृश्य समुदायों के लिए जो सर्वोच्च जातियों की तुलना में पिछड़े है।

9 सर्वोच्च और अति उन्नत वर्गों को छोड़कर सभी समुदायों के लिए।

10 उन सभी वर्गों के लिए जो पिछड़ेपन के गैर साम्प्रदायिक कसौटी (निम्न आय) पर पिछड़े है।

संविधान सभा के विचार तथा संवैधानिक उपबन्ध

आरक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानों और संविधान सभा के विचार–विमर्श

से यह प्रतीत होता है कि पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जन जातियों के अतिरिक्त समाज के अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने की अपेक्षा की गयी थी। संविधान सभा में उत्तरी भारत के प्रतिनिधियों ने पिछड़े वर्ग को अस्पष्ट भावार्थ माना।

डॉ. के.एम.मुंशी ने बताया कि बम्बई में इस वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग सम्मिलित है। पिछड़े वर्ग आन्दोलन से सक्रिय रूप से जुड़े बिहार के श्री चन्द्रिका राम ने संविधान सभा को बताया कि पिछड़ा वर्ग, उच्च जातियों और अनुसूचित जातियों के बीच एक तीसरा वर्ग है । डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण स्थानीय सरकारें करेंगी। उनके अनुसार पिछड़ा वर्ग वह वर्ग है, जो सरकार के विचार में पिछड़ा है। परन्तु केन्द्रीय सरकार को इससे एकदम अलग रखा गया। राष्ट्रपति द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित कर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा के बारे में जाँच करने, उनकी परेशानियों को जानने तथा उसे दूर करने के उपायों को सुझाने की अपेक्षा की गयी। संविधान सभा में किए गये विचार विमर्श से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते है।

प्रथम ''पिछड़े वर्ग'' विशेषण का प्रयोग नौकरियों में आरक्षण के क्षेत्र को संकुचित करने के लिए किया गया।

द्वितीय, ''पिछड़े वर्ग'' के निर्धारण के आधार के बारे में मतैक्य नहीं था। सामान्य तौर पर यह विचार था कि मात्र आर्थिक आधार पर कोई वर्ग पिछड़ा वर्ग नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग घोषित होने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन ज्यादा विस्तृत भावार्थ माना गया।

तृतीय पिछड़े वर्ग का तात्पर्य दलित वर्ग व अनुसूचित जाति तक सीमित नहीं माना इसके अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग सम्मिलित माने गए।

चतुर्थ, पिछड़ेपन के निर्धारण में सरकार की मुख्य भूमिका को

स्वीकार किया गया।

पंचम, नौकरियों में आरक्षण की अवधि सीमा स्वीकार नहीं की गयी क्योंकि पंडित हृदय नाथ कुंजरू की दस वर्ष की अवधि की सीमा या कलकत्ता के प्रतिनिधि की 15 वर्ष की अवधि की सीमा स्वीकार्य नहीं हुई। सांविधानिक प्रावधानों के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है।

1 विधायिकाओं में आरक्षण मात्र अनुसूचित जाति/जनजाति/एंग्लो-इंडियन समुदायों के लिए दस वर्ष के लिए अपेक्षित था, जो अब 2000 ई0 तक के लिए सुनिश्चित किया गया है। (अनु0 334)।

2 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अलग-अलग आरक्षण अपेक्षित है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जानी अपेक्षित है और उनके लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 332 में वर्णित है। अत: अनुच्छेद 16 ओर अनु0 335 को एक साथ पढ़ने की अपेक्षा है। पिछड़े वर्गों का निर्धारण सरकारों द्वारा अपेक्षित है और अनुच्छेद 16(4) में उनके लिए आरक्षण व्यवस्था की गयी है। पिछड़े वर्गों का निर्धारण सरकारी आदेशों के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए किसी सांवैधानिक संशोधन या संसदीय या विधायी कृत्य की आवश्यकता नहीं है।

3 शैक्षणिक संस्थाओं सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों में राज्य को विशेष उपबन्ध बनाने के लिए अधिकृत किया गया है और इस उद्देश्य के लिए दोनों वर्गों का स्पष्ट उल्लेख है-प्रथम सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और द्वितीय अनुसूचित जातियाँ या अनुसूचित जनजातियाँ। (अनु0 15 (4))।

ii. स्वतंत्रता के बाद

संविधान लागू होने के समय तक अन्य पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों से अलग मानकर संरक्षण देने की व्यवस्था प्रारम्भ हो गयी थी। सन् 1947 में बिहार सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकुलेशन के बाद की शिक्षा में सुविधा देने की व्यवस्था प्रारम्भ कर दी थी और सन् 1951 में शिक्षा विभाग की तरफ से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की थी। इस वर्ग की जनसंख्या 60 प्रतिशत आंकी गई थी। सन् 1948 में उत्तर-प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की गई और 56 प्रतिशत थी। श्री देशमुख ने मार्च 1948 में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और मौलाना आजाद को पत्र लिखकर अन्य वर्गों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की माँग की थी, जो स्वीकार कर ली गयी और सर्वप्रथम 1948-49 के सत्र में अनुसूचित जातियों के सरकारें लाभान्वित होने वाली जातियों की सूची तैयार करने के लिए निर्देशित की गई। सन् 1946-50 के सत्र के लिए 2.46 लाख की वजीफे अन्य पिछड़े वर्गों को गई। सन् 1953-54 तक यह राशि 26.51 लाख हो गयी जो अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली राशि के बराबर थी। विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचियों के आधार पर केन्द्र ने सन् 1921 में पिछड़े वर्गों की सूची बनाई। जाति पिछड़ेपन के निर्धारण का प्रमुख आधार मानी गयी थी।

9 अप्रैल 1951 को निर्णयों के दो माह के अन्तर्गत संविधान का प्रथम संशोधन का अधिनियम पारित कर अनुच्छेद 15 में उपखंड(4) में उपबंधित किया गया कि 'इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 23 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्ही वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। 'कहना न होगा यह उपबंध पिछड़े वर्गों को सन्तुष्ट करने के

लिये किया गया। स्वयं पण्डित नेहरू ने स्वीकार किया कि इसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है कि यह संशोधन मद्रास में होने वाली घटनाओं के फलस्वरूप करना पड़ रहा है।

पिछड़े वर्गों के नामकरण के बावजूद इसका तात्पर्य जातियों और समुदायों की सूची से था। विधि मंत्री डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संशोधन की आवश्यकता पर बल देते हुए स्पष्ट किया था कि 'जिन्हें हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं वे कुछ निश्चित जातियों के संग्रह के अलावा कुछ नहीं है।''

पिछड़ापन आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक अनेक तत्वों का संगृहीत रूप है।

सामान्य तौर पर जाति पर आधारित पिछड़ेपन के निर्धारण को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। परन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में वास्तव में पिछड़े लोगों के निर्धारण के लिए ऐतिहासिक परिवेश को देखते हुए जाति को ध्यान में रखा जा सकता है।

राज्य सरकारों द्वारा पिछड़े वर्गों का निर्धारण एवं आरक्षण

अखिल भारतीय स्तर पर पिछड़ेपन के उपयुक्त एवं सूची के अभाव में प्रत्येक राज्य ने अपनी-अपनी तरह से राज्य में पिछड़े वर्गों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है।

(घ) काका कालेलकर आयोग

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग)

गठन-29.1.1953 रिपोर्ट-31.3.1955

(गृहमंत्रालय के दिनांक 26.1.1953 के नोटिफिकेशन नं. 70/53 द्वारा)

अन्य पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत पहचान की गयी जातियों की

संख्या–2399

पहचाने गये पिछड़े वर्ग

सम्पूर्ण जातियाँ	2399
● अति पिछड़ी जातियाँ	837
● शेष पिछड़ी जातियाँ	1562

पिछड़ेपन की बुराई के उन्मूलन के लिए सुझायें गये तरीके

1 सामाजिक घनिष्ठता और राष्ट्रीय विकास की नीति को स्पष्ट रूप से उजागर करना तथा प्रभावकारी रूप से लागू करना।

2 विवाह और उत्तराधिकार सम्बन्धी आवश्यक विधायन।

3 विधि द्वारा सामाजिक निर्योग्ताओं का निषेध।

4 सामाजिक समस्याओं पर साहित्य की उत्पत्ति और वितरण की व्यवस्था।

5 सामाजिक बुराइओं को हटाने के लिए प्रेस, फिल्म, प्लेटफार्म और रेडियों का उदार प्रयोग।

6 सरकारी गतिविधियों में जातीय भावना को बढ़ावा देने वाले सभी व्यवहारों का निषेध।

7 हस्त सम्बन्धी श्रम की गरिमा पर विशेष बल देने के उद्देश्य से शैक्षणिक व्यवस्था का पुनर्गठन।

8 सरकारी सेवाओं और सरकारी नियन्त्रणाधीन प्रतिष्ठानों में उस वर्ग के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना जिन्हें अब तक अवसर नहीं मिला है।

9 इन सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कला, साहित्य, विशेष सांस्कृतिक ग्रुप प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों की सहायता तथा उन्नति।

महत्त्वपूर्ण सिफारिशें

पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए आयोग की सिफारिशें अत्यन्त विस्तृत हैं। इसके अन्तर्गत विस्तृत भूमि सुधार, ग्राम्य अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन, भूदान आन्दोलन, पशुपालन, दुग्धशाला, जानवरों के इन्शयोरेन्स, मधुमक्खी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन, ग्राम्य और कुटीर उद्योग का विकास, ग्राम्य मकान योजना, सार्वजनिक स्वास्थ और ग्राम्य जल आपूर्ति, प्रौढ़ साक्षरता, विश्वविद्यालयी, शिक्षा, सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व आदि सम्मिलित है।

कमीशन की कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और स्मरणीय सिफारिशें निम्नलिखित है।

1 सन् 1961 की जनगनणना में जाति के आधार पर जनगणना कराना।

2 पारम्परिक सोपानात्मक हिन्दू जातीय व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न स्थिति वाले वर्गों की सामाजिक व्यवस्था के सम्बन्ध में।

3 सभी स्त्रियों को वर्ग के रूप में पिछड़ा मानना।

4 पिछड़े वर्गों के योग्य छात्रों के लिए तकनीकी और व्यवसायिक संस्थाओं में 70 प्रतिशत स्थान आरक्षित करना।

5 सभी सरकारी नौकरियों और स्थानीय निकायों में रिक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित तरीके से निम्नतम आरक्षण–

प्रथम श्रेणी	25 प्रतिशत
द्वितीय श्रेणी	33 1/3 प्रतिशत
तृतीय और चतुर्थ श्रेणी	40 प्रतिशत

कालेलकर आयोग की सिफारिशें और कांग्रेस सरकार का प्रतिकूल रूख

प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट मार्च 30, 1955 को

सौपदी-3 सितम्बर 1956 अर्थात् लगभग डेढ़ वर्ष के बाद आयोग की रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। रिपोर्ट के साथ गृहमंत्री का नोट प्रेषित था, जिसमें आयोग के सिद्धान्तों और निष्कर्ष से असन्तोष व्यक्त किया गया था। गृहमंत्री के नोट में इन असन्तोषजनक तथ्यों को उजागर किया गया था। प्रथम, यह कि जाति का सिद्धान्त अन्य समुदायों (मुसलमान और ईसाई) के लिये अनुचित था बल्कि यह वर्तमान जाति व्यवस्था को प्रोत्साहन देने वाला था, जिससे जाति व्यवस्था सतत् रूप से बनी रहे। द्वितीय, आयोग द्वारा जाति को छोड़कर निश्चित अन्य मानदण्ड अस्पष्ट थे। तृतीय, पिछड़े वर्गों की सूची मे जातियों की बाढ़ स्वयं इसकी सार्थकता को कम कर देती थी, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़कर ज्यादातर लोग पिछड़े वर्ग में आ जाते और वास्तव में पिछड़ों के बारे में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सकता था। चतुर्थ, जातीय सिद्धान्त से अलगाववादी खतरों के पनपने का भय था। पंचम, आयोग की सिफारिशों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए अनु0 340 की अपेक्षाओं के अनुसार और अधिक खोजबीन की जरूरत थी। षष्ठम, राज्य सरकार से अपेक्षा की गयी कि वे तदर्थ खोजबीन करके पिछड़े वर्गों की संख्या निश्चित करें और तब तक पूर्व स्थिति सूची के अनुसार पिछड़े वर्गों के लोगों के सभी प्रकार की युक्तियुक्त सुविधाएँ प्रदान करें।

आयोग की रिपोर्ट सदन पटल पर पड़ी रही और कई बार आन्दोलनों के बावजूद सन् 1965 के पूर्व बहस न हो सकी। अब राज्य सरकारों से अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं मिली तो केन्द्र सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से ग्राह्य सिद्धान्त का पता लगाने के लिए तदर्थ सर्वेक्षण करने का निवेदन किया। तीन राज्यों के सैम्पल सर्वे के आधार पर आय की सीमा सहित व्यवसायिक कसौटी अपनाने की सिफारिश की गई। व्यवसायिक कसौटी के बारे में राज्यों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया परन्तु पिछडेपन के निर्धारण की यह कसौटी भी नहीं चल

पाई, क्योंकि उप रजिस्ट्रार जनरल ने यह रिपोर्ट दी कि व्यावसायिक आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाना असम्भव है। 1960 के दशक में सामान्य हवा जाति या समुदाय के आधार पर पिछड़ेपन के निर्धारण के विरूद्ध थी। सन् 1961 में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने यह निर्णय लिया कि अन्य पिछड़े वर्गों की कोई सूची नहीं तैयार की जाए और राज्यों को सूचित गया कि भारत सरकार की दृष्टि में जाति की अपेक्षा पिछड़ेपन के निर्धारण में आर्थिक आधार पर ज्यादा बेहतर है। आर्थिक कसौटी पर पिछड़ेपन के निर्धारण की दलील को उच्चतम न्यायालय के बालाजी बनाम मैसूर राज्य और चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य के निर्णयों से ज्यादा बल मिला। प्रथम में यह निर्णय दिया गया कि जाति को अन्य या प्रमुख आधार बनाकर पिछड़ेपन का निर्धारण असंवैधानिक है, तो दूसरे में यह निर्णय सुनाया गया कि जाति को नजरअन्दाज कर आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों का निर्धारण संवैधानिक है।

सन् 1965 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों पर संसद में विचार के समय केन्द्रीय सरकार के वक्ता ने स्पष्ट और प्रबल शब्दों में साम्प्रदायिक सिद्धान्त का विरोध किया। यह कहा गया कि जातिगत सिद्धांत केवल प्रशासकीय तौर पर मुश्किल नहीं है, बल्कि गरीबों के प्रति अनुचित होने के कारण सामाजिक न्याय के प्रथम सिद्धान्तों के विपरीत है। केन्द्र ने आर्थिक आधारों पर पिछड़ेपन को मान्य बताया, परन्तु इसे राज्यों दिल्ली में मार्च 1966 में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर जातिगत आधार को पुनस्थापित कर चिर-प्रतीक्षित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की गई इसके साथ ही पिछड़े वर्गों की समस्याओं को निपटाने के लिए एक अलग मन्त्रालय खोलने की माँग की गई। बिहार में कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में रामनरेश यादव मुख्यमंत्री हुए। बिहार

प्रदेश में जून 1976 में मुंगेरीलाल आयोग ने अपनी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश की थी। कास्तकार वर्ग का राजनीति में वर्चस्व बढ़ रहा था। अत: द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना अवश्यम्भावी हो गयी।

(ड.) द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(मण्डल आयोग)

गठन तिथि 20.12.1978 रिपोर्ट तिथि 31.12.1980

अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में पहचान की गई जातियों की संख्या–3743

प्राप्त जनगणना 1931 आँकड़ों के अनुसार हिन्दू और गैर–हिन्दू अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या भारत की पूर्ण जनसंख्या का 52 प्रतिशत आँकी गयी। यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों की 22.5 प्रतिशत जनसंख्या के अतिरिक्त थी। आयोग ने इन 52 प्रतिशत जनसंख्या वाले अन्य पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत 3743 जातियों की सूची तैयार की।

आयोग की सिफारिशें

अन्य पिछड़ी जातियों के उन्नयन की समस्या देश की सामान्य गरीबी को दूर करने से पृथक है, क्योंकि अन्य पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन और गरीबी सभी सामाजिक स्थिति के कारण है, अत: सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन और अन्य पिछड़े वर्गों की समस्या के बारे में सत्तारूढ़ वर्गों की धारणा दोनों में परिवर्तन आवश्यक है। आयोग ने विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए अनेक सिफारिशें की है।

आरक्षण योजना और परिमाण सम्बन्धी सिफारिशें

आरक्षण का परिणाम या सीमा निर्धारित करते समय आयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित बाला जी बनाम मैसूर राज्य के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ। इस निर्णय में अपेक्षा की गई थी की आरक्षण की

सीमा सामान्य तौर पर सभी रिक्त पदों के 50 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।

आयोग ने नोट किया कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आबादी का 22.5 प्रतिशत है और इसलिए केन्द्रीय सरकार की सेवाओं, सार्वजनिक नियोजनों आदि में 22.5 प्रतिशत स्थान इन वर्गो के लिए सुरक्षित है। राज्यों में भी राज्य की सम्पूर्ण जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आबादी के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गये है।

हिन्दू और गैर हिन्दू पिछड़े वर्ग की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत है। आबादी के अनुपात के हिसाब से सभी केन्द्रीय सरकार के पदों पर 52 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गो के लिए होना चाहिए। परन्तु ऐसा करना उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों में निर्धारित सिद्धान्त से असंगत होना। विभिन्न निर्णयों में यह अपेक्षा की गयी है कि अनु015(4) और 16(4) के अन्तर्गत आरक्षण 50 प्रतिशत से कम होना चाहिए। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण का प्रतिशत उतना होना चाहिए जिससे अनु0 जातियों और जनजातियों के लिए निश्चित 22.5 प्रतिशत के आरक्षण को जोड़कर आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से कम रहे। जिन राज्यों में पहले से अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 27 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है उन्हें अप्रभावित रखने की सिफारिश की गई।

आरक्षण सीमा सम्बन्धी सिद्धान्त

1 अन्य पिछड़े वर्गो के जो योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता से चुने जाते है उन्हें 27 प्रतिशत के कोटे मे सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

2 उपरोक्त आरक्षण व्यवस्था सभी स्तरों की प्रोन्नति कोटा पर लागू होगी।

3 आरक्षित कोटा के अपूरित स्थान तीन साल तक अग्रनयित होते रहेंगे और उसके बाद अनारक्षित घोषित होंगे।

4 सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यार्थियों की भाँति ऊपरी उम्र में छूट दी जायेगी।

5 सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक श्रेणी की सेवाओं में अनुसूचित जातियों की भाँति रोस्टर प्रणाली लागू होगी।

आरक्षण क्षेत्र विस्तार

27 प्रतिशत आरक्षण की प्रणाली पूर्णरूपेण केन्द्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक सेक्टर के नियोजनों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में लागू होगी।

प्राइवेट सेक्टर के सभी नियोजन जो किसी तरह सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे है अपने कर्मचारियों के चयन में अपरोक्त आरक्षण लागू करने के जिम्मेदार होंगे।

सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों पर भी उक्त आरक्षण व्यवस्था लागू होगी।

आयोग द्वारा सिफारिशों को प्रभावकारी ढ़ंग से लागू करने के लिए सरकारों द्वारा पर्याप्त कानूनी प्रावधानों, वर्तमान अधिनियम में संशोधन, नियमों और प्रक्रिया बनाने की अपेक्षा की गई।

शैक्षणिक सहूलियतों की सिफारिशें

आयोग ने नोट किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली प्रबुद्धवादी प्रवृति की है और त्रुटिपूर्ण होने के कारण समय की अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं है यद्यपि यह अन्य पिछड़े वर्गो की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है फिर भी अन्य लोगों के साथ उन्हें इसी शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतियोगिता देनी है, इसलिए आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गो के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये।

1 विभिन्य राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए निःशुल्क शिक्षा, मुफ्त पुस्तकीय सहायता, मुफ्त वस्त्र, मध्यदिवसीय भोजन, विशेष छात्रावास और छात्रवृत्ति की व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता अतिरिक्त निधि देने की नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण और गम्भीर अध्ययन के लिए समान योजनाओं द्वारा उचित वातावरण और उत्प्रेरकों को उत्पन्न करने की है।

2 इस हकीकत को स्वीकार किया गया कि पिछड़े वर्गो के ज्यादा छात्र अपना अध्ययन सतत रूप से जारी नहीं रखते, दिलचस्पी नहीं लेते और अध्ययन छोड़ने वालों की दर उनमें ऊँची होती है। इसके दो कारण पाये गये। प्रथम, ये बच्चे आत्यन्तिक सामाजिक ओर सांस्कृतिक पृथक्करण में पले होते है अतः उनमें शिक्षा प्राप्त करने की उचित प्रेरक तत्वों की कमी होती है। द्वितीय, यह कि अधिकांशतः छात्र अत्यन्त निर्धन परिवारों से आते है और उनके माता-पिता कम उम्र से ही कुछ कार्य कर आमदनी करने के लिए मजबूर करते हैं। आयोग ने पाया कि सांस्कृतिक वातावरण को ऊपर उठाने की प्रक्रिया बड़ी धीमी है और बच्चों को कृत्रिम उच्च वातावरण में ले जा पाना देश के वर्तमान साधनों के बाहर है। अतः आयोग ने सिफारिश की इस समस्या का निराकरण दो तरीके से चुने आधारों पर होना चहिए।

- अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों से समयबद्ध और विस्तृत प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह मूल प्रेरक होगा-प्ररित माता-पिता बच्चों की पढ़ाई लिखाई में विशेष दिलचस्पी लेंगें।
- अन्य पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावकारी गम्भीर अध्ययन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों को खोला जाय। गरीब और पिछड़े छात्रों को लुभाने

के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की जाय। अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग सरकारी छात्रवास बनाए जाय। प्रौढ़ शिक्षा तथा उचित स्कूलों की सुविधा धीरे-धीरे विस्तृत पैमाने पर लागू की जाय।

3 चूंकि बहुत ज्यादा अन्य पिछड़े वर्ग के लोग वर्तमान खर्चीली शिक्षा प्रणाली पर व्यय करने लायक नहीं है अतः अन्य पिछड़े वर्गो के लिए विशेष व्यवसायिक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाय ।

4 आयोग ने महसूस किया कि ऊपर दी हुई सारी सुविधाएँ भी यह सुनिश्चित नहीं कर सकती है कि अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थी वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए दूसरों के साथ होड़ ले सकेंगे। अतः केन्द्र और राज्य सरकारों की वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यवसायिक संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए। आयोग ने स्पष्ट किया यह आरक्षण की सीमा वही होनी चाहिए जो सरकारी सेवाओं अर्थात 27 प्रतिशत है। और यदि कोई राज्य हससे ज्यादा स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिए पहले से आरक्षित किया है तो वह अप्रभावित रहेगा।

5 आरक्षण कोटा के अंतर्गत प्रवेश लेने वालों छात्रें के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे उच्च शिक्षा का पूरा लाभ सही तरह से उठा रहे है। आयोग ने स्पष्ट किया बहुधा पाया गया है कि पिछड़ी पृष्ठभूमि से आये छात्र दूसरे छात्रों की तरह उनके स्तर की पढ़ाई अपने आप नहीं कर पाते। अतः आयोग ने यह सुझाव दिया कि अन्य पिछड़े वर्गो के आरक्षित कोटा वाले छात्रें के लिए टेक्निकल और प्रोफेशनल संस्थानों में कोचिंग की व्यवस्था की जाय। आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि संबंधित अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आरक्षित कोटा में प्रवेश ले लेने से उनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता । जब तक ऐसे अभ्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग

की व्यवस्था नहीं की जाती यही नहीं कि ऐसे छात्र अपने को निरूत्साहित और अधूरा महसूस करेंगे बल्कि राष्ट्र को असज्जित और अप्रमाणिक इंजीनियर, डाक्टर और प्रोफेशनल प्राप्त होंगे।

वित्तीय सहायता सम्बंधी सिफारिशें

1 औद्यौगीकरण के कारण वंशानुगत व्यवसाय करने वालों को काफी क्षति उठानी पड़ी है। यांत्रिक उत्पादन और कृत्रिम सामानों के प्रचलन के गाँव के बर्तन बनाने वालों, कुम्हारों, तेल निकालने वाले तेलियों, लुहारों, बढ़इयों का पारम्परिक व्यवसाय चौपट हो गया है और देहाती क्षेत्रों में इसकी दरिद्रता बढ़ती जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि संस्थागत और वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता द्वारा इन वर्गो के लोगों द्वारा लघु कुटीर उद्योग चलाने में सहायता दी जाए। विशेष व्यवसायिक ट्रेनिंग पाये अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिभावान अभ्यार्थियों को भी इस तरह की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

2 आयोग ने महसूस किया कि यद्यपि कई राज्यों ने गाँवों में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान बनाया है, परन्तु समुदाय के ज्यादा प्रभावशाली लोग ही इसका लाभ ले रहे है। अतः पिछडे वर्गो के लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए अलग आर्थिक और टैक्निकल सहायता की व्यवस्था अपेक्षित है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अन्य पिछड़े वर्गो के लिए अलग कॉरपोरेशन बनाए हैं।

3 व्यवसायिक ग्रुपों की सहकारी समितियों ज्यादा सहायक हो सकती है। परन्तु ध्यान रहे कि समितियों के पदाधिकारी व्यवसायिक वर्गो के ही लोगों से चुने जाय। पिछड़े वर्गो में व्यवसाय और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे नेटवर्क वित्तीय एवं तकनीकी संस्थानों की स्थापना करें जिससे अन्य पिछड़े वर्ग के

लोगों के उद्योगों में अभाव को दूर किया जा सके।

संघठनात्मक (स्ट्रक्चरल) परिवर्तन संबंधी सिफारिशें

आयोग ने महसूस किया कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण और विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता मात्र उपशमनात्मक होगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या का सामाधान जड़ से नहीं किया जाता है। अधिकांशतः छोटे भू-धारक, आसामी, कृषि-मजदूर, गरीब गाँव के शिल्पकार, अदक्ष मजदूर आदि अनु0 जाति, अनु0 जनजाति और पिछड़े वर्गो के लोग होते है। ये लोग ऊँची जातियों और धनवान खेतिहारों के मानसिक और भौतिक बंधक होते है। उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार के कारण ऊँची जातियों पिछड़े वर्गो को अपने हितों के विरूद्ध काम करने को मजबूर करती है। अतः आयोग ने सिफारिश की कि प्रगतिशील भूमि सुधार के माध्यम से उत्पादन के संबंध बदले जाय। अतिरिक्त भूमि अनु0 जातियों और जन जातियों में वितरित की जा रही है। भविष्य में लैंड सीलिंग से बची भूमि को भूमिहीन अन्य पिछड़े वर्गो के मजदूरों में वितरित की जानी चाहिए।

प्रकीर्ण अन्य सिफारिशें

1 देश के कुछ भागों में कुछ व्यवसायिक जातियाँ जैसे मछुआरा, बंजारा, बंसफोरा और खाटव अब भी अस्पृश्यता की निर्योग्यता के शिकार है। उन्हें आयोग द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है लेकिन उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए।

2 केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के विकास के लिए विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तरीकों को लागू करने की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जानी चाहिए।

3 अन्य पिछड़े वर्गो के हितों की रक्षा के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा एक अलग मंत्रालय/विभाग खोला जाना चाहिए।

4 हिमाचल प्रदेश में गद्दी, महाराष्ट्र में नव बौद्ध, समुद्री किनारे के क्षेत्रों के मछुआरा और जम्मू और कश्मीर के गूजर जैसे अति पिछड़े वर्गो के उचित प्रतिनिधित्व के लिए उनके बहुल आबादी वाले क्षेत्रों को अलग चुनाव क्षेत्र बनाना चाहिए।

केन्द्रीय सहायता संबंधी सिफारिशें

आयोग ने पाया कि 18 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए अपने फण्ड के आधार पर कार्यक्रम लागू किए है और केन्द्र से राज्यों एवं एतदर्थ कोई सहायता नहीं दी जा रही है। राज्यों ने अन्य पिछड़े वर्गो के प्रभावकारी उन्नयन के लिए इस प्रकार की केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पर बल दिया। अतः आयोग ने यह सिफारिश की कि जिस तरह केन्द्र अनु0 जाति/जनजाति के उन्नयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है, उसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गो के उन्नयन के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करें।

सिफारिशों पर पुर्नविचार

आयोग की सिफारिशों को लागू होने के 20 वर्ष बाद पूरी स्कीम पर पुर्नविचार किया जाय। आयोग ने यह विचार व्यक्त किया कि कम से कम एक पीढ़ी की अवधि अन्य पिछड़े वर्गो के जीवन के तौर तरीकों को बदलने के लिए तथा सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है।

मण्डल आयोग और राजनीतिक प्रतिक्रिया

मण्डल आयोग की सिफारिशें अन्य पिछड़ी जातियों की समस्या से संबंधित है, जो एक राष्ट्रीय मुद्दा है। यह स्वाभाविक है कि इसका समर्थन या विरोध हो। यहाँ तक कि दलों के अतंर्गत भी जातीय

समीकरण के आधार पर मत वैभिन्य होने के आसार नजर आ सकते है। मण्डल आयोग की सिफारिशें 31 दिसम्बर 1980 को सौपी गयी। सरकारों ने इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया और इसे टालने के लिए एक नया तरीका ढूँढ़ निकाला कि सरकार सिद्धांत रूप में इन सिफारिशों को स्वीकार करती है। चूँकि व्यवहारिक रूप में इन्हें लागू करने की सम्भावना कम थी अत: प्रतिक्रियाएँ भी सैद्धांतिक स्तर तक सीमित रहीं। कुछ प्रांतों में राजनीतिक आंदोलन भी किए गये।

अल्पसंख्यक वर्ग के अध्यक्ष न्या.एम.एच.बेग ने सरकार को चेतावनी दी कि मण्डल आयोग द्वारा पहचानी गई 3743 जातियों को विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने से देश में जातीय संघर्ष बढ़ जायेंगें। 4 अप्रैल 1983 को उत्तरी भारत के मुख्यमंत्रियों की सभा में मण्डल आयोग की सिफारिशों पर विचार किया गया और उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि इसे लागू करने से देश में राष्ट्रीय एकता की जगह जातिवाद और निहित स्वार्थो को बढ़ावा मिलेगा।

आयोग की सिफारिशों के विरूद्ध की सभाएं आयोजित की गई। अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने प्रत्युत्तर में सभाएं की ओर मण्डल आयोग विरोधी ''कृति समिति'' के नाम से सभाएं की ओर मण्डल आयोग विरोधी ''कृति समिति'' के नाम से सक्रिय समिति का गठन किया। दिसम्बर 1983 में समिति ने पूना में ऐतिहासिक शानवारवाड़ा (पेशवा महल) के सामने सभा की। 26.12.1983 के इण्डियन एक्सप्रेस में समिति की प्रतिक्रिया प्रकाशित हुई अखिल भारतीय मराठा महासंघ के महासचिव श्रीकांत पवार ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को समर्थन देने वाले राजनीतिक नेताओं का पता लगाकर आने वाले सामान्य चुनाव में उन्हें ''सबक'' दिखाने का आह्वान किया। मण्डल आयोग विरोधी कृति समिति में महासंघ के विरूद्ध नारे लगाकर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (खोबर्गड़े ग्रुप) की 50 महिलाओं ने तथा दलित मुक्ति

सेना की महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। परन्तु महासंघ के नेताओं ने दलित वोटों की राजनीति कहकर आयोग को जातिवादी मनुस्मृति के नवीन संस्करण का नाम दिया। मण्डल समर्थकों का यह मानना था कि मराठा महासंघ अपने निहित हितों और प्रभुत्व को उत्पन्न खतरों के कारण मण्डल आयोग का विरोध कर रहा था, क्योंकि प्रारम्भ में मराठा सत्य शोधक समाज ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन था और दलित समाज–बहुजन समाज का प्रतिनिधि माना था और अब दलितों के विरूद्ध जिहाद छेड़ रखा था।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का निर्णय

श्रीमती कृष्णा सिंह संयुक्त मंत्री, भारत सरकार के हस्ताक्षर से दिनांक 13 अगस्त 1990 को नोटीफिकेशन नं. 36012–31–90 जारी किया गया। इसके अनुसार निम्नलिखित आदेश जारी हुआ:–

1 भारत सरकार के अंतर्गत लोक सेवाओं और पदों में 27 प्रतिशत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित होगा।

2 उपर्युक्त आरक्षण सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों पर लागू होगा।

3 सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निश्चित मानदंडों के अनुसार खुली प्रतियोगिता द्वारा मैरिट के आधार पर चयनित सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों को 27 प्रतिशत के आरक्षण कोटा में समायोजित नहीं किया जायेगा।

4 सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो के अंतर्गत प्रथम कदम के रूप में वे जातियाँ और समुदाय सम्मिलित किए जायेंगे जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट और राज्य सरकारों की सूचियों दोनो में समान होंगे।

5 उपर्युक्त आरक्षण 7.8.1990 से प्रभावकारी होगा। परन्तु यह उन रिक्तियों पर लागू नहीं होगा जहाँ चयन प्रक्रिया इन आदेशों के जारी किए जाने के पूर्व से प्रारम्भ हो गई है।

सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों सहित वित्तीय संस्थाओं के संबंध में समान आदेश पब्लिक इण्टरप्राइजेज और फाइनेंस मंत्रालय के विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

नोट: अक्टूबर 1, 1990 को उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित कर केन्द्रीय सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। मामला न्यायालय के विचाराधीन हो गया।

केन्द्रीय सरकार के निर्णय के बाद से ही आरक्षण विरोध का आक्रोश भड़क उठा। आन्दोलन, हिंसा, प्रतिहिंसा, लूट-पाट, आगजनी, रास्ता जाम, आलोचना, प्रत्यालोचना और आत्मदाहों की घटनाओं का सिलसिला प्रारम्भ हो गया।

अन्य पिछड़े वर्गो (सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से) के लिए घोषित आरक्षण आदेश का क्षेत्र किन सेवाओं में लागू होना अपेक्षित है।

केन्द्रीय सरकार का 27 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय केन्द्र सकरार की नौकरियों सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की नौकरियों पर लागू होना अपेक्षित है।

किन पर नहीं लागू होता।

निम्नलिखित के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा-

1 शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में।

2 स्पेस विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और एटोमिक एनर्जी विभागों में वैज्ञानिक और तकनीकों पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में।

3 प्रथम श्रेणी की सेवाओं से संबंधित वैज्ञानिक ओर तकनीकी पदों पर

की जाने वाली नियुक्तियों में।

4 कैबिनेट सेक्रेटेरियेट के 28.12.1981 के आदेश द्वारा निश्चित वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में।

5 शोध-अनुसंधान से संबंधित पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में।

6 वायु सेना में पायलट और तकनीकी पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों में।

7 सशस्त्र सेनाओं में की जाने वाली भर्ती के संबंध में।

8 स्थानान्तरण और डिपुटेशन से भरे जाने वाले पदों के संबंध में।

9 45 दिन से कम के लिए भरे जाने वाले पदों या आपातकालीन भर्तियों के संबंध में।

10 सुरक्षा की श्रेणी में आने वाले पदों के लिए भर्ती में।

11 न्यायालयों में की जाने वाली नियुक्तियों में।

12 इसके अतिरिक्त सरकार किसी भी पद को विशेष योग्यता या अनुभव के आधार पर अनारक्षित कर सकती है।

कर्पूरी ठाकुर फार्मूलाः

मुंगेरीलाल आयोग ने बिहार में 128 पिछड़े वर्ग और 93 अति पिछड़े वर्ग की पहचान कर उनके लिए 26 प्रतिशत राज्य सेवाओं में तथा 24 प्रतिशत शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेशार्थ स्थानों के आरक्षित करने की सिफारिश की थी। जून 1977 में सत्ता में आने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की स्कीम लागू की।

कर्पूरी ठाकुर फार्मूला की नवीनता यह थी कि यद्यपि जाति को आरक्षण का आधार रखा गया फिर भी आरक्षण लाभ के लिए आयकर सीमा तक की पारिवारिक आय निश्चित की गई जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्गो अति जरूरत मंदों को मिल

पावे। दूसरी विशेष बात यह थी आरक्षण नीति में यह भावना अर्न्तनिहित थी कि आरक्षण नीति शाश्वत नहीं रहेगी। पिछड़े वर्गो के उन्नति के बाद आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। तीसरी विशेष बात यह थी कि आरक्षण नीति मात्र सीधी भर्ती पर लागू होगी, प्रोन्नतियों पर नहीं।

बिहार फार्मूला की विशेष ध्यान देने योग्य बातें निम्नलिखित थी।

1 आरक्षण लाभ के लिए आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बनाकर कम से कम विवदास्पद बनाने का प्रयास किया गया।

2 पिछड़े और अति पिछड़े वर्गो में विभेदकर आरक्षण नीति को ज्यादा सार्थक बनाने का प्रयास किया गया।

3 स्त्रियों को वर्ग मानकर पिछड़ा घोषित कर 3 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था जिसमें लाभार्थी के लिए आयकर की सीमा तक ही लाभ देने का प्रावधान रखा गया।

(च.) ओ.बी.सी. आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश

सरकार के 13 अगस्त के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई जिसका निर्णय नवम्बर 1992 में दिया गया।

केन्द्र सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिपणियाँ नीचे दी जा रही है–

1 धारा 16(एक) के तहत आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता इसलिए सरकारी आदेश (केन्द्र सरकार द्वारा) दिनांक–25.9.1991 जिसमें आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया था उसको निरस्त किया जाता है।

2 संविधान धारा 16 (4) के तहत दिए जाने वाले आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत रहेगी अर्थात् ओबीसी को दिया जाने वाला आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता किन्तु जिन राज्यों ने पूर्णतः 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे रखा है वहाँ यथावत चलता रहेगा।

3 पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के आरक्षण में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण किया जा सकता है। उसमें कोई संवैधानिक रोक नहीं है।

4 इस निर्णय के चार महीने की अवधि में भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी जो विभिन्न जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल करने या निकालने का कार्य जाँच के बाद सम्पन्न करेगा।

5 भारत सरकार का आदेश दिनांक-13.8.1990 को लागू करने से पहले क्रीमी लेयर में आने वाले लोगों/वर्गो को बाहर रखकर इसका अनुपालन करेगा।

6 क्रीमी लेअर में आने वाले व्यक्तियों/वर्गो की पहचान करने के लिए भारत सरकार एक समिति का गठन करेगी जो चार महीने की अवधी में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगी।

इसी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर क्रीमी लेअर का नियम ओबीसी आरक्षण में लागू किया जा रहा है।

(छ.) ओबीसी आरक्षण की अद्यतन स्थिति

डीओपीटी की वार्षिक रिपोर्ट 2016 के अनुसार:

केन्द्र सरकार की नौकरियों में अभी तक

1 वर्ग ए में 8.4 प्रतिशत।

2 वर्ग बी में 6 प्रतिशत।

3 वर्ग सी में 14.8 प्रतिशत एवं

4 वर्ग डी में 15 प्रतिशत ही पिछड़े वर्गो की भागीदारी सकी है।

❍

10 क्रीमी लेयर की अवधारणा

मंडल कमीशन को लागू करने वाले दिनांक-13-8-90 के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिस पर सर्वोच्च न्यायालय में 16-11-92 को निर्णय दिया और कहा कि 13-8-90 का मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने वाला सरकार का आदेश वैध है, उचित है, किंतु पिछड़ों में जो अगड़ें है-अमीर है, साधन सम्पन्न हैं उन पर यह आरक्षण लागू नहीं होगा अर्थात् उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

सेवा निवृत न्यायमूर्ति आर.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में नियुक्त समिति को यह काम सौंपा गया कि वह पिछड़े वर्गो में सम्पन्न या अमीर लोगों की पहचान करें, जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकेगा। इस समिति ने 10-3-93 को अपनी रिपोर्ट कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर इस वर्ग के इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा।

'क्रीमी लेअर' समिति की सिफारिशें अनुसूची

श्रेणी का वर्णन	अपवर्जन नियम किस पर लागू होगा
1. संवैधानिक पद	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)
	क. भारत के राष्ट्रपति।
	ख. भारत के उपराष्ट्रपति।
	ग. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश।
	घ. संघ लोक सेवा आयोग/राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्यों के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के नियंत्रक तथा

	महालेखा परीक्षक।
	ड. समान स्वरूप के संवैधानिक पदों को धारण करने वाले व्यक्ति।
2. सेवा की श्रेणी	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)
क. अखिल भारतीय केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं के समूह क श्रेणी-1 अधिकारी (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त)	क. जिनके माता-पिता, दोंनो ही श्रेणी-1 अधिकारी है।
	ख. जिनके माता-पिता में से कोई एक श्रेणी-1 अधिकारी है:
	ग. जिनके माता-पिता में से दोनो ही श्रेणी-1 अधिकारी है, किंतु उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है।
	घ. जिनके माता-पिता में से एक श्रेणी-1 अधिकारी है और उसकी मृत्यु हो जाती अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है और उसने ऐसी तारख अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा ली हो।

	ड. जिनके माता-पिता दोनों ही श्रेणी-1 के अधिकारी है जिनकी मृत्यु हो जाती है अथवा जो स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाते है और दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी ने संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे किसी तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखि्त मामलों में लागू नहीं होगा :- निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (यों)
	क. जिनके माता-पिता में कोई एक या दोनों श्रेणी-1 अधिकारी है, किंतु उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी आयोग्यता का शिकार होता है।
	ख. अन्य पिछड़े वर्ग की ऐसी महिला जिसका विवाह श्रेणी-1 अधिकारी से हुआ है तथा वह स्वयं नौकरी के लिए आवेदन देना चाहती है।
केन्द्रीय तथा राज्य सेवा के समूह ख	-निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ) क. जिनके माता-पिता जो दोनो ही श्रेणी 2

श्रेणी 2 के अधिकारी	अधिकारी है।
	ख. जिनके माता-पिता में से केवल पति श्रेणी 2 का अधिकारी है और वह 40 अथवा इससे पूर्व आयु में श्रेणी 1 अधिकारी बनता है।
	ग. जिनके माता-पिता दोंनो ही श्रेणी II अधिकारी है और उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें से किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाता है एवं उनमें किसी एक ने ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पर्वू संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति प्रसुविधा प्राप्त की हो।
	घ. जिनके माता-पिता में से पति श्रेणी 1 अधिकारी हो (सीधी भर्ती से नियुक्त अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) तथा पत्नी श्रेणी II अधिकारी हो तथा पत्नी की मृत्यु हो जाए अथवा स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाए, तथा
	ड. जिनके माता-पिता में से पत्नी श्रेणी 1

	अधिकारी हो (सीधी भर्ती से अथवा 40 वर्ष से पूर्व पदोन्नत) एवं पति श्रेणी II अधिकारी हो और पति की मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाएं।
	बशर्ते कि अपवर्जन का नियम निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा–
	निम्नलिखित के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)
	क. जिनके माता–पिता दोनो श्रेणी। 1 अधिकारी है किंतु उनमें से एक की मुत्यु हो जाती है अथवा स्थायी अयोग्यता का शिकार होता है।
	ख. जिनके माता–पिता दोनों श्रेणी II अधिकारी है तथा दोनों की मृत्यु हो जाती है अथवा दोनों ही स्थायी अयोग्यता के शिकार हो जाते है चाहे उनमें से किसी ने ऐसी मृत्यु अथवा अक्षमता से पूर्व संयुक्त राष्ट्र, भारतीय मुद्रा कोष बैंक जैसे किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के	इस श्रेणी में उपर्युक्त क तथा ख में बताया गया मानदण्ड सार्वजनिक क्षेत्र के

कर्मचारी	उपक्रमों, बैंकों, बीमा संगठनों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में समकक्ष अथवा तुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों तथा साथ ही गैर-सरकारी नियुक्ति के अन्तर्गत समकक्ष अथवा समतुल्य पदों और स्तरों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर यथोचित परिवर्तन सहित लागू होगा। इस संस्थानों में समकक्ष अथवा तुल्य आध पर पदों के मूल्यांकन तक, इन संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों पर निम्न श्रेणी पर निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
सशस्त्र सेनाएं जिनके	उन माता-पिता के पुत्र तथा पुत्री (पुत्रियाँ)
अर्द्ध-सैनिक बल शामिल	जनमें से कोई एक अथवा दोनों सेवा में
है (सिविल पदों पर	कर्नल अथवा इससे ऊपर स्तर पर तथा
कार्यरत व्यक्ति इनमें शामिल नहीं है)	जलसेना तथा वायु सेना एवं अर्द्धसैनिक बलों में समकक्ष पदों पर कार्यरत है।
	1. यदि सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी की पत्नी स्वयं सेना (अर्थात्) विचारार्थ श्रेणी में है तो अपवर्जन नियम केवल तभी लागू होगा जब वह स्वयं कर्नल के स्तर पर पहुँच जाएगी। बशर्ते कि

	1. पति तथा पत्नी की कर्नल से नीचे के स्तर को इकठ्ठा नहीं जोड़ा जाएगा।
	2. यहाँ तक कि सशस्त सेना के किसी अधिकारी की पत्नी के सिविल नियुक्ति होने पर भी अपवर्जन नियम को लागू करने के आशय से इस मद्दे नजर नहीं रखा जाएगा जब कि वह मद संख्या II के तहत सेवा की श्रेणी अंक न आ जाए।
व्यावसायिक श्रेणी तथा व्यापार और	1. चिकित्सक, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, आयकर-परामर्श-दंत चिकित्सक, अभियन्ता।
उद्योग में लगे हुए कर्मचारी	वास्तुकार, कम्प्यूटर विशेषक, विस्तुत विस्तुत कलाकर तथा अन्य व्यक्ति जिनका व्यवसाय फिल्मों से जुड़ा है, लेखक नाटककार खिलाड़ी, जन संचार व्यवसायी पेशेवर खिलाड़ी अथवा समानस्तर के अन्य व्यवसाय एवं श्रेणी 4 के समक्ष निर्दिष्ट मानदण्ड लागू होगा।
2. व्यापार, वाणिज्य तथा लगे कर्मचारी	श्रेणी 6 के आगे दर्शाया गयाउद्योगों में मानदण्ड लागू होगा। स्पष्टीकरण :- 1. चाहे पति किसी व्यवसाय में हो तथा पत्नी श्रेणी 2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो आय/सम्पत्ति का

	आकलन केवल पति की आय के आधार पर किया जायेगा।
	2. यदि पत्नी किसी व्यवसाय में हो तथा पति श्रेणी 2 अथवा निम्न ग्रेड की नियुक्ति में हो आय सम्पत्ति का आकलन केवल पत्नी की आय के आधार पर होगा और पति की आय को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
सम्पति धारक क- कृषि क्षेत्र	एक ही परिवार (माता-पिता तथा अवयस्क बच्चे) के पुत्र तथा पुत्रियाँ जो निम्नलिखित स्वामी है।
	क. केवल सिंचित भूमि के जो कानूनी सीमा के 85 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर या उससे अधिक है,
	ख. निम्नानुसार सिंचित तथा असिंचित दोनों प्रकार की भूमि अपवर्जन नियम वहाँ लागू होगा जहाँ कि पूर्वनिर्धारित शर्त यह हो कि सिंचित क्षेत्र (जिसे कॉमन नाम के आधार पर एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाया गया हो) अर्थात् सिंचित क्षेत्र के लिए कानूनी ऊपरी सीमा का 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो (इसकी गणना असिंचित क्षेत्र को बाहर निकालकर की जाएगी) यदि वह 40 प्रतिशत से कम नहीं होने की पूर्व

	निर्धारित शर्त विद्यमान हो तब केवल असिंचित क्षेत्र को ही हिसाब में लिया जाएगा। यह कार्य असिंचित भूमि को, विद्यमान विनियमन सूत्र के आधार पर सिंचित प्रकार में बदलकर किया जाएगा। इस असिंचित क्षेत्र में से आकस्मित सिंचित क्षेत्र को वास्तविक सिंचित क्षेत्र में जमा किया जाएगा और यदि इस तरह दोनों को जमा करने पर कुल सिंचित क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के लिए तय की गई कानूनी ऊपरी सीमा का 85 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उस परिस्थिति में अपवर्जन का नियम लागू होगा तथा बेदखली कर दी जाएगी।
	3. यदि परिवार के पास जो जोत क्षेत्र है और पूर्णत अंसिंचित क्षेत्र है तो अपर्वजन का नियम लागू नहीं होगा।
ख. बागान	
1. काफी, चाय, रबर आदि	नीचे श्रेणी में निर्दिष्ट आय/सम्पत्ति का मापदण्ड लागू हो।
2. आम, खट्टे फल सेब के बाग आदि।	इन्हें कृषि क्षेत्र समझा जाएगा और इसलिए इस श्रेणी पर उपरोक्त ''क'' मापदण्ड लागू होगा।
ग. खाली भूमि और	नीचे श्रेणी टप् में निर्दिष्ट मानदंड

	लागू
शहरी तथा उप-नगरीय क्षेत्रों में इमारतें	होगा। स्पष्टीकरण : भवन का उपयोग रहने, औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है या इस तरत के दो या अधिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
4. आय/संम्पत्ति आंकलन	क. पुत्र तथा पुत्री का वे व्यक्ति जिनकी कुलवार्षिक आय एक लाख रूपये या उससे अधिक हो जिनके रात पिछले तीन वर्षो में लगातार संपत्ति कर नियमावली में दी गई वर्ष सीमा से अधिक की संपत्ति हो।
	ख. श्रेणी 1,2,3, तथा 5-ए जो कि आरक्षण की सुविधा के हकदार नहीं है लेकिन सम्पत्ति के अन्य स्रोतों से आय होती है जिसके कारण वे ऊपर (क) में दी गई आय/सम्पत्ति के माण्दण्ड के भीतर आते हों।
स्पष्टीकरण	1. वेतन तथा कृषि भूमि से हुई आय को एक साथ नहीं जोड़ा जाएगा।
	2. रूपये के मूल्य परिर्वतन के सापेक्ष आय के मानदण्ड में प्रति तीन वर्ष में एक बार संशोधन किया जाएगा। तथापि परिस्थितियों की मांग के अनुरूप अंतरणावधि कम हो सकती है।

	स्पष्टीकरण : इस अनुसूची में जहाँ कहीं भी ''स्थायी अक्षमता'' अभिव्यक्ति का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य ऐसी अक्षमता से है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारी को सेवा में बनाये न रखा जा सकें ।

❍

11 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को न्याय देने के लिए लम्बे समय से उपेक्षित मांग को पूरा किया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से समाज के सभी पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा।

सामाजिक न्याय

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले कानून के बनते ही न केवल हिन्दू बल्कि ईसाई, बौद्ध, सिख व मुस्लिम समाज के सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े सभी को न्याय मिलेगा। मुस्लिम समाज के कहार, केवट, मल्हार, कुंजड़ा, धोबी कुरैशी, जांगी, माली, तेली, नट, फकीर, मोमिन, मंसूरी, हज्जाम, मदारी व कलाकार आदि वर्ग के लोग शामिल करने के विभिन्न कार्यक्रमों-योजनाओं का लाभ उठाने के संवैधानिक हकदार हो जाएंगे जिसे कांग्रेस ने अपने 65 वर्षों के शासन काल में पिछड़ों को वंचित रखा।

कांग्रेस की वजह से अटका पिछड़ा वर्ग से संबंधित कानून

123 वां संशोधन बिल 10 अप्रैल को गत वर्ष लोकसभा में पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाला बिल पास हो गया पर राज्य सभा में सभी विपक्षी पार्टियों विशेषकर कांग्रेस ने इसे पास नहीं होने दिया। जिसके चलते पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बड़ा कानून अटक गया।

देश में लम्बे समय तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए कुछ नहीं किया। आजादी के बाद काका

कालेलकर कमीशन (1953) और मण्डल कमीशन (1978) की रिपोर्ट के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकारों के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यह कांग्रेस का ओबीसी के प्रति उदासीनता का प्रमाण है। कांग्रेस को हमेशा सत्ता की चाह रही जबकी भाजपा की अन्त्योदय की।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग मजबूत होगा

मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग एक साधारण कानूनी निकाय है जिसका कार्य सरकार को जातियों/समुदायों की सूचियों में शामिल करने अथवा निकालने के संबंध में सलाह देना है। वर्तमान में संवैधानिक दर्जा में एस. सी./एस.टी. आयोग के समकक्ष शक्तियों का प्रावधान किया गया है।

''यह आयोग पिछड़ा वर्ग के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नति से संबंधित अन्य कार्यों का भी निर्वाह करेगा। यह आयोग अधिकारों का प्रयोग करते हुए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करते हुए न्याय देगा।''

भाजपा का सकारात्मक रूप

इस अहम निर्णय को लागू करने के संबंध में ओबीसी संसदीय समिति की सिफारिश भी आई और सभी दलों के सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से तथा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा ने भी श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके आयोग के शक्तिहीन स्थिति से अवगत कराके इस संबंध में संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया। जो कार्य 70 वर्षों में नहीं हुआ भाजपा ने मात्र 4 वर्षों के कार्यक्रम में जनहित में निर्णय लेते हुए 10 अप्रैल 2017 को एनडीए सरकार ने लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित भी करा लिया।

भाजपा सरकार ओबीसी आयोग को संविधानिक दर्जा देने के संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने को लेकर प्रतिबद्ध थी। पिछड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर संवैधानिक दर्जा देने के लिए भाजपा

की सक्रियता और गम्भीरता इस बात से साफ होती है कि भाजपा ने ओडिशा में 15,16 अप्रैल 2017 को संपन्न राष्ट्रीय कार्यकारिणी असम में इस विषय पर अलग से प्रस्ताव पारित किया था। वर्तमान में भाजपा सरकार ने माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में संवैधानिक दर्जा देने का बिल पास कर इस वर्ग के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

विपक्ष का निराशाजनक रूप

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के पिछड़े तबके के लोगों को सशक्त बनाने व उनका न्यायिक रूप से और मजबूत करने की दिशा में उठाए गए इस कदम को राज्य सभा में विरोध करके रोक दिया गया। 123वें संशोधन बिल को जो संवैधानिक दर्जा देने से जुड़ा था, राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के चलते 11 अप्रैल, 2017 को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। कांग्रेस व विपक्षी दलों का यह रूख बेहद निराशाजनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने जिस तरह राज्य सभा में विरोध किया इससे इन दलों की पिछड़ों के प्रति मनोस्थिति प्रकट हुई है। किन्तु भाजपा के पुनः लोकसभा और राज्यसभा में इसे पारित करवाकर अगस्त 2018 में अधिसूचना जारी कर दी।

पीएसयू बैंक, बीमा सैक्टर की नौकरियों में आरक्षण की सुविधा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में 30 अगस्त, 17 को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने सरकारी पदों के साथ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयू) के उपक्रमों, बैकों में पदों की समतुल्यता तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण लाभों का दावा करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की। इससे पीएसयू और अन्य संस्थाओं की विभिन्न श्रेणियों में काम कर रहे लोगों के बच्चों को सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के समान ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। इससे ऐसे संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर काम कर रहे लोगों के बच्चों को इस लाभ से रोक लग सकेगी जिन्हें

ओबीसी के लिए आरक्षित सरकारी पदों को दरकिनार कर मापदण्डों की गलत व्याख्या के चलते तथा पदों की समतुल्यता के अभाव में नॉन क्रीमीलेअर माना जाता था और वास्ततिक गैर क्रीमीलेअर उम्मीदवार इस आरक्षण सुविधा से वंचित रह जाते थे।

भाजपा द्वारा इस समस्या का निदान

24 वर्षों से लम्बित ओबीसी कल्याण से संबंधित समतुल्यता स्थापित करने संबंधी मामले की विस्तृत जाँच भाजपा सरकार द्वारा की गई।

- सार्वजनिक उपक्रमों में सभी कार्यपालक स्तर के पदों अर्थात् बोर्ड स्तरीय कार्यपालक अधिकारियों और प्रबंधक स्तरीय पदों को सरकार में समूह ''क'' पदों के समतुल्य समझा जाएगा। क्रीमीलेअर होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा निगमों के कनिष्ठ प्रबंधक ग्रेड-1 तथा इससे ऊपर को भारत सरकार के समूह ''क'' के समतुल्य समझा जाएगा।
- लिपिकों एवं चपरासियों हेतु समय-समय पर निर्धारित होने वाली आय सीमा तथा संशोधित आय का मापदण्ड लागू होगा।
- ये व्यापक दिशा-निर्देश है। इसके अनुसार सरकार हर विभाग में पद समतुल्य का निर्धारण किया गया है।
- प्रत्येक पृथक बैंक, पीएसयू, बीमा कम्पनी अपने संबंधित बोर्ड के समकक्ष पद समतुल्यता के मामले को प्रस्तुत करेंगे ताकि विशिष्ट पद की अर्थात् क्रीमी लेअर की पहचान हो सके।

भाजपा की सतर्कता

कांग्रेस द्वारा ओबीसी को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए केन्द्रीय स्तर

पर बहुत बड़ी साजिश की जा रही थी। 14 अक्टूबर 2004 को डीओपीटी ने एक पत्र क्रीमीलेयर को स्पष्ट करने के लिए निकाला जो विशेषज्ञ समिति के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनांक 08.09.1993 के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए था। हिन्दी एवं अंग्रेजी में दो भिन्न अर्थ थे।

- आश्चर्य की बात यह है कि इस स्पष्ट कारण अंग्रेजी पत्र हस्ताक्षर रहित प्रति को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।
- इस पत्र में क्रीमीलेअर से संबंधित दिशा निर्देश थे। इस विभाग अर्थात् कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक प्रशिक्षण विभाग) ने माना कि हस्ताक्षर रहित अंग्रेजी संस्करण की टाइप की हुई प्रति इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हिन्दी संस्करण की तुलना में पैरा 9 के संबंध में कुछ विसंगतियाँ थीं।
- कांग्रेस द्वारा ओबीसी वर्ग को लगातार पीछे रखने का दुष्कार्य कितने उच्चस्तर पर साजिश की जाती थी यह घिनौने रूप का प्रमाण है।
- ओबीसी संसद कमेटी के चेयरमैन श्री गणेश सिंह ने इस महा साजिश को पकड़ कर वर्जन को ठीक कराया। अब कोई भी ओबीसी का उम्मीदवार आईएएस में चयनित होकर भी नियुक्ति से वंचित नहीं होगा। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का जो संकल्प लिया था वह चरितार्थ हो रहा है।

ओबीसी की केन्द्रीय सूची का वर्गीकरण

भारतीय जाति व्यवस्था के रूढ़ होने से जातियां पैतृक कार्य के आधार पर स्थिर हो गईं। कालान्तार में मानवीय आधार पर समय-समय

पर इनके सामाजिक व शैक्षिक स्तर को उठाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व 1902 में कोल्हापुर में, 1928 में स्टार्ट कमेटी तथा स्वतंत्र भारत में 1958 में काका कालेलकर व 1978 में मण्डल कमीशन का गठन ओबीसी के कल्याण के लिए किया गया। मण्डल आयोग के एक सदस्य श्री एल. आर. नायक ने अपना स्वतंत्र विचार रखा कि पिछड़ों में उन्नत पिछड़े भी हैं जो अन्य पिछडों के हिस्से को भी खा जाएंगे। उनके शब्दों में बड़ी मछली छोटी को खा जाएगी। इसलिए पिछड़े अति पिछड़े को अलग-अलग भागों में बाँटा जाए ताकि सभी को अपना भाग मिल सके। यह नहीं हुआ।

उप वर्गीकरण का मामला

1990 में मण्डल कमीशन लागू हुआ। 27 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तदुपरान्त 2006 में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। इसके परिणामस्वरूप राजनीति में व्यापक बदलाव आया, विरोध भी हुआ। सुप्रीम कार्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि पिछड़े वर्गों को पिछड़े व अति पिछड़े रूप में श्रेणीबद्ध करने में कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है। राज्य सरकारें ऐसा चाहे तो कर सकती है।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी है कि ओबीसी में आने वाली कुछ जातियाँ अन्य ओबीसी जातियों से सामाजिक एवं आर्थिक दोनों रूपों में बेहतर है। यही कारण है कि ओबीसी आरक्षण का लाभ भी कुछ ताकतवर जातियों में सिमटकर रह गया।

वर्गीकरण की आवश्यकता

सक्षम ओबीसी जातियों द्वारा कमजोर ओबीसी जातियों के भाग को हड़पने पर लगातार ओबीसी वर्ग के अन्दर ही वर्गीकरण की मांग जोर पकड़ती गई। अब तक 11 राज्यों में राज्य सूची में वर्गीकरण हो चुका है। आरटीआई से प्राप्त सूचना के आधार पर ओबीसी की कुल सीटों में

निम्न वर्ग के ओबीसी क्लास 1 नौकरियों के 27 प्रतिशत में से 5 प्रतिशत ही सीटें मिल पाई हैं।

वर्गीकरण आयोग

ओबीसी आरक्षण से संबंधित केन्द्रीय सूची में इस प्रकार के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं की गई है। भाजपा सरकार ने जातिय वर्गीकरण के लिए दिल्ली उच्चन्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायधीश जी. रोहिणी को वर्गीकरण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है और जो अनुच्छेद 340 के तहत पाँच सदस्यीय आयोग को ओबीसी वर्गीकरण के लिए अधिसूचित किया है। ओबीसी के लिए भाजपा सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय ओबीसी न्याय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इससे सबको सबका समान हक मिल सकेगा।

इस आयोग के गठन की सिफारिश 2011 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा स्थायी समिति ने भी इसे दोहराया था। परन्तु मा. श्री मोदी सरकार ने ही इस जनहित कल्याण का संज्ञान लिया है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण के लिए आयोग तीन बिन्दुओं पर विचार करेगा।

1. यह ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों को आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जाँच करेगा।
2. असमानता दूर करने के वैज्ञानिक तौर तरीके और प्रक्रिया तय करना।
3. ओबीसी के भीतर उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक और उचित दृष्टिकोण पर आधारित व्ववस्थाओं के मानदण्डों का निर्माण करना।

यह आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति से 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। किंतु अब यह आयोग 30 मई 2019 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। यद्यपि आयोग ने अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

पिछड़ा वर्ग आयोग ने तीन वर्गों में वर्गीकरण का सुझाव दिया था–

क. पिछड़ा वर्ग ख. अति पिछड़ा वर्ग ग. सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग। यह आयोग उन जातियों की संख्या और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर नई सूची तैयार करेगा।

ओबीसी को केन्द्रीय जातीय सूची के राज्यों की तरह उपवर्गीकरण के लिए 1993 से आवाज उठने लगी थी। परन्तु किसी सरकार ने निर्णय नहीं लिया। ऐसे में भाजपा सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है, इससे सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से लाभ मिलेगा। काई भी वर्ग दूसरों के हक को नहीं मार सकता। इससे सामाजिक न्याय की सार्थकता सिद्ध होगी। ❍

12 भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण के प्रति दृष्टिकोण

राष्ट्रीय कार्यकारिणी, भोपाल में 19-21 जुलाई, 1985 को पारित प्रस्ताव

आरक्षण के प्रश्न को लेकर आज देश में उठा विवाद उग्र रूप धारण करता जा रहा है। कांग्रेस की दोमुँही नीति के कारण यह समस्या और भी अधिक उलझ गई है। दिल्ली में कांग्रेस आरक्षण के लिए आर्थिक आधार की बात और राज्यों में सामाजिक आधार पर आरक्षण करने की बात करती है। इस प्रकार कांग्रेस अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु आरक्षण के मुद्दे की आड़ में हिंसा और विद्वेष की आग सुलगाकर सामाजिक भ्रातृत्व के ताने-बाने को ही ध्वस्त करने पर तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इन हथकंडों और दोहरे मानदंडों की घोर भर्त्सना करती है।

भाजपा समतावादी समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध

आरक्षण जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर खुले दिल और दिमाग से विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक असमानता और आर्थिक शोषण से मुक्त समतावादी समाज की संरचना के लिए प्रतिबद्ध है और यह मानती है कि कालांतर में उत्पन्न हुई कतिपय विकृतियों तथा विसंगतियों के कारण सामाजिक धरातल पर भारी असंतुलन पैदा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप देश का बहुत बड़ा जनसमूह सामाजिक सम्मान और अपेक्षित आर्थिक स्थान प्राप्त करने के अपने सहज अधिकारों तथा अवसरों से वंचित किया जाता रहा है। अब समय आ गया है कि शताब्दियों से चली आ रही इस दुरावस्था तथा सामाजिक विकृति का परिमार्जन किया जाए और सामाजिक,

शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से दलित, उपेक्षित एवं पिछड़े वर्गों को भी समूचे समाज के समकक्ष धरातल पर लाकर खड़ा किया जाए, ताकि राष्ट्र-निर्माण के कार्य में उसकी भी सक्रिय भागीदारी और साझेदारी विकसित हो सके। अतः भारतीय जनता पार्टी का सुविचारित मत है कि जो लोग सामाजिक विसंगति जातिगत भेदभावों और ऊँच-नीच के दुर्व्यवहारों के शिकार हुए हैं, उनके लिए विशेष सुविधा तथा आरक्षण विशेष अवसर प्रदान करने के सिद्धांत की व्यावहारिक कड़ी है।

भाजपा आरक्षण की पक्षधर

कांग्रेस ने आरक्षण-नीति से राजनीतिक लाभ तो भरपूर उठाया है, किंतु आजादी के 38 वर्ष बाद भी दलितों, शोषितों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण के पूरे लाभों से जानबूझकर वंचित रखा है।

सन् 1981 में कोचीन में संपन्न भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके सरकार से यह माँग की गई थी कि आरक्षित वर्गों को संविधान प्रदत्त सुविधाओं और उनके क्रियान्वयन के संबंध में एक श्वेत-पत्र प्रकाशित किया जाए तथा आरक्षण के प्रावधानों को निश्चित समयबद्ध प्रक्रिया द्वारा पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार कानून बनाए। खेद है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस ज्वलंत मामले में अब तक रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है।

भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की पक्षधर है। कार्यसमिति का सुनिश्चित मत है कि-

1 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण की नीति यथावत जारी रखी जाए।

2 मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पिछड़े वर्गों को सामाजिक आधार पर आरक्षण की सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ और इन वर्गों को आरक्षण की सुविधाओं का निर्धारण इन्हीं वर्गों में गरीबी के

अनुसार निम्नतम स्तर से प्रारंभ किया जाए।

3 पिछड़ेपन के अन्य कारणों में से एक कारण गरीबी भी है। अत: शेष अन्य वर्गों के आर्थिक दृष्टि से अतिविपन्न लोगों को भी एक निश्चित प्रतिशत में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए।

4 गत 38 वर्षों में सेवाओं में 'रोस्टर' तथा 'कैरी फॉरवर्ड' पद्धति (विशेष कर पदोन्नति में आरक्षण) के समय क्रियान्वयन के प्रति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा शेष अन्य वर्गों में गहरा असंतोष और क्षोभ पैदा हुआ है। अत: इन विशिष्ट मसलों पर राष्ट्रीय आम सहमति बनाना बहुत ही आवश्यक हो गया है।

भाजपा चुनाव घोषणा पत्र 1996 में पिछड़ा वर्ग पर दृष्टिकोण

भाजपा आरक्षण के माध्यम से सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों-दोनों को ही सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के प्रति वचनबद्ध है। साथ ही, हमारी मान्यता है कि हमारे सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रगति का रास्ता जातिवादी राजनीति के जरिए सामाजिक विभाजन पैदा करके नहीं अपितु सामाजिक समरसता पैदा करके ही तैयार किया जा सकता हैं भाजपा निम्नलिखित के पक्ष में हैं-

1 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तब तक जारी रखना जब तक सामाजिक और शैक्षिक रूप से वे शेष समाज के साथ मिल नहीं जाते;

2 'समृद्ध वर्ग' (क्रीमी लेयर) के सीमांकन के लिए एक समान मानक तैयार करना;

3 आरक्षण के लाभ नीचे से ऊपर की ओर के क्रम में मिले, जिससे अन्य पिछड़े वर्गों को पहले लाभ प्राप्त हो;

4 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के अलावा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के लिए आर्थिक सिद्धांत के

आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण करना; और,

5 शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं इन वर्गों में जागृति अभियान के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करना।

(घोषणा-पत्र 1996)

❍

13 ओबीसी के कल्याण के लिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक फैसले

1. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो SC/ST की भाँति संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु पिछले संसद सत्रों में हमारी पार्टी ने भरपूर प्रयास किया किन्तु कांग्रेस के असहयोग और विरोध के परिणाम-स्वरूप एवं राज्य सभा में हमारा बहुमत न होने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। अगले सत्र में फिर से इस बिल को पारित किया जायेगा।
2. पिछड़े वर्ग की जातियों की केन्द्रीय सूची के वर्गीकरण हेतु केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है जो इस कार्य को 30 मई 2019 तक सम्पन्न करेगा। जिससे अति-पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
3. क्रीमी लेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है।
4. पीएसयू PSU के कर्मचारियों के बच्चों को भी आरक्षण का लाभ दिये जाने का प्रावधान कर दिया गया है, जो पहले नहीं दिया जा रहा था।
5. ओबीसी पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। पहले 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य था। अब एक अधिकारी और स्वयं घोषित ऐफिडेविड काफी है। इससे आम आदमी को राहत मिली है। आगे इसे और भी पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया जारी है।
6. जो ओबीसी प्रतिभागी ओबीसी वर्ग को दी जाने वाली रियायतों के

बिना, सामान्य वर्ग के कट–ऑफ में आता है, उसे सामान्य वर्ग में चयनित किया जाएगा। जो पूर्व काल में ओबीसी में ही गिना जाता था जिससे हर वर्ष सैकड़ों उम्मीदवार पदों पर चयनित होने से वंचित रह जाते थे।

7. वर्ग 'ग' की सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए केवल लिखित परीक्षा ही आधार होगा। साक्षात्कार वर्ग 'ग' की नौकरियों के लिए समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी के प्रत्याशियों को इस छूट का सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

8. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख से लेकर 15 करोड़ तक की राशि का ऋण प्रदान करने के लिये वंचर कैपिटल स्कीम आरंभ की गई है।

9. जाति आधारित जनगणना 2021 का ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है जो इस वर्ग की संख्या के आधार पर इनके विकास मार्ग को प्रशस्त करेगा।

10. सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए नौकरियों व शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण का प्रावाधान। माननीय मोदी जी की सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर वर्ष 2019 के प्रारंभ में ही इतिहास रच दिया है। यह आरक्षण पहले से प्रदत्त ओ. बी.सी./एस टी के 49.5% से अलग होना। अतः वहाँ एक ओर आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान को बरकरार रखा है, दूसरी ओर सभी वर्गो के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देकर सामान्य वर्ग में व्याप्त कड़वाहट को कम किया है। इस निर्णय से सामाजिक समरसता का मार्ग प्रशस्त होगा।

ओबीसी छात्रों को परीक्षा में प्रवेश की मानकता

कोर्ट ने अपने निर्णय में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी जाति

को प्रवेश देने के मानक तय कर दिये है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी छात्रों को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम पात्रता अंको से अधिकतम दस प्रतिशत अंकों की छूट दी जा सकती है। यह फैसला दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू वि.वि. समेत देश के सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामले में लागू होगा।

कोर्ट ने उदाहरण देकर बताया कि अगर सामान्य वर्ग के लिस्ट प्रवेश के न्यूनतम पात्रता अंक 50 है तो ओबीसी के लिए यह मानक 45 अंक का हो सकता है। ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।

जहाँ अभी ओबीसी की सीटे बाकी बची है उन पर ओबीसी को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार तय सिद्धांत के बाद भी ओबीसी की सीटें बच जाती है तो उन पर सामान्य वर्ग को प्रवेश दिया जायेगा।

संविधानिक पीठ ने स्पष्ट किया कि पीठ के फैसले में प्रयोग किया गया ''कट ऑफ मार्क्स'' शब्द का मतलब सामान्य वर्ग के लिए तय न्यूनतम पात्रता अंकों से है। ''कट ऑफ मार्क्स'' का मतलब सामान्य वर्ग में प्रवेश पाने वाले अन्तिम छात्र के ''कट ऑफ मार्क्स'' से नहीं है।

ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया का सरलीकरण

ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने में बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करना होता था।

- दस रूपये के स्टांप पेपर पर शपथ पत्र बनवाना ।
- मजिस्ट्रेट या नोटरी से सत्यापित करवाना।
- अपनी जाति की सत्यता कि नही दो राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराना।

- दो स्थानीय निवासी/पड़ोसी/मोहल्लें वालों की गवाही दिलवाना।
- सभी प्रमाण पत्र से संबंधित कागज पत्रों को राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित कराना।

प्रमाण पत्र बनाने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं थी।

सभी ओबीसी प्रमाण पत्र से संबंधित कागजों को तहसील ऑफिस में जमा कराने पर पता नहीं कब ऑफिस से एक कर्मचारी सत्यता जाँच के लिए निवास पर आए।

इस प्रकार हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। निवास पर आने वाला कर्मचारी बिना सेवा के कोई भी रिपोर्ट ठीक नहीं लिखता था।

- निवास पर की गई जाँच रिपोर्ट के बाद भी प्रमाण पत्र बनाने की कोई समय सीमा नहीं होती थी।
- हर तहसील दफतर पर एजेंटों की भरमार थी।
- अक्सर विद्यार्थियों की प्रवेश तिथि निकल जाती। नौकरी के लिए भरे जाने वाले फार्म की तिथि भी निकल जाती थी। ऐसे में हर ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने वाले उम्मीदवार को अगले चांस का इन्तजार लगभग तय था।
- प्रमाण पत्र बनवाने में एजेंटों को घूस तो मजबूरन दी जाती है परन्तु दो राजपत्रित अधिकारियों का मिलना बहुत ही मुश्किल था। ओबीसी में दूर के रिश्तों व परिचितों में कोई अधिकारी नहीं होता है, जो सत्यापित कर दे, कि आपकी जाति जो लिखी है, ठीक है।

इसलिय ज्यादा औपचारिकताओं से गुजर कर ओबीसी का प्रमाण पत्र बनता था। सरकार से इसके सरलीकरण की लगातार अपील की जाती रही। कांग्रेस का लम्बे समय तक राज रहा वे नहीं चाहते कि ओबीसी कोई लाभ लेकर आगे बढ़े और सत्य है ओबीसी का

उम्मीदवार भी सामान्य श्रेणी में ही फॉर्म भरते थे जिससे कुछ ही सफल होते। सरकार द्वारा घोषित ओबीसी की लाभकारी योजना भ्रम दिलाने की रहती थी।

इन कठिनाइयों के चलते शिक्षा एवं नौकरियों में ओबीसी के पद रिक्त पड़े रहते जिनको सामान्य से भर दिया जाता था। यह एक ओबीसी को पीछे धकेलने व इनके आरक्षित स्थानों पर कब्जा करने को अघोषित एजेण्डा कांग्रेस के शासन में चलता रहा। अनेक आपत्तियों के बावजूद इसका समाधान नहीं किया।

भाजपा ने किया समाधान

मात्र दो वर्ष के शासन में ही माननीय नरेन्द्र मोदी ने इस समस्या को पहचाना जो सारे भारत के गरीब, वंचित, कमजोर समाज को हर पग पर सामना करना पड़ता था। वंचित वर्ग की मजबूरियों को पहचानते हुए सरकारी जटिलताओं का सरलीकरण किया साथ में आम आदमी को मिलने वाली प्रमाण पत्रों की अवधि भी समयबद्ध कर दी, जिससे आम आदमी को कोई परेशानी न हों।

प्रमाण पत्र व अन्य का सरलीकरण

- किसी भी पत्र को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराने की आवश्यकता नही स्वयं सत्यापन को मान्यता दी गई।
- दस रूपये के स्टांप पेपर के स्थान पर स्वघोषित शपथ पत्र।
- निश्चित समय सीमा में प्रमाण पत्र बनाना होगा।
- कम्प्यूटर से घर पर प्रार्थना पत्र भर सकते है।

वर्षों से चली आ रही प्रमाण पत्र की कठिनाईयों को माननीय नरेन्द्र मोदी सरकार ने एक ही झटके मे हल कर दिया। अन्त्योदय के प्रति विकास का ही प्रमाण है हर नागरिक का विकास देश का विकास, यही

है मोदी जी से आशा।

ओबीसी प्रत्याशियों का सामान्य सूची में भी चयन होगा

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में जस्टिस भानुमति ने कहा कि 1 जुलाई 1999 को डी.ओ.पी.टी. के आदेश को ठीक मानते हुए स्पष्ट किया कि एस.सी/एस.टी. और ओबीसी उम्मीदवार जो अपनी मेरिट के आधार पर चयनित हो कर आए है, उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया जाएगा।

- प्राकृतिक नियम है कि प्रतिभा को नही रोका जा सकता। प्रतिभा को किसी दायरे में नहीं बाँधा जा सकता। इसके चलते हम सब यह मान बैंठें है कि कोई उम्मीदवार आरक्षण के तहत कोई छूट ले लेता है तो उसे उसी वर्ग में गिना जाएगा न कि सामान्य वर्ग में क्योंकि प्रतिभा का अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता चाहे वह सामान्य श्रेणी से अधिक लाया हो या टॉप किया हो।
- आरक्षित वर्ग के छात्र को अगर किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए कोई एक छूट भी ले ली है तो वह विशेष प्रतिभा के अपने अधिकार से वंचित हो जाता है।

आरक्षित आरक्षित कोटे में ही रहेगा

- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को इसलिए सामान्य श्रेणी में नहीं गिना जाता चाहे उसने टॉप किया हो क्योंकि वह आरक्षण का लाभ पूर्व में ही ले चुका है। जिस कारण वह परीक्षा देने के योग्य हो गया है। अतः वह उम्मीदवार आरक्षित वर्ग का ही माना जाएगा।
- किसी भी पद चयन के लिए संबंधित विभाग आरक्षित वर्ग के

लिए (एस.सी., एस.टी., ओबीसी) विशेष छूट की सुविधा देता है। यह छूट आरक्षण के उन नियमों के तहत दी जाती है जो धारा 340, 16(4), 15(4) में वर्णित है कि सामाजिक व्यवस्था में जो लम्बे समय से अवसरो से वंचित रहे है।

- किसी भी नौकरी की पात्रता के लिए जो नियम बनाए जाते है, उन नियमों व वर्गो में आरक्षित वर्ग के लिए छूट दी जाती है जैसे उम्र, अनुभव, शैक्षणिक योग्यता, लिखित परीक्षा के अधिक अवसर आदि जो सामान्य उम्मीदवारों को नहीं दिये जाते।

आरक्षित का सामान्य में भी चयन संभव

कोई भी आरक्षित उम्मीदवार किसी भी प्रकार की विशेष आरक्षण की छूट की सुविधा नहीं लेता है और वह सामान्य श्रेणी के अनुरूप रैंक लेता है या अच्छे अंक पाता है तो ऐसे उम्मीदवार को सामान्य उम्मीदवार के रूप चयनित किया जाएगा। क्योंकि उसने कोई भी विशेष छूट का लाभ नहीं लिया है।

- कोर्ट ने यह आदेश आरक्षित कोटे में नौकरी पाने में असफल दीया पीवी नामक महिला के केस में भानुमति ने 1 जुलाई 1999 को दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने आयु सीमा में छूट लेकर ओबीसी की आरक्षित श्रेणी में आवेदन किया था। उसने साक्षात्कार भी ओबीसी श्रेणी में दिया था। इसलिए वह सामान्य श्रेणी में नियुक्ति के अधिकार का दावा नहीं कर सकती। ऐसे उम्मीदवार अनारक्षित पदों के लिए अयोग्य माने जाऐंगे।

ग्रेड 3 नौकरियों में साक्षात्कार का खत्म करना

भारतीय जातीय व्यवस्था में समाज के संसाधनों पर उच्चवर्ग का ही

आधिपत्य रहा है। व्यापार, शिक्षा, राज, प्रशासन मे गरीब वर्ग अर्थात् पिछड़े वर्ग का किसी भी स्तर पर प्रभाव नहीं था, सभी स्थानों सामाजिक स्थिति एवं शिक्षा के कारण अगड़ो का ही बोलबाला रहा है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा का प्रसार हुआ पिछड़ा वर्ग भी शिक्षा के प्रति आकर्षित हुआ। नौकरियों सरकारी पदों के लिए लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण के बाद साक्षात्कार होता है। किसी भी परीक्षा व नौकरी के लिए ओबीसी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से ज्यादा अंक लेने पर भी साक्षात्कार में ज्यादा अंक मिलने से ऊँचा स्थान (रैंक) पाने से सामान्य श्रेणी के छात्र/उम्मीदवार का चयन हो जाता है यह आम देखने को मिलता है।

- उच्चस्थानों/पदों पर बैठे अधिकारी 90 प्रतिशत सामान्य वर्ग के है। उनका झुकाव सहज रूप से अपनी ओर होगा। चयन में वरीयता मिलना स्वभाविक है।
- सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को सभी प्रकार की सुविधाओं का मिलना भी साक्षात्कार में अच्छे अंको का मिलना कारण भी हैं। ओबीसी ज्ञान में किसी भी प्रकार से कम नहीं है फिर भी सामान्य व्यवहार में सामान्य वर्ग का उम्मीदवार चुस्त होता है जो सामाजिक परिवेश का प्रभाव है।
- कालान्तर में ओबीसी परिश्रमी होने के कारण आगे निकल जाता है। इस प्रकार देखा गया है कि क्लास-3 में साक्षात्कार के खत्म होने से सबसे बड़ा फायदा ओबीसी वर्ग को हुआ है।
- माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तृतीय वर्ग की नौकरियों में साक्षात्कार को खत्म कर एक तरफ तो भ्रष्टाचार व भाई-भतीजाबाद पर लगाम लगी है दूसरी तरफ निष्पक्षता व पारदर्शिता बढ़ी है इससे भारत की सारी गरीब, असहाय जनता

खुश है। ओबीसी की ज्यादा संख्या से अनुपातिक आधार पर साक्षात्कार खत्म होने से सबसे बड़ा लाभ ओबीसी को हुआ है। मोदी जी की ईमानदार छवि से लोग प्रसन्न हैं।

क्रीमी लेअर की सीमा

क्रीमी लेअर क्या है? :- क्रीमी लेअर शब्द ओबीसी के अपेक्षाकृत उम्मीदवार और अच्छे शिक्षित समूह को संबोधित करता है। क्रीमी लेअर में आने वाला ओबीसी सरकार द्वारा प्रतियोगिता शैक्षणिक व नौकरियों के लाभ को नहीं पा सकता।

- वर्तमान नियमों के अनुसार ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार जिनकी पारिवारिक आमदनी 8 लाख से कम है, आरक्षण का हकदार है।
- ध्यान रहे हाल ही में भाजपा सरकार ने क्रीमी लेअर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख वार्षिक कर दी है।
- जिस ओबीसी उम्मीदवार की पारिवारिक आय लागातार तीन वर्षों तक 8 लाख वार्षिक है, उसे क्रीमी लेअर में माना जाएगा। अगर तीन वर्षों में किसी भी एक वर्ष में वार्षिक आमदनी 8 लाख से कम हो तो वह नान क्रीमी लेअर है अर्थात् क्रीमी लेअर में नहीं माना जाएगा।
- क्रीमी लेअर ''वर्गीकरण'' वर्तमान में ओबीसी के लिए है। एस.सी., एस.टी. के लिए लागू नहीं है।

पूर्व सरकार की छद्म नीति

क्रीमी लेअर की समीक्षा के संबंध में मा. उच्च न्यायालय एवं ''रामनन्दन समिति'' के साथ 123वाँ संविधान संशोधन बिल में भी क्रीमी लेअर की व्यवस्था में सुधारों की समीक्षा की बात कहीं है। क्रीमी लेअर महंगाई दर से निर्धारित होती है। कांग्रेस सरकार ने क्रीमी लेअर

को समीक्षा समयानुसार न करके लाखों ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी और शिक्षण संस्थाओं को सोची समझी चाल थी की ओबीसी वर्ग आगे न बढ़ सके।

- इसी नीति के कारण ओबीसी का नौकरियों में 27 प्रतिशत अब तक होना चाहिए था जो ग्रेड ए–आईएएस–4.21 प्रतिशत, आईपीएस–4.06, आईआरएस–6.7 प्रतिशत तथा केन्द्रीय प्रशासन में ग्रेड ए–4.70 प्रतिशत, बी–2.39 प्रतिशत सी–5.90 प्रतिशत 2006 तक ही सीमित रह गया है।

वर्तमान भाजपा सरकार की ओबीसी नीति

2018 के बीच घोषित समाजिक कल्याण की 156 योजनाओं मे गरीब व वंचित वर्ग केन्द्र में होता है जो पहले कभी नहीं था। लम्बे समय से लम्बित क्रीमी लेअर की समीक्षा कर मोदी जी ने 6 लाख से 8 लाख वार्षिक आय सीमा बढ़ा कर ऐतिहासिक फैसला लेना ओबीसी के प्रति उत्थान की भावना को दर्शाता है।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की आय भी 6 लाख वार्षिक से अधिक है। जब उसका बच्चा किसी नौकरी की परीक्षा के लायक होता है वह अपने बच्चों को ओबीसी की सुविधा का लाभ नहीं दिला सकता क्योंकि वह क्रीमी लेअर में आ जाता है। इस बीच उच्च वर्ग ओबीसी जो आयकर नहीं देता नॉन क्रीमी लेअर प्रमाण पत्र से ओबीसी का लाभ पा जाता था।

भाजपा सरकार ने ओबीसी के हित में क्रीमी लेअर की सीमा बढ़ाकर ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाया है। मोदी सरकार स्वागत योग्य है जो राष्ट्रहित में कठिन निर्णय लेने से नहीं चूकती।

❍

14 ओबीसी व जन-जन के लिये मोदी सरकार की योजनाएँ

मोदी सरकार की अधिकांश योजनाएँ समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण हेतु तैयार कर लागू की जा रही है। उनमें से निम्नलिखित योजनाओं में अधिकांश लाभार्थी ओबीसी वर्ग से ही हैं।

1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना।
2. प्रधानमंत्री आवास योजना।
3. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना।
4. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
5. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
6. अटल पेंशन योजना।
7. आयुष्मान भारत योजना।
8. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
9. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना।
10. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।
11. प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम।
12. गोबर धन स्कीम।
13. नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम।
14. स्त्री स्वाभिमान योजना।
15. सोशल सिक्योरिटी योजना।
16. स्वच्छ भारत अभियान।

17. किसान विकास पत्र।
18. सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम।
19. स्किल इंडिया।
20. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना।
21. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
22. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना।
23. पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रामेव जयते योजना।
24. उड़ान स्कीम।
25. ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम।
26. राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
27. पहल–डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर फॉर LPG (DBTL) कंज्यूमर्स स्कीम।
28. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना।
29. टी.बी. मिशन 2020।
30. धनलक्ष्मी योजना।
31. ग्राम उदय से भारत उदय अभियान।
32. सामजिक अधिकारिता शिविर।
33. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना।
34. गर्भवती महिलाओं के लिए सहायता योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
35. वरिष्ठ नागरिकों के लिए Fixed Deposit स्कीम–वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017।

36. महिला उद्यमियों के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना।

37. मछुआरों के लिए मुद्रा लोन योजना।

38. मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी शगुन योजना।

39. संकल्प से सिद्धि।

❍

15 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और पिछड़ा वर्ग

भारत की आजादी एवं पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (चीन) के संप्रभु राष्ट्र की घोषणा लगभग एक ही समय में हुई थी। आजादी के बाद, शुरू के दो दशकों तक भारत की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय चीन से काफी ज्यादा थी। यहाँ तक की गरीबी की दर भी भारत में चीन के मुकाबले काफी कम थी। लेकिन आज स्थिति बिलकुल विपरीत हैं। चीन की जीडीपी भारत से लगभग चार गुना अधिक है एवं भारत में चीन से लगभग दुगने गरीब निवास करते है। भारत में मनाया जाने वाला कोई भी त्योहार, होली, दिवाली, ईद आदि सभी से सम्बंधित सामान आज चीन से ही बनकर आता है। यह सारा परिवर्तन एक या दो दिन में नहीं हुआ है बल्कि इसमें चीन की 20 सालों की कड़ी मेहनत है जब हमारी सरकारें सो रही थी। जहाँ एक तरफ बढ़ती जनसंख्या भारत के संसाधनों पर बोझ बनती रही, वही चीन ने बढ़ती जनसंख्या को जनसांख्यिकीय लाभांश में बदल दिया। चीन ने अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रौद्योगिक प्रशिक्षण देकर उनका कौशल विकास किया जिससे यही जनसंख्या देश में उच्च स्तर का उत्पादन बहुत ही कम कीमत पर करने लगी।

परम्परागत व्यवसाय का नवीकरण

चीन के विपरीत, भारत में अधिकांश विनिर्माण (manufacturing) का कार्य कुछ जातियों, विशेषकर पिछड़ी जातियों द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता रहा है। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार पिछड़ी जातियों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व उनके जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य

बात यह है कि अधिकांश पिछड़ी जातियाँ मुख्य तौर पर शिल्पकारी या कृषि कार्यों में ही संलग्न रही हैं। ये कार्य वे बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के घर में माता-पिता को कार्य करते हुए देखकर ही सीखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त कामगारों की बहुत कमी है। भारत में केवल 3% कामगार ही किसी न किसी तरह का औपचारिक प्रशिक्षण ले पाते हैं जबकि ब्रिटेन, जापान एवं दक्षिण कोरिया में इनका प्रतिशत लगभग 68%, 80% एवं 96% हैं।

परम्परागत व्यवसाय से रोजगार को बढ़ावा

आजादी के 70 वर्षों बाद भी किसी भी पिछड़ी जातियों के लोगों के बच्चे के लिए सबसे आसन वह रोजगार होता है जिस व्यवसाय में उसके माता पिता संलग्न होते है। ऐसे में बहुत सारे युवा न चाहते हुए भी अपने पारिवारिक व्यवसाय में लग जाते हैं, क्योंकि कोई अन्य कार्य उन्हें आता नहीं है। कोई नया व्यवसाय सीखने की या तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, या फिर बहुत महँगी है। ऐसे में लाखों योग्य युवा अपने जातिगत परम्परागत कार्यो से बाहर नहीं आ पाते हैं। जहाँ एक तरफ जातिगत परम्परागत कार्यो में बहुत अधिक लोगों के संलग्न होने के कारण अधिक पूर्ति कि समस्या है जिससे किसी भी कार्य का ठीक मूल्य नहीं मिल पाता है, वही दूसरी तरफ बहुत सारे उद्योगों को कुशल कामगार न मिल पाने के कारण बहुत ज्यादा मजदूरी देनी पड़ रही है, जिससे बहुत सारे उद्योग मजदूर की बजाय मशीन से काम लेना पसंद करते हैं।

रोजगार के अवसर

केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार ने आते ही सबसे पहला ध्यान युवाओं के कौशल विकास एवं मेक इन इंडिया पर दिया, जो दोनों एक दूसरे के पूरक है। केवल युवाओं के कौशल विकास का कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक उन्हें देश में कॉमन दिलवाया जा सकें। प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना, नरेन्द्र मोदी सरकार की सबसे महत्त्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है। इस योजना का संचालन कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़े व्यवसायों का प्रशिक्षण देना है, जिससे उन्हें रोजगार पाने या स्वरोजगार में मदद मिल सके। इस योजना में प्रशिक्षण की लागत का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता हैं। सरकार इस योजना के जरिये कम पढ़े लिखे (10वीं, 12वीं कक्षा पास या फिर बीच में स्कूल छोड़ने वाले) युवाओं को भी कौशल का प्रशिक्षण देती है।

कौशल विकास का प्रभाव

जो युवा सदियों से जातिगत उद्योगों में लगे हुए है और अब जातिगत कार्यो से बहार निकलना चाहते है, उनके लिए यह योजना एक स्वर्णिम अवसर के रूप में आयी है जिससे ये लोग अन्य कार्यो का प्रशिक्षण लेकर नया कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में आवेदन करना बहुत ही आसान है जो कोई भी बहुत ही कम पढ़ा लिखा युवक आसानी से कर सकता हैं। साथ ही साथ आवेदक लगभग 40 से ज्यादा तकनीकी क्षेत्रों में से अपनी रूचि के अनुसार चयन कर सकता हैं। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह योजना एक तरफ परंपरागत कार्यो (फर्नीचर और फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एवं ज्वेलरी और लेदर टेक्नोलॉजी आदि) में पहले से ही लगे लोंगो को और प्रशिक्षण देकर उनके कार्य की गुणवत्ता में सुधार करता है। वही दूसरी तरफ यह योजना नई जरूरतों के अनुसार उत्पन्न हुए आधुनिक रोजगारों का प्रशिक्षण भी देती हैं जैसे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि।

आधुनिकीकरण की पहल

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह योजना देश के

लगभग सभी जिलों में चल रही है जिससे आवेदक को प्रशिक्षण के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। जिससे ना तो उनका वर्तमान व्यवसाय बाधित होता है और ना ही उससे होने वाली आय। PMKVY के पहले दो वर्षो में लगभग 15 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें से लगभग 5 लाख 8 युवाओं को रोजगार भी प्रदान कराया गया। बाजार की बदलती जरूरतों को देखते हुए 6 जुलाई 2018 से 26 क्षेत्रों के लगभग 139 नये तरह के कार्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी अब इस योजना के तहत की गयी हैं। जिसमें एयरोस्पेस एवं विमानन क्षेत्र से सम्बंधित 4, दूरसंचार से सम्बंधित 26 एवं दिव्यंगो की सहायता से सम्बंधित 20 नए प्रकार के प्रशिक्षण शामिल हैं।

इस योजना कि सबसे अच्छी बात यह है कि यह किसी भी कार्य को किसी जाति के साथ न जोड़कर, आवेदक कि रूचि के कार्य में ही उसे प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करती है। इससे एक तरफ पूरे देश के युवाओं, विशेषकर पिछड़े समाज के युवाओं की कुशलता में वृद्धि हो रही है और उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे है, वही दूसरी तरफ उन्हें मजबूरीवश अपने जातिगत व्यवसायों में पूरा जीवन खपाने कि बजाय अपनी रूचि एवं योग्यता के कार्य करने का मौका मिल रहा है। ❍

16 मीडिया/सोशल मीडिया

जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी मीडिया के प्रभाव का विस्तार हुआ है। हर घर में समाचार पत्रों की दस्तक हो गई है। हर घर में टीवी और हर हाथ में लैपटाप है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के साथ सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया का हस्तक्षेप प्रभावकारी भूमिका में है। इसमें अपना दखल बढ़े, इसकी कोशिश होनी चाहिए। संचार की आधुनिक तकनीकों में दक्षता जरूरी है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्वीटर जैसे दसियों लोकप्रिय वेबसाइटों का इस्तेमाल कर पार्टी की छवि में चार चांद लगा सकते हैं।

नियमित संपर्क में रहें

भाजपा के हर कार्यकर्ता को मीडिया से न केवल निकट का संपर्क रखना जरूरी है वरन पार्टी और अपनी छवि को जनता के बीच चमकाने के लिए उसका अधिकतम इस्तेमाल करना है। इसके लिए मीडिया से नियमित संपर्क अपने स्वभाव का हिस्सा बनाएं। आप सब जानते हैं कि भाजपा अन्य दलों से भिन्न है। विचारधारा आधारित पार्टी है। पार्टी के विस्तार के साथ ही उसकी वास्तविक छवि जनता के सामने आये, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी व्यकितगत स्तर पर अपनी विचारधारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कामकाज के बारे में गहराई से जानें। उतना ही जरूरी यह भी है कि अपने विरोधी राजनीतिक दलों के बारे में भी जानें ताकि उनको तार्किक जवाब देकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। सबसे पहले प्रिंट मीडिया पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है ताकि मीडिया की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मसलन प्रेस को भेजी जाने वाली सामग्री बिल्कुल तथ्य पर आधारित हो, कम शब्दों में हो, प्रेस विज्ञप्ति बनाते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का अभ्यास जरूरी है। पत्रकार

वार्ता करते समय सभी छोटे-बड़े मीडिया संस्थानों के साथ ही टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सही सूचना भेजे और पत्रकार वार्ता में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि ऐसा कर सके तो मानिए आपका आधा काम हो गया।

पत्रकारों से वार्ता में सतर्कता बरतें

यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पत्रकारों को उनकी जरूरत के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो वीजुअल्स, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि समय पर पहुँच जाए। जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर यह काम बेहद जरूरी है। समाचार चैनलों से बातचीत करते समय अति सावधानी की जरूरत है। ऑफ दि रिकॉर्ड तो कतई बात नहीं करनी चाहिए। बातचीत करते समय पार्टी लाइन का अवश्य ध्यान रखें। व्यक्तिगत विचार जैसी कुछ भी न बात करें। चैनल पर शब्दों का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतें। सजीव प्रसारण (लाइव) में तो अति सतर्कता की जरूरत है। उत्तेजित तो कतई न हों। पूरे आत्मविश्वास से बात करें। मीडिया का सहयोग पाने के लिए इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको क्या कहना है, उतना ही जरूरी है इस बात का ध्यान रखना कि क्या नहीं कहना है। इस मामले में पत्रकारों या मीडिया संस्थानों से परिचय या दोस्ती बहुत लाभकारी होती है। पत्रकार को अपना नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ई मेल आदि बेहिचक दे दें। सदैव मीडिया के साथ हमारा सौहार्द बना रहे इसकी हर कोशिश करनी होगी ।

तथ्यों पर ध्यान दें

सामान्य रूप से पत्रकार तथ्यों की खोज में रहता है। लिहाजा इस आदत का आप लाभ ले सकते हैं। अपनी पार्टी के बारे में सभी सकारात्मक सूचनाएँ सही और तथ्यों के साथ उसको उपलब्ध करा सकते हैं। इससे संबंधित पत्रकार के साथ आपके निजी रिश्ते भी मजबूत

होंगे। आंकड़ों पर विशेष ध्यान दें। सरकारी रिकॉर्ड को संजोकर रखें। केंद्र और राज्यों द्वारा समय-समय पर जारी विषय विशेष पर रिपोर्टें, संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट पर ध्यान रखें। सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करने में अधिक से अधिक रुचि रखें। इंटरनेट की मदद सबसे अधिक कारगर होगी लिहाजा उसके माध्यम से हर समय अपने आपको अपडेट रखें। गूगल से जुड़े रहें। आपका काम सरल हो जाएगा। मीडिया में प्रकाश्य सामग्री (कंटेंट) को 'राजा' (किंग) कहा जाता है। यह जितना मजबूत होगा, आपका समर्थन उतना ही बढ़ेगा और राजनीतिक विस्तार में उतना ही मददगार हो सकता है। इसलिए पार्टी से संबंधित कोई भी विषय चलताऊ तरीके से न लें, उसकी पूरी पृष्ठभूमि समझें, गहराई से अध्ययन करें, फिर उसे मीडिया के सामने परोसें। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपका श्रोता है, कौन पाठक है, कौन आपका लक्ष्य (टारगेट) है।

डिजिटल मीडिया पर करें फोकस

कंटेंट (सामग्री) तैयार करने के लिए एक शोध टीम का भी गठन किया जा सकता है। इस टीम में सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में रुचि लेने वाले युवाओं को अवश्य जोड़ें। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपका ध्यान हर समय रहना चाहिए। इसके माध्यम से पार्टी और आपकी खुद की छवि देश-विदेश में निखरेगी। सोशल मीडिया जगत में आप सभी ऑडियो-वीडियो टूल्स को ट्वीट या पोस्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। टैगिंग आपके लिए एक महत्त्वपूर्ण औजार है जो आपके संदेश को कई गुणा प्रसारित कर सकता है, वीडियो आने वाले समय में इंटरनेट की दुनिया में 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय हो सकता है। ऑनलाइन वीडियो सोशल मीडिया संवाद का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मानकर चलिए कि फेसबुक जैसी

लोकप्रिय फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग कर अपना संदेश पूरी दुनिया में मुफ्त में पहुँचा सकते हैं। इसी के साथ ट्वीटर जैसी फ्री माइक्रोब्लॉगिंग सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करें, ध्यान रखें कि वहाँ सधे शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। गूगल या गूगल़ साइट को अपना मित्र बना लें, आपका काम सरल हो जाएगा। इसका उपयोग कर अपने दल की बात को विस्तार से बता सकते हैं। वाट्सएप सुविधा हर एंड्रायड और अन्य स्मार्ट फोन पर उपलब्ध है। संदेश देने का प्रभावी माध्यम है। इसका बहुतायत में इस्तेमाल करें। आपके लिए यू-ट्यूब का इस्तेमाल एक साथ हजारों लोगों से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। सोशल मीडिया जनता के बीच अधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा है। इसे हमारी नीतियों को जनता तक पहुँचाने का माध्यम बनाना ही होगा। सोशल मीडिया प्रायः मुफ्त होता है। न्यूनतम लागत में आप अधिकतम लोगों तक पहुँच सकते हैं। कभी-कभी मुख्य मीडिया में आपकी या पार्टी की कवरेज ठीक से नहीं हो पाती है। ऐसे में आप सोशल मीडिया का उपयोग कर उसकी भरपाई कर सकते हैं। आजकल लोग हर समय ताजा खबरों की इच्छा रखते हैं। ऐसे में पार्टी के बारे में ताजा समाचार देकर उनकी इस आदत का उपयोग अपने हित में कर सकते हैं।

ग्रामीण इलाकों पर ध्यान देने की जरूरत

मीडिया में स्थान बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी कठिनाई होती है। कारण साफ है। मीडिया की पहुँच अभी गाँवों तक कम है और कार्यकर्ता भी अभी उससे दूर ही रहते हैं। वहाँ अपनी पहुँच बढ़ाने की जरूरत है। त्रिस्तरीय पंचायतों की भूमिका बढ़ने के साथ ही पार्टी का दखल भी वहाँ बढ़ा है। इसलिए कार्यकर्ता अपने को तैयार करें। पंचायतें (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत) तीसरी सरकार कही जाती हैं। विकास में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। विकास को पटरी पर लाने के लिए मीडिया का

सहारा लें। जरूरी है कि जिले से लेकर कस्बों तक फैले मीडिया से जुड़े रिपोर्टरों को निजी तौर पर साधें, उनको महत्त्व दें। भाजपा की विकास योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को उन तक पहुँचाएँ। गाँवों और कस्बों में भी हर हाथ में एंड्रायड फोन हैं, सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया भी आपकी पहुँच से बाहर नहीं है।

शहरी क्षेत्रों को केंद्र बनाएं

शहरी निकायों तथा नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायतों में भाजपा का बहुत तेजी से प्रवेश हो रहा है। लिहाजा कार्यकर्ता यहाँ भी पूरी गंभीरता से लगें। बढ़ते शहरीकरण के कारण इनका विस्तार होना ही है लिहाजा भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन पर फोकस करने की जरूरत है। शहरी इलाकों में पत्रकार काफी सक्रिय रहते हैं। हमें भी सक्रियता से उनसे संपर्क बनाकर लाभ लेना चाहिए। नुस्खा वही कि उनसे नजी रिश्ते मजबूत करें और अपने तथा अपने दल के बारे में उन्हें अपडेट करते रहें। उनको किसी तरह की जानकारी की जरूरत हो तो तत्काल उपलब्ध कराएँ। यहाँ भी सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कारगर होगा ही।

सोशल मीडिया

इंटरनेट के माध्यम से सोशलमीडिया एक विशाल नेटवर्क का निर्माण करता है, जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व को जोड़े रखना पूर्णतया संभव है। यह संचार का एक आधुनिक एवं उन्नत साधन है जिसके माध्यम से विद्युत की गति से सूचनाओं जिसमें लिखित, मौखिक, चित्र और चलचित्र आदि का आदान-प्रदान दुनिया के किसी भी कोने में यथासमय संभव है आज के समय में सोशलमीडिया मानवजीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। एक समय तक बहुत कम संख्या में लोगों की पहुँच सोशल मीडिया तक थी परंतु आज जिस

भी व्यक्ति के पास स्मार्ट फोन है वह व्यक्ति सोशलमीडिया के किसी भी पटल (प्लेटफॉर्म) जैसे फेसबुक, ट्विटर एवं इंस्टाग्राम आदि का प्रयोग कर इस अनूठे संचार के माध्यम से जुड़ सकताहै।संचार के इस अनोखे माध्यम से जुड़कर दुनिया में हर व्यक्ति पूरे समय एकदूसरे के संपर्क में रहता है। सुदूर देशों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच भी अब कोई फासला बाकी नही रह गया है। महासागरों से लेकर ग्रहों की दूरी भी सूचनाओं के स्तर पर अब ना के बराबर है। यह व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी को कम करता है साथ ही व्यक्ति को उसके विकास के लिए अनुकूल वातावरण एवं संभावनाएँ प्रदान करता है।

सदुपयोग एवं सावधानियाँ

सोशलमीडिया लोकप्रियता के प्रसार में एक उन्नत साधन है जहाँ व्यक्ति स्वयं को अथवा अपने विचारों को सहजता के साथ किसी भी दूसरे व्यक्ति अथवा समूह तक बिना समय गवाएँ पहुँचा सकता है। वही एक सभ्य, सकारात्मक, साम्यवादी एवं देशप्रेम कि पोषक विचारधारा के प्रेषण में यह अपना अलग ही महत्त्व रखता है। प्रस्तुत माध्यम जितना महत्त्व सूचनाओं के प्रेषण के लिए रखता है उससे कहीं ज्यादा इसका महत्त्व जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए माना जाता है। विभिन्न विचारधाराओं के बीच महत्त्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह एवं विश्लेषण बड़ी आसानी से सोशलमीडिया द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया जा सकता है। अत: यह माध्यम विचारधारा प्रेषण, सूचना एकत्रीकरण एवं सामाजिक, राजनितिक समझ जैसे सभी आयामो पर अपना विशेष प्रभाव रखता है। सोशलमीडिया के शुद्ध प्रयोग एवं सदुपयोग से विभिन्न आयामों पर अभिवृद्धि, विकास एवं उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। सोशलमीडिया का प्रयोग यदि दूषित मानसिकता के साथ अथवा कुप्रचार के लिए किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक सिद्ध होगा, यह समाज के विभिन्नस्तरों, आधारों, मत, विचारों, जाति, धर्म, संप्रदायों एवं

मान्यताओं के विषय पर विसंगतियाँ एवं भ्रम फैलाकर तरह-तरह की उन्मादग्रस्त घटनाओं, लड़ाई-झगडों, दंगोआदि का कारण भी बन सकता है। इस क्रम में भ्रम फैलाकर घटित की गई विभिन्न उपद्रवी एवं उन्मादित घटनाएँ संज्ञान में आई है। इसके साथ-साथ अलगाववादिताकतों, नक्सलवाद एवं आतंकवादी विचारधाराओं में भी सोशलमीडिया का प्रयोग किया जाता रहा है। जिसका प्रभाव लोगों पर नकारात्मक रूप से देखा गया है, जबकि यह किसी भी मानवसभ्यता के लिए अत्यंत भयंकर साबित हो सकता है। सोशलमीडिया संचार का एक उम्दा माध्यम है इसकी अच्छी समझ एवं सदुपयोग से ही मानवजाति इस का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकती है। सोशलमीडिया पर कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया गया सूचनार्थ प्रेषण ही उनकी समझ को प्रदर्शित करता है।

अतः इसके दुष्परिणामों से बचने के लिए सोशलमीडिया का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को इसके प्रयोग एवं सूचनाओं के प्रभाव की भी समझ होना अति आवश्यक है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि सूचनाओं का प्रेषण व्यक्ति से व्यक्ति तक ना होकर कई बार व्यक्ति से समूह एवं विचारधारा से दूसरी विचारधारा तक भी होता है। ऐसे में इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या करोड़ों में भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में सूचना का गलत अर्थ एक बड़ी विचारधारा को एक ही प्रेषण से प्रभावित कर सकता है।

❍

भारतीय जनता पार्टी
6 ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002
फोन : 011-23500000, फैक्स : 011-23500190

9 789388 310277